सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2023 की प्रतिवेदन संख्या 24
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण

मंत्रालय/विभाग

2023 की प्रतिवेदन संख्या 24

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	3
बजट और व्यय नियंत्रण	1.4	4
स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.5	6
बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	1.6	11
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा	1.7	12
हानि अपरिवर्तनीय देय राशि को बट्टे खाते में डालना/माफ करना	1.8	13
पिछली निरीक्षण रिपोर्टों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	1.9	13
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के मसौदे पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	1.10	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही	1.11	14
अध्याय-II: अंतरिक्ष विभाग		
विद्युत शुल्क के रूप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय	2.1	17
जीसैट-18 उपग्रह की क्षमताओं का उप-इष्टतम उपयोग	2.2	18
विशेष ग्रेड के कार्बन फाईबर के निर्माण हेतु परियोजना का लघु समापन	2.3	21
अध्याय-III: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग		
यात्रा भत्तों पर ₹ 67.48 लाख का अस्वीकार्य भुगतान	3.1	25

अध्याय-IV: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के कारण ₹ 94.09 लाख का परिहार्य व्यय	4.1	27
अध्याय-V: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
₹ 1.04 करोड़ का अनावश्यक व्यय	5.1	31
अपशिष्ट विनाश संयंत्र पर ₹ 3.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय	5.2	34
अध्याय-VI: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
₹ 13 करोड़ का अनावश्यक व्यय	6.1	37
अध्याय-VII: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
त्रुटिपूर्ण अनुबंध के चलते प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 76.75 लाख का अनियमित भुगतान	7.1	41
अध्याय-VIII: परमाणु ऊर्जा विभाग		
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की कार्य पद्धति	8.1	45
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में संविदा एवं सामग्री प्रबंधन	8.2	70
₹ 7.86 करोड़ की धनराशि का अवरोध	8.3	92
कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का अभाव	8.4	96
₹ 77.76 लाख की बकाया राशि की हानि	8.5	99
अनुबंध		109
परिशिष्ट		165

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। यह रिपोर्ट संघ सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2021-2022 की अवधि में देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके। 2021-22 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. एंड ए.जी.) की यह रिपोर्ट भारत सरकार के आठ[1] वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में दो एस.एस.सी.ए.[2] सहित 14 अनुच्छेद शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक विहंगावलोकन नीचे दिया गया है।

विद्युत शुल्क के रूप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय

अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एल.पी.एस.सी.-बी.), बैंगलुरू द्वारा बिजली विद्युत की वास्तविक खपत की मात्रा का अनुबंध मांग के अनुसार आंकलन न कर पाने के कारण ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पृष्ठ 17, पैराग्राफ 2.1)

जीसैट-18 उपग्रह की क्षमताओं का उप-इष्टतम उपयोग

अंतरिक्ष विभाग ने अक्टूबर 2016 में उपग्रह जीसैट-18 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। उपग्रह का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। जिसके चलते अंतरिक्ष विभाग ने हार्डवेयर और प्रक्षेपण सेवा पर ₹ 17.27 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पृष्ठ 18, पैराग्राफ 2.2)

---

[1] **परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) 3. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) 4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.), भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित 5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) 6. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)**

[2] **विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

विशेष ग्रेड के कार्बन फाईबर के निर्माण हेतु परियोजना का लघु समापन

वी.एस.एस.सी. ने अपने कार्यक्रमों की निरंतर रूप से पूर्ति के लिए विशेष ग्रेड (टी 800 ग्रेड) कार्बन फाईबर के स्वदेशीकरण के लिए एक परियोजना प्रारंभ की। लेकिन परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्धता (सुविधा, वित्तीय और जनशक्ति) की अस्पष्टता एवं अनुचित योजना के चलते समझौता ज्ञापन को समय से पहले बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पृष्ठ 21, पैराग्राफ 2.3)

यात्रा भत्तों पर ₹ 67.48 लाख का अस्वीकार्य भुगतान

भारत सरकार के आदेश के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए नव-नियुक्त वैज्ञानिकों के कार्यग्रहण के लिए यात्रा भत्ते पर ₹ 67.48 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

(पृष्ठ 25, पैराग्राफ 3.1)

त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के कारण ₹ 94.09 लाख का परिहार्य व्यय

एन.सी.एल., पुणे सबसे कम बोली लगाने वाले को संविदा न देकर अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं कर सका, जिसके कारण ₹ 94.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पृष्ठ 27, पैराग्राफ 4.1)

₹ 1.04 करोड़ का अनावश्यक व्यय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) द्वारा समन्वय की कमी और अप्रभावी निगरानी के कारण औद्योगिक भागीदार द्वारा पायलट संयंत्र की स्थापना नहीं हो पाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पृष्ठ 31, पैराग्राफ 5.1)

अपशिष्ट विनाश संयंत्र पर ₹ 3.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना का अकुशल संचालन परियोजना प्रबंधन समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जुर्माना खण्ड के साथ किसी भी कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर न करने और परियोजना भागीदारों द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 3.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पृष्ठ 34, पैराग्राफ 5.2)

₹ 13 करोड़ का अनावश्यक व्यय

परियोजना का खराब कार्यान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों से विचलन और आई.आई.सी.टी. द्वारा स्वीकृति आदेश के नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 13 करोड़ व्यय करने के बाद परियोजना को समाप्त कर दिया गया।

(पृष्ठ 37, पैराग्राफ 6.1)

त्रुटिपूर्ण अनुबंध के चलते प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 76.75 लाख का अनियमित भुगतान

परियोजना ऋणों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौते को अकुशलतापूर्वक तैयार किया गया था जिसके चलते एस.आई.डी.बी.आई. को घटती शेष राशि की जगह प्रारंभिक संवितरण राशि पर वार्षिक प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ। इसके अलावा, परियोजनाओं के वित्तीय निपटान के बाद भी एस.आई.डी.बी.आई. ने प्रबंधन शुल्क वसूलना जारी रखा।

(पृष्ठ 41, पैराग्राफ 7.1)

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की कार्य पद्धति

आई.पी.आर. समय रहते परियोजनाओं को पूरा ना कर सका तथा उनकी नियोजित पूर्णता अवधि को 21 महीने से बढ़ाकर 54 महीने कर दिया। यह परियोजनाओं के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका हालांकि परियोजनाओं को कई विस्तार के साथ पूर्ण घोषित किया गया तथा गैर प्राप्त उद्देश्यों को आगे की लागत निहितार्थ के साथ दूसरी परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 16 तकनीकों का विकास किया गया था लेकिन एक से आठ वर्ष तक के बाद भी यह एक भी तकनीक को स्थानांतरित नहीं कर सका।

(पृष्ठ 45, पैराग्राफ 8.1)

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में संविदा एवं सामग्री प्रबंधन

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने मूल्य वृद्धि, बीमा नीतियों में वृद्धि, वारंटी शुल्क के विस्तार एवं जनशक्ति को रोके रखने/व्यर्थ बैठे रहने के कारणवश अतिरिक्त व्यय किया क्योंकि वह कार्यक्षेत्र, आरेखण और अन्य आवश्यक इनपुट उपलब्ध करवाने में विफलता के कारण निर्धारित समय में संविदा पूरी नहीं कर सके। भंडार मदों के अनुचित संरक्षण के अलावा समेकित ई.आर.पी. (एम.आई.एस. समेत) के कार्यान्वयन एवं मांगपत्रों की प्रक्रिया में विलंब हुए थे।

(पृष्ठ 70, पैराग्राफ 8.2)

₹ 7.86 करोड़ की धनराशि का अवरोध

₹ 7.86 करोड़ की लागत से खरीदे गए स्वदेशी उच्च खुराक दर ब्रैकीथेरेपी (आई.एच.डी.आर.), उपचार योजना सॉफ्टवेयर (टी.पी.एस.) और कपलिंग के साथ एप्लिकेटर को लगभग सात वर्षों के बाद भी अभी तक वांछित अस्पतालों में स्थानांतरित नहीं किया गया।

(पृष्ठ 92, पैराग्राफ 8.3)

कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का अभाव

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.) ने कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में कानूनी सलाहकारों को शामिल किया।

(पृष्ठ 96, पैराग्राफ 8.4)

₹ 77.76 लाख की बकाया राशि की हानि

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन और मास्टर बिजनेस एसोसिएट के प्रदर्शन की निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 77.76 लाख की बकाया राशि का नुकसान हुआ।

(पृष्ठ 99, पैराग्राफ 8.5)

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

संघ और राज्यों, सरकारी कंपनियों और निगमों, निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का अधिदेश संविधान और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी हैं जिन्हें संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13, (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अन्तर्गत संघ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों तथा अन्य संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है। संविधान के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा भी शामिल की गई है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद या राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अपनाए गए लेखा परीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता स्तर, लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने और नीतियों और निर्देशों को तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, एवं बेहतर प्रशासन में योगदान होगा।

यह रिपोर्ट वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों / विभागों पर अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित है। यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा की व्याख्या करने के अलावा, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके वित्तीय प्रबंधन के व्यय का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II के बाद उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के साथ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न वर्तमान निष्कर्ष/टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारत सरकार के निम्नलिखित आठ[3] वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और सी.पी.एस.ई. सहित उनकी इकाइयों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं:

1) **परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)**

2) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,**

   क) **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);**

   ख) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा**

   ग) **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)**

3) **अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)**

4) **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.),**

5) **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)**

6) **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)**

[3] **इस रिपोर्ट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं है।**

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेनदेन की जांच को संदर्भित करती है जिससे यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन तथा इच्छित उद्देश्यों की उपलब्धि के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता को भी निर्धारित किया जा रहा है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदन से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में अलग से जारी किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

2021-22 के दौरान, आठ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) सहित 353 इकाइयों में से 156 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा उपलब्ध संसाधनों और इकाइयों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर की गई थी।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2021-22 और पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की स्थिति को **तालिका 1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	2020-21	2021-22
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	22116.82	31610.92
2.	अंतरिक्ष विभाग	9490.05	12493.86
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4244.88	5141.06
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4913.33	5146.31
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2259.72	2851.14
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2062.93	2618.53
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3081.84	6792.40
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1287.95	2194.39
	कुल	**49457.52**	**68848.61**

2021-22 के दौरान भारत सरकार के आठ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹ 68,848.61 करोड़ था, जबकि 2020-21 में ₹ 49,457.52 करोड़ था, अर्थात ₹ 19,391.09 करोड़ की वृद्धि (39.21 प्रतिशत)। 2021-22 के दौरान वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹ 68848.61 करोड़ के कुल व्यय में से 45.91 प्रतिशत डी.ए.ई. द्वारा ही किया गया था।

सभी वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों / विभागों का वास्तविक व्यय 2020-21 के दौरान व्यय की तुलना में 2021-22 के दौरान 4.74 प्रतिशत (डी.एस.टी.) से बढ़कर 120.40 प्रतिशत (एम.एन.आर.ई.) हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान एम.एन.आर.ई. (120.40 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एस. (70.38 प्रतिशत), डी.ए.ई.

(42.93 प्रतिशत) और डी.ओ.एस. (31.65 प्रतिशत) के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

2021-22 के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक / पर्यावरण मंत्रालयों एवं विभागों के व्यय में ₹ 19391.09 करोड़ (39.21 प्रतिशत) की वृद्धि भारत सरकार द्वारा इन गतिविधियों पर दिए जा रहे बढ़ते फोकस को रेखांकित करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग खातों का सारांश **तालिका 2** में अलग से नीचे दिया गया है:

तालिका 2 - 2021-22 के दौरान वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदानों और किए गए व्यय का विवरण;

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/(+) अतिरिक्त	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	33099.97	31610.92	(-)1489.05	4.49
2.	अंतरिक्ष विभाग	13949.15	12493.86	(-)1455.29	10.43
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5307.72	5141.06	(-)166.66	3.13
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	6071.62	5146.31	(-)925.31	15.23
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3502.39	2851.14	(-)651.25	18.59

6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3136.62	2618.53	(-)518.09	16.52
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8353.01	6792.40	(-)1560.61	18.68
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2374.12	2194.39	(-)179.73	7.57
	कुल	**75794.60**	**68848.61**	**(-)6945.99**	**9.16**

2021-22 के दौरान ₹ 75794.60 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के पास ₹ 6945.99 करोड़ की समग्र बचत थी जो कुल अनुदान/विनियोजन का 9.16 प्रतिशत है।

₹ 6945.99 करोड़ के कुल अव्ययित बजट में से, एम.एन.आर.ई. (18.68 प्रतिशत), डी.बी.टी. (18.59 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. (16.52 प्रतिशत और डी.एस.टी. (15.23 प्रतिशत) में अव्ययित बजट सबसे अधिक थे।

1.5 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों / विभागों के तहत 84 केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी.ए.बी.) हैं। इनमें से 11 सी.ए.बी. की लेखापरीक्षा धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत की गई है और शेष 73 सी.ए.बी. की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 या 15 के अंतर्गत की गई है। 2021-22 के दौरान 73 सी.ए.बी. (धारा 14 या 15 के तहत) को जारी कुल अनुदान ₹ 5750.93 करोड़ था। विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान 11 सी.ए.बी. (धारा 19(2) और 20(1) के तहत) को जारी कुल अनुदान क्रमशः ₹ 5342.64 करोड़ और ₹ 6794.23 करोड़ थे जैसा कि नीचे **तालिका 3** में वर्णित हैः

तालिका 3: वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी अनुदान की राशि	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी अनुदान की राशि
1.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	4201.07	5049.17
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	310.00	335.01
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	10.00	125.00
4.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	741.18	900.00
5.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	7.40	9.86
6.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	22.00	25.51
7.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	7.19	11.25

8.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	10.80	16.13
9.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	डी.बी.टी.	33.00	41.15
10.	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	18.71	261.65
11.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सी.ए.क्यू.एम.)	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	--[4]	19.50
		कुल	**5342.64**	**6794.23**

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति का अपना प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 तथा सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017 का नियम 237 यह बताता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक केंद्रीय स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के साथ लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए।

[4] **वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति की स्थापना 2021 में की गई थी तथा लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ हुई।**

ग्यारह ए.बी. में से, वर्ष 2021-22 के लिए तीन सी.ए.बी. ने लेखापरीक्षा के लिए 06 से 153 दिन देरी के बाद अपने खाते जमा किए। इसका विवरण नीचे **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4: लेखापरीक्षा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

क्रं.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखा परीक्षा को लेखें प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब दिनों में
1.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	13.07.2022	13 दिन
2.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	06.07.2022	06 दिन
3.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	03.08.2022 (01.12.2022 को संशोधित खाते प्राप्त हुए)	153 दिन

1.5.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विलंब

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में सिफारिश की थी कि स्वायत्तशासी निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखा जाए। इसके अलावा, जी.एफ.आर. (2017) के नियम 237 के अनुसार,

सी.ए.बी. को 31 दिसंबर तक संसद में रखे जाने वाले नोडल मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत करने होते है।

संसद में केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति में देरी का विवरण नीचे **तालिका 5** में दिया गया है:

तालिका 5: केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्रं.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि		विलम्ब माह में	
		लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा
1.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई -एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	-	-	प्रतीक्षित	
2.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून -एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	-	-	प्रतीक्षित	
3.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	06.02.2023	09.02.2023	1 महीने और 6 दिनों की देरी	1 महीने और 9 दिनों की देरी
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली- डी.एस.आई.आर.	29.03.2023	23.03.2023	2 महीने और 29 दिनों की देरी	2 महीने और 23 दिनों की देरी
5.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.), नई दिल्ली, (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	-	-	प्रतीक्षित	

क्रं.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि		विलम्ब माह में	
		लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा
6.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सी.ए.क्यू.एम.), (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	-	-	प्रतीक्षित	

1.6 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानकर्ताओं अर्थात सांविधिक निकाय, गैर-सरकारी संस्थाएं, आदि से अनुदान के उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए जो कि यह दर्शाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था जहां अनुदान सशर्त थे, निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया था। आठ मंत्रालयों / विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, **तालिका 6** में दिए गए आठ मंत्रालयों / विभागों में से सात में से कुल ₹ 26295.75 करोड़ जारी किए गए अनुदानों के लिए 36506 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) (31 मार्च 2022 तक) बकाया थे।

तालिका 6 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	बकाया यू.सी. की संख्या	कुल बकाया यू.सी. का हिस्सा (प्रतिशत)	बकाया यू.सी. से संबंधित राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि का हिस्सा (प्रतिशत)
1) डी.ए.ई.	880	2.41	108.63	0.41
2) डी.बी.टी.	18041	49.42	8004	30.44
3) डी.एस.टी.	9109	24.95	4415.86	16.79
4) डी.एस.आई.आर.	1786	4.89	11053.71	42.03
5) डी.ओ.एस.	520	1.42	40.52	0.15
6) एम.ओ.ई.एस	662	1.81	67.32	0.26
7) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	4715	12.92	793.41	3.02
8) एम.एन.आर.ई.	793	2.17	1812.30	6.89
कुल	**36506**	**100**	**26295.75**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या डी.बी.टी., डी.एस.आई.आर., डी.एस.टी. और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. से संबंधित है। मंत्रालय/विभाग-वार और बकाया यू.सी. की अवधिवार स्थिति **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

1.7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित खाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सी. एंड ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत सी. एंड ए.जी. द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के खातों के संबंध में रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

परिशिष्ट-III के अनुसार 25 सी.पी.एस.ई. और उनकी 16 कार्यान्वयन इकाइयाँ थीं जिनकी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए **परिशिष्ट-IV** में विस्तृत 14 सी.पी.एस.ई. का प्रमाणीकरण किया गया और उनके खातों के विरूद्ध शून्य टिप्पणियां जारी की गईं।

1.8 हानि और अपरिवर्तनीय देय राशि को बट्टे खाते में डालना/माफ करना

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के दौरान नुकसान और अपरिवर्तनीय देय राशि के संबंध में बट्टे में डाली गई राशि का विवरण **परिशिष्ट-V** में दिया गया है। डी.ए.ई. और एम.एन.आर.ई. में 'अन्य कारणों' श्रेणी के तहत 2071 मामलों में कुल ₹ 11.82 लाख की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई थी।

1.9 पिछली निरीक्षण रिपोर्टों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

एम.एस.ओ. (लेखापरीक्षा) (द्वितीय संस्करण) के अनुसार, कार्यालयों के प्रमुख और अगले उच्च अधिकारियों को आई.आर.एस. में निहित टिप्पणियों का जवाब देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों में समय-समय पर आई.आर.एस. में संप्रेषित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा भी की जाती है।

31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों की 1313 आई.आर. के 7902 पैराग्राफ निपटान के लिए लंबित थे और इनमें से 125 आई.आर. 1458 पैराग्राफ के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए है।

बकाया निरीक्षण रिपोर्टों और पैराग्राफों का विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट-VI** में दिया गया है।

1.10 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के मसौदे पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जून 1960 में सभी मंत्रालयों को ये निर्देश जारी किए कि वे सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकारी प्रतिक्रिया से संबंधित प्रावधान सी. एंड ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा एवं लेखे के नियम 2020 के पैरा 142 में वर्णित है।

मसौदा अनुच्छेद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं और उनसे छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफ मार्च 2022 से फरवरी 2023 के दौरान संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत रूप से भी पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे।

इस रिपोर्ट में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) सहित 14 पैराग्राफ शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

(ए) सिविल यूनिटों के लिए

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित

कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों / विभागों (**परिशिष्ट-VII** में विवरण) से संबंधित सी. एंड ए.जी. की प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेद पर 31 मार्च 2023 तक बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पता चला है कि पांच मंत्रालयों / विभागों से लंबित 14 ए.टी.एन. पहली बार ही 28 दिनों से 26 महीने और 22 दिनों तक की देरी के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, संशोधित ए.टी.एन., जिन्हें मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षीत टिप्पणियां/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के 20 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होता है, पांच मंत्रालयों/विभागों से सात मामलों में लंबित थे, जिनमें 31 मार्च 2022 तक 15 दिनों से 66 महीने और 8 दिनों तक की देरी थी। (**परिशिष्ट-VIII**)।

(बी) वाणिज्यिक इकाइयों के लिए

लोक सभा सचिवालय द्वारा (जुलाई 1985) में सभी मंत्रालयों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/संशोधानात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस तरह की टिप्पणियों को अनुच्छेद / मूल्यांकन के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था जिन्हें विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.ओ.पी.यू.) की समिति द्वारा नहीं चुना गया था। सी.ओ.पी.यू. ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (1998-99-बारहवीं लोक सभा) में, उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने के भीतर, समिति को पैराग्राफ प्रस्तुत करने के बाद सिफारिश की, अनुवर्ती ए.टी.एन. संसद में प्रस्तुत सी.ए.जी. के सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित रूप में प्रस्तुत किए जाने थे।

इन पांच मंत्रालयों / विभागों (**परिशिष्ट-VII** में विवरण) के तहत सी.पी.एस.यू. से संबंधित सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ पर 31 मार्च 2023 तक बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पता चला है कि दो मंत्रालयों से लंबित चार ए.टी.एन. पहली बार 23 महीने से 60 महीने तक की देरी के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे।

अध्याय - II

अंतरिक्ष विभाग

2.1 विद्युत शुल्क के रूप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय

अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, (एल.पी.एस.सी.-बी.), बैंगलुरू द्वारा बिजली विद्युत की वास्तविक खपत की मात्रा का अनुबंध मांग के अनुसार आंकलन न कर पाने के कारण ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जी.एफ.आर. 2017 के नियम 70 के अनुसार केंद्र सरकार का मंत्रालय/विभाग अपव्यय से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। कर्नाटक में विद्युत उपभोक्ता, हाई टेंशन विद्युत आपूर्ति के लिए बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी के साथ विद्युत आपूर्ति अनुबंध करते हैं। इन अनुबंधों के अनुसार, उपभोक्ता को समय-समय पर कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ एवं आपूर्ति की शर्तों के अनुसार ऊर्जा शुल्क का भुगतान करना होता है। विद्युत टैरिफ 2017 के अनुसार, एक माह में रिकॉर्ड की गई वास्तविक अधिकतम मांग या संविदा मांग का 75 प्रतिशत (जो मई 2018 से 85 प्रतिशत संशोधित किया गया था।) जो भी अधिक हो, पर मांग शुल्क लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि, डी.ओ.एस. की एक इकाई, एल.पी.एस.सी.-बी. ने अपनी टुमकुर स्थित इंटीग्रेटेड टाइटेनियम अलॉए टैंक निर्माण केंद्र के लिए बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी के साथ अगस्त 2019 में विद्युत आपूर्ति अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार मांग 5000 के.वी.ए. थी। बिलिंग एवं वास्तविक खपत की शुरूआत फरवरी 2020 से हुई। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 5000 के.वी.ए. की अनुबंध मांग वास्तविक खपत से काफी ज्यादा थी, जिसकी सीमा फरवरी 2020 से मार्च 2022 के बीच 25 के.वी.ए. से 2375 के.वी.ए. के बीच थी। केंद्र में बिजली की उच्चतम खपत की मात्रा एवं 2375 के.वी.ए. का वास्तविक खपत बेंचमार्क को लेते हुए, एल.पी.एस.सी.बी. अनुबंध

मांग के अनुसार विद्युत खपत को संरेखित नहीं कर सका, जिसके चलते बिजली की खपत नहीं की गई और बिजली के लिए भी शुल्क देना पड़ा जिससे ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। **(अनुबंध- 2.1)**

डी.ओ.एस. ने अप्रैल 2023 में बताया कि इंटीग्रेटेड टाइटेनियम टैंक निर्माण केंद्र की स्थापना एवं प्रवर्तन में कोविड-19 के कारण असाधारण देरी हुई, जिसके चलते केंद्र विद्युत का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर सका। हालांकि सी.एम.डी. को 5000 के.वी.ए. से 2000 के.वी.ए. कम करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण, एल.पी.एस.सी.-बी. इसे समय से लागू/प्रभाव में नहीं ला पाया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध मांग को कम करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोविड-19 काल में नवंबर 2020 में अनुमोदित कर दिया गया था, लेकिन डी.ओ.एस. की एल.पी.एस.सी.-बी. द्वारा बी.ई.एस.सी.ओ.एम. को आवेदन 16 महीनों की देरी से अप्रैल 2022 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद विद्युत प्राधिकारियों द्वारा अनुबंध मांग को 1.5 महीने अर्थात् जून 2022 से कम कर दिया गया था।

इस तरह से डी.ओ.एस. की एक इकाई एल.पी.एस.सी.-बी. द्वारा विद्युत अनुबंध मांग के अवास्तविक आंकलन के कारण ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

2.2 जीसैट-18 उपग्रह की क्षमताओं का उप-इष्टतम उपयोग

अंतरिक्ष विभाग ने अक्टूबर 2016 में उपग्रह जीसैट-18 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। उपग्रह का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। जिसके चलते अंतरिक्ष विभाग ने हार्डवेयर और प्रक्षेपण सेवा पर ₹ 17.27 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

जी.एफ.आर. 2017 के नियम 70 (iii) के तहत, मंत्रालय/विभाग अपने संसाधनों के प्रभावी, कुशल, आर्थिक और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, नियम 70 (ix) में कहा गया है कि विभाग सरकार को देय सभी धन एकत्र करने और और फिजूलखर्ची से बचाएगा। अंतरिक्ष विभाग ने अपने (जीसैट-18 उपग्रह) के विकास

के लिए मई 2015 में ₹1022 करोड़ की राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की। डी.ओ.एस. की अंतरिक्ष संपत्तियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, संचार उपग्रहों को इसके कक्षीय निशान पर चलाने के लिए कुशलतापूर्वक नियोजित किया जाएगा।

जीसैट-18 उपग्रह की उपग्रहीय क्षमता 48 ट्रांसपोंडर[5] है। ट्रांसपोंडर 24 सी. बैंड, 12 विस्तारित सी. बैड और 12 के.यु. बैंड ट्रांसपोंडर है। जैसा कि इनसैट-3 सी. 2016 की अंतिम तिमाही एवं 2019 की दूसरी तिमाही में इनसैट-4 सी.आर. अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया था और जीसैट-18 को इनसैट उसी उपग्रह के सी. बैंड/विस्तारित सी. बैंड और 'के.यू. बैंड' इनसैट-4 सी.आर. के प्रतिस्थापना के रूप में योजना बनाई गई थी। इनसैट 3 सी. उपग्रह के विस्तारित सी. बैंड ट्रांसपोंडर की मौजूदा वीसैट[6] सेवाओं को जीसैट-18 उपग्रह में स्थानांतरित किया जाना था।

अंतरिक्ष विभाग ने अक्टूबर 2016 में अपने सी और विस्तारित सी. बैंड में इनसैट 3 सी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं/सेवाओं की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदे गए लॉन्चर के माध्यम से एक तत्काल आधार पर जीसैट-18 लॉन्च किया क्योंकि नवंबर 2016 में उपग्रह अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंच रहा है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि जीसैट-18 अंतरिक्ष यान के छह विस्तारित सी बैंड ट्रांसपोंडर को इसके प्रक्षेपण से उपयोग में नहीं लाया गया था क्योंकि ये ट्रांसपोंडर पहले से ही जीसैट-14 में उपलब्ध थे।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि इन छह विस्तारित सी बैंड़ ट्रांसपोंडरो के लिए हार्डवेयर की प्राप्ति और इसकी बाहरी लॉन्च सेवा लागत पर किया गया व्यय भी उपलब्ध था।

---

[5] **ट्रांसपोंडर एक संचार उपग्रह पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते है जो स्त्रोत से संचार तक की सुविधा प्रदान करते है।**

[6] **बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सेवाएं।**

परिवहन प्रक्षेपण सेवा लागत भी परिहार्य थी। इसके हार्डवेयर[7] की लागत ₹ 13.53 करोड़ और इसके प्रक्षेपण सेवा लागत[8] ₹ 3.74 करोड़ थी।

अंतरिक्ष विभाग ने (फरवरी 2023) में कहा कि इन पांच वर्षों में अपेक्षित राजस्व पर्याप्त है और यह ₹ 117 करोड़ होगा। अंतरिक्ष विभाग ने यह भी कहा है कि सेवा की निरंतरता प्रदान करने के लिए एक अलग उपग्रह में जीसैट-14 उपग्रहों (सितंबर 2017) के जीवन के अंत के बाद अतिरिक्त छह विस्तारीत सी बैंड ट्रांसपोंडर के निकास की लागत पर्याप्त होगी। डी.ओ.एस. ने आगे कहा कि यह मानते हुए कि जीसैट-18 में ये अतिरिक्त 6 एक्सटेंशन सी बैंड ट्रांसपोंडर नहीं थे और यदि इन ट्रांसपोंडरों को सेवा की निरंतरता प्रदान करने के लिए एक अलग उपग्रह से ले जाया जाता तो उपग्रह के निर्माण एवं प्रक्षेपण की दिशा में व्यय बहुत अधिक होता।

डी.ओ.एस./आई.एस.आर.ओ. के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि 74 डिग्री ई आर्बिटल स्लॉट पर उपलब्ध विस्तारित सी बैंड स्पेक्ट्रम भारत में सेवाओं के लिए केवल 12 ट्रांसपोंडर को समायोजित कर सकता है। जब 12 ट्रांसपोंडर के साथ जीसैट-18 लॉच किया गया था तब 6 ट्रांसपोंडर के साथ जीसैट-14 प्रचालन में था, जिससे जीसैट-18 के 6 ट्रांसपोंडर कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए थे। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जीसैट-14 उपग्रह में छह के.यू. बैंड और छह विस्तारित सी बैंड सहित कुल 12 ट्रांसपोंडर है और 2027 में इसके जीवन के बाद निरंतरता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार डी.ओ.एस. इष्टतम तरीके से ट्रांसपोंडर की नियुक्ति कि योजना बना सकता है।

---

[7] जीसैट-18 का पेलोड ले जाने वाले 48 ट्रांसपोंडर की कुल लागत ₹ 108.20 करोड़ है, छह विस्तारित सी बैंड ट्रांसपोंडर की लागत ₹ 13.53 करोड़ होगी।

[8] छहः विस्तारित सी बैंड ट्रांसपोंडर की भार 29.92 किलो (36 सी बैंड ट्रांसपोंडर की भार/वजन 179.5 किलो, और प्रक्षेपण सेवाओं की दर 29.92 किलोग्राम के लिए $56197.44 होगी। तो प्रेक्षपण की तारीख 5 अक्टूबर 2016 को रूपांतरण के साथ ₹ 3.74 करोड़ होता है।

इस प्रकार अनुचित योजना और अतिव्यापी क्षमता का अनुमान लगाने के लिए किसी तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ जीसैट-18 के छह ट्रांसपोंडर अनुपयुक्त पड़े है।

2.3 विशेष ग्रेड के कार्बन फाईबर के निर्माण हेतु परियोजना का लघु समापन

वी.एस.एस.सी. ने अपने कार्यक्रमों की निरंतर रूप से पूर्ति के लिए विशेष ग्रेड (टी 800 ग्रेड) कार्बन फाईबर के स्वदेशीकरण के लिए एक परियोजना प्रारंभ की। लेकिन परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्धता (सुविधा, वित्तीय और जनशक्ति) की अस्पष्टता एवं अनुचित योजना के चलते समझौता ज्ञापन को समय से पहले बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरूवनंतपुरम, अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की एक इकाई, प्रक्षेपण वाहनों के डिजाईन एवं निर्माण के लिए अधिकृत है। वी.एस.एस.सी. मालिकाना आधार पर विक्रेता से कार्यक्रम के लिए प्रक्षपेण वाहन कंज्यूमेवल्स की खरीद करता है। वी.एस.एस.सी. अपने प्रक्षेपण वाहन परियोजनाओं के लिए कार्बन फाईबर (टी 800) का आयात करता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद[9] की राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने कार्बन फाईबर के निर्माण एवं टी 300 ग्रेड के कार्बन फाईबर के प्रसंस्करण के लिए तथा विशेष ग्रेड के कार्बन फाईबर के प्रसंस्करण के लिए एक एकीकृत इकाई स्थापित (जुलाई 2004) की थी। इसलिए वी.एस.एस.सी. ने फरवरी 2006 में एन.ए.एल. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत आयात विकल्प के रूप में अंतरिक्ष प्रयोग के लिए विशेष ग्रेड कार्बन (टी. 800 ग्रेड) फाईबर के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके। परियोजना सितंबर 2007 तक पूर्ण होनी थी जिसे मार्च 2015 तक पांच बार बढ़ाया गया। सुविधा उन्नयन एवं विकासात्मक कार्य के

[9] **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय स्वायत्त संस्था।**

समझौते ज्ञापन पर ₹ 3.50 करोड़ का भुगतान किया गया तथा बाद में एन.ए.एल. के अनुरोध पर 'विकासात्मक कार्य के लिए जनशक्ति' हेतु ₹ 50 लाख की स्वीकृति दी गई।

एम.ओ.यू. के अनुसार एन.ए.एल. को शुरूआत में 05 वर्ष के लिए विशेष ग्रेड कार्बन फाईबर वी.एस.एस.सी. को उपलब्ध कराना तथा इसे जारी रखना था। साथ ही एम.ओ.यू. में परियोजना से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के प्रावधान भी सम्मिलित थे। जानकारी/प्रक्रिया से उत्पन्न बौद्धिक संपदा का स्वामित्व एन.ए.एल. और वी.एस.एस.सी. के पास संयुक्त रूप से होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकरणों की खरीद में हुई देरी एवं अन्य तकनीकी कारण जो कि परियोजना की प्रगति के दौरान सामने आए के कारण परियोजना को 2015 तक 05 बार बढ़ाया गया जो कि अनुचित नियोजन का संकेतक था। इसके अलावा, बार-बार विस्तार के बावजूद, जनशक्ति के संदर्भ में परियोजना का समर्थन करने में असमर्थता के कारण एन.ए.एल. विशेष ग्रेड (टी 800 क्लास) कार्बन फाइबर विकसित नहीं कर सका। वी.एस.एस.सी. एवं एन.ए.एल. ने आपसी सहमति (जुलाई 2019) से एम.ओ.यू. को समय से पहले खत्म करने का निर्णय लिया। एन.ए.एल. ने अक्टूबर 2015 के बाद गतिविधि को आगे नहीं बढ़ाया। जुलाई 2019 में आयोजित परियोजना समीक्षा बैठक में, विकास में लगने वाला भारी निवेश और समय तथा एन.ए.एल. टीम की डी.आर.डी.ओ. तथा बी.ए.आर.सी. के लिए कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने में अतिव्यस्तता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि एम.ओ.यू. को बिना किसी विस्तारण के समयपूर्व पूरी कर दी जाए।

एम.ओ.यू. के अनुसार एन.ए.एल. एवं वी.एस.एस.सी. के सदस्यों से बनी संयुक्त समीक्षा समिति (जे.आर.सी.) को प्रत्येक 03 महीनों में परियोजना की समीक्षा करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2006 से मई 2019 की अवधि के दौरान जे.आर.सी. की बैठक वर्ष 2007 के अंत तक नियमित रूप से आयोजित की गई। हालांकि उसके आगे के समय में जे.आर.सी. की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई। 2008-2016 की अवधि के दौरान समीक्षा बैठक वर्ष में एक या दो बार ही आयोजित की गई। 2016 के बाद जे.आर.सी. की बैठक केवल एक बार 2019 में आयोजित की गई।

वी.एस.एस.सी. के निदेशक द्वारा गठित एक समिति ने एन.ए.एल. संयंत्रों का दौरा किया तथा अनुशंसा (नवंबर 2005) की कि एन.ए.एल. के पास, आई.एस.आर.ओ. की आवश्यकतानुसार विशेष ग्रेड के कार्बन फाईबर का निर्माण करने की विशेषज्ञता एवं क्षमता दोनों है। हालांकि, एन.ए.एल. ने (दिसंबर 2022) में बताया कि कार्बन फाईबर की गुणवत्ता, आई.एस.आर.ओ. के मानकों के अनुरूप करने के लिए आवश्यक उपकरण टेक्नोलॉजी डिनायल रेजीम में है तथा इन उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर विकसित करने की पर्याप्त तकनीक उपलब्ध नहीं है।

इस तरह अनुचित योजना तथा स्त्रोतों के उपलब्धता के बारे में अस्पष्टता (संयंत्र, उपलब्धता वित्तीय एवं जनशक्ति) के चलते परियोजना को समय पूर्व बंद कर दिया गया। इस तरह ₹ 4 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि टी 800 श्रेणी के कार्बन फाईबर के निर्माण के लिए सार्थक कोष एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक उत्पादन इकाई की आवश्यकता है। वी.एस.एस.सी. ने आगे बताया (अक्टूबर 2021) कि एन.ए.एल. वी.एस.एस.सी. द्वारा वर्णित आवश्यकताओं को पूरा ना कर सका। हालांकि एन.ए.एल. ने ऐंसे कार्बन फाईबर का निर्माण किया जो कि उसके टी 300 संस्करण से अच्छा था लेकिन उसकी आवश्यकतानुसार टी 800 की गुणवत्ता के अनुरूरप नहीं था।

डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2023) कि अपेक्षित नतीजों तक न पहुंच पाने तथा एन.ए.एल. द्वारा परियोजना को जनशक्ति के रूप में समर्थन ना दे पाने के कारण एम.ओ.यू. समयपूर्व बंद कर दिया गया।

वी.एस.एस.सी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एन.ए.एल., आई.एस.आर.ओ. की आवश्यकतानुसार पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला स्तर तक भी नहीं कर पाया। इसके अलावा, परियोजना के परिणामस्वरूप विकसित प्रक्रिया पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

अध्याय - III

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 यात्रा भत्तों पर ₹ 67.48 लाख का अस्वीकार्य भुगतान

भारत सरकार के आदेश के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए नव-नियुक्त वैज्ञानिकों के कार्यग्रहण के लिए यात्रा भत्ते पर ₹ 67.48 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

आधुनिक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी (डी.बी.टी.) के ज्ञान के आधार में सुधार करने एवं उस ज्ञान से सामाजिक लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से जैव विविधता विभाग ने 15 विषय आधारित स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया था।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि जैव विविधता विभाग के स्वायत्त संस्था के प्रबंधक निकायों ने भारत के भीतर वैज्ञानिकों की पहली नियुक्ति पर व्यक्तिगत सामानों के परिवहन पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नये वैज्ञानिकों की भर्ती एवं यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि जैव विविधता विभाग के 15 में से 10 संस्थाओं ने नव-नियुक्त वैज्ञानिकों को ₹ 67.48 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति **अनुबंध-3.1** में वर्णित विवरण के अनुसार की।

पूरक नियम 105[10] के अंतर्गत अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा नव-नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए कार्यभार ग्रहण करने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने को लेकर कोई प्रावधान नहीं

[10] **अनुपूरक नियम 105 में प्रावधान है कि "विदेश में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों/तकनीकी अधिकारियों को भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए उनके चयन पर वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इकोनॉमी (पर्यटक) वर्ग द्वारा हवाई यात्रा की अनुमति उस देश से दी जा सकती है, जहां वह भारत में डिस्एंबारकेशन पोर्ट पर कार्य कर रहा हो।**

है। हालाँकि प्रबंधक निकायों (जी.बी.) के पास नव-नियुक्त वैज्ञानिकों के संबंध में यात्रा भत्ता के भुगतान के लिए नियम/प्रावधान बनाने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन संबंधित प्रबंधक निकायों की सिफारिशों के आधार पर, डी.बी.टी. ने नव-नियुक्त वैज्ञानिकों को परिवहन और यात्रा शुल्क के रूप में ₹ 67.48 लाख की प्रतिपूर्ति की।

डी.बी.टी. ने अपने उत्तर (फरवरी 2023) में कहा कि स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर ने संबंधित व्यक्तियों से ₹ 1.60 लाख की वसूली कर ली है एवं बाकी बचे वैज्ञानिकों से वसूली हेतु आदेश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार पूरक नियम 105 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए इन 10 ए.बी. ने नव-नियुक्त वैज्ञानिकों के कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में ₹ 67.48 लाख का भुगतान किया।

अध्याय-IV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के कारण ₹ 94.09 लाख का परिहार्य व्यय

एन.सी.एल., पुणे सबसे कम बोली लगाने वाले को संविदा न देकर अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं कर सका, जिसके कारण ₹ 94.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.), पुणे 1950 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला है। 1952 से एन.सी.एल. अपने कर्मचारियों, पेंशन उपभोक्ताओं, पारिवारिक पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए एक चिकित्सा औषधालय चला रहा है।

सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल., पुणे ने अपने नियमित कर्मचारियों, पेंशन उपभोक्ताओं और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को क्रेडिट आधार पर दवाएं देने के लिए एक निविदा (मई 2015) जारी की और निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार क्रेडिट आधार पर दवा उपलब्ध कराने के लिए विक्रेता के साथ 02.01.2016 से 01.01.2018 की अवधि के लिए अनुबंध (जनवरी 2016) किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बेची जाने वाली दवाओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 11.97 प्रतिशत की छूट लागू की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध की अवधि जनवरी 2018 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन एन.सी.एल. ने एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद, अप्रैल 2019 में ही नई निविदा जारी की, इस बीच मौजूदा विक्रेता की सेवाओं का उपयोग जारी रखा। एन.सी.एल. द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) ने सभी तीनो बोलीदाताओं को

तकनीकी रूप से योग्य घोषित (जुलाई 2019) किया और वित्तीय बोलियों के आधार पर तथा क्रेडिट आधार पर दवाएं देने के लिए एम.आर.पी. पर 27 प्रतिशत की उच्चतम छूट देने वाले बोलीदाता के रूप दूसरे विक्रेता को सितंबर 2019 से अगस्त 2021 की अवधि के लिए योग्य घोषित किया। हालांकि, विक्रेता को अनुबंध पत्र जारी करने से ठीक पहले, अगस्त 2019 में नो कनविक्शन सर्टिफिकेट (एन.सी.सी.) के संबंध में अन्य दो बोलीदाताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.ई.सी. ने शुरू में सफल बोली लगाने वालों की तकनीकी क्षमता पर अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की और सलाह दिया कि कानूनी सलाहकार की सलाह पर असफल बोली लगाने वालों को उपयुक्त जवाब दिया जाए और सफल बोली लगाने वाले को अवार्ड पत्र जारी करके निविदा प्रक्रिया का समापन किया जाए। हालाँकि, एन.सी.एल. ने (सितंबर 2019) में, विक्रेता से 15 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में अपने सभी निर्गम का एन.सी.सी. जमा करने को कहा जबकि निविदा की शर्तों में केवल यह पूछा गया था कि संभावित बोलीदाताओं को राज्य दवा प्राधिकरणों द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो, जिसके लिए विक्रेता ने पहले ही आवश्यक प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। जवाब में विक्रेता ने सभी निर्गम के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था करने हेतु 45-50 दिनों के समय का अनुरोध (सितंबर 2019) किया। हालाँकि, विक्रेता के इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और एन.सी.एल. ने विक्रेता को यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया कि वह निर्धारित समय अवधि के भीतर शेष निर्गम के लिए एन.सी.सी. जमा नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एन.सी.एल. ने सितंबर 2019 से जुलाई 2021 के बीच निविदा के लिए दो बार कोशिश की, लेकिन हर बार न्यूनतम वार्षिक कारोबार के मानदंड और सीमित कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हो, जैसे कारणों से संसाधित नहीं हो सका। बोली लगाने वालों के पास न्यूनतम तीन वर्षों का सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू. में फार्मेसी सेवाएं प्रदान करने का निरंतर

अनुभव हो और पेश की गई छूट पर्याप्त प्रतिस्पर्धी न हो। एन.सी.एल. ने सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से एक और निविदा (जुलाई 2021) जारी की जिसका अनुबंध (सितंबर 2021) विक्रेता को 24.75 प्रतिशत की छूट के साथ 36 महीने के अवधि के लिए अक्टूबर 2021 से दिया गया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि इस बार एन.सी.एल. ने जिसके पास कई निर्गम थे के संबंधों के बारे में 'नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की जरुरत के बारे में उल्लेख नहीं किया, जैसा कि पिछली बार टी.ई.सी. के द्वारा मूल्यांकन समाप्ति के बाद लेखापरीक्षा से पूछा गया था। इसके अलावा, सफल बोली लगाने वाले पर नई शर्त लगाने और फिर नए खंड के अनुपालन के लिए बहुत सीमित समय प्रदान करके उसे अयोग्य घोषित करने के औचित्य को नहीं समझा जा सका। इस बीच, एन.सी.एल. मौजूदा विक्रेता से सेवाओं का उपयोग करता रहा।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विक्रेता द्वारा सितंबर 2019 से सितंबर 2021 के दौरान, सकल मूल्य (एम.आर.पी.) ₹ 6,25,99,733/- की दवाई की आपूर्ति की गई। अगर एन.सी.एल. ने सितंबर 2019 में ही एक सफल बोलीदाता होने के कारण, दवा विक्रेता और एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पुणे के साथ अनुबंध किया होता तो ₹94,08,740/-[11] की बचत की जा सकती थी।

सी.एस.आई.आर. ने अपने जवाब (जनवरी 2023) में केवल उपरोक्त तथ्य को दोहराया तथा एक सफल बोली लगाने वालों पर स्वनिर्णय के आधार पर नए खंड लगाने वाले तथ्य का कोई औचित्य नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2019 से सितंबर 2021 के दौरान छूट की अंतर राशि के लिए ₹ 94.09 लाख का परिहार्य नुकसान हुआ।

[11] **₹ 6,25,99,733*15.03%(27%-11.97%)=₹ 94,08,740/-**

अध्याय-V

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

5.1 ₹ 1.04 करोड़ का अनावश्यक व्यय

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) द्वारा समन्वय की कमी और अप्रभावी निगरानी के कारण औद्योगिक भागीदार द्वारा पायलट संयंत्र की स्थापना नहीं हो पाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

"पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) ने "स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियों का विकास और संवर्धन" योजना के तहत भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.), हैदराबाद और एक औद्योगिक भागीदार मैसर्स स्वीटेक एनवायरन्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड को संयुक्त रूप से ₹ 2.58 करोड़ की कुल लागत से "पौधे आधारित अखाद्य तेलों से पॉलीओल्स के विकास के लिए प्रौद्योगिकी" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी (दिसंबर 2013)। परियोजना की अवधि दो वर्ष थी। पायलट प्लांट अध्ययनों के आधार पर डिलिवरेबल्स पर्यावरण-अनुकूल पॉलीओल्स का विकास और व्यवसायीकरण थे। जबकि आई.आई.सी.टी. का दायरा पॉलीओल्स की प्रौद्योगिकी को विकसित करना था, औद्योगिक भागीदार को अपने परिसर में पायलट संयंत्र को डिजाइन और स्थापित करना और प्रौद्योगिकी को उन्नत करना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने फरवरी 2014 में आई.आई.सी.टी. को ₹ 31 लाख और औद्योगिक भागीदार को ₹ 64 लाख की पहली किस्त जारी की।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अपनी मंजूरी (दिसंबर 2013) में आई.आई.सी.टी. और औद्योगिक भागीदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना शुरू होने से पहले फर्म, आई.आई.सी.टी. और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के बीच इस तरह के किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। आई.आई.सी.टी. और औद्योगिक भागीदार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता परियोजना मंजूरी से लगभग छह साल बीत जाने के बाद नवंबर 2017 में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्ताव में सुपुर्दगी के संदर्भ में स्पष्टता की कमी थी और धन जारी करना किसी भी मध्यवर्ती लक्ष्य से संबंधित नहीं था। परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) ने सितंबर 2014 में आयोजित अपनी पहली बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसी बैठक में, समिति ने सक्षम समिति द्वारा पायलट संयंत्र के डिजाइन की गैर-समीक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आई.आई.सी.टी. द्वारा हालांकि फरवरी 2015 में दो पॉलीओल्स के लिए प्रक्रिया की जानकारी का विकास पूरा कर लिया था, लेकिन औद्योगिक भागीदार द्वारा पायलट संयंत्र की स्थापना ना करने के कारण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन नहीं कर सका। पायलट संयंत्र स्थापित करने में औद्योगिक भागीदार की लापरवाही के कारण पी.एम.सी. ने एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. पर दबाव डाला कि वह औद्योगिक भागीदार को दूसरी किस्त जारी करने को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि समीक्षाओं की श्रृंखला के माध्यम से संदेह से परे यह निर्धारित नहीं हो जाता कि कंपनी उद्देश्य पूरा कर सकती है अन्यथा, फंडिंग एजेंसी के लिए जोखिम बहुत अधिक होगा।

हालांकि, मंत्रालय ने लंबित कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2016 में आई.आई.सी.टी. और औद्योगिक भागीदार को क्रमशः ₹ 20.50 लाख

और ₹ 40.00 लाख की दूसरी किस्त जारी की और अक्टूबर 2017 तक परियोजना की अवधि को दो बार इस शर्त के साथ बढ़ाया जिससे कि आगे किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, दूसरी किस्त प्राप्त होने के बाद भी औद्योगिक भागीदार द्वारा पायलट संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी। आई.आई.सी.टी. द्वारा ₹ 50.94 लाख की लागत से विकसित पॉलीओल्स की तकनीक का व्यवसायीकरण परियोजना की मंजूरी के सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया, जिससे औद्योगिक भागीदार को जारी किया गया ₹ 1.04 करोड़ का पूरा खर्च व्यर्थ हो गया।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने (जनवरी 2023), कहा कि फर्म को जून 2022, जुलाई 2022 और अक्टूबर 2022 में तीन बार संयंत्र स्थापित करने, सभी पॉलिओल्स के उत्पादन को प्रदर्शित करने और आई.आई.सी.टी. द्वारा पॉलिओल्स का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है, लेकिन औद्योगिक भागीदार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। अंत में, जनवरी 2023 में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने औद्योगिक भागीदार को पी.एम.सी. के समक्ष परियोजना का प्रदर्शन करने और 90 दिन की समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि अप्रैल 2023 तक, परियोजना के उद्देश्य को विफल करते हुए संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है।

इसलिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समन्वय की कमी और अप्रभावी निगरानी के कारण औद्योगिक भागीदार द्वारा पायलट संयंत्र की स्थापना नहीं हुई और ₹ 1.04 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही पायलट संयंत्र अध्ययनों पर आधारित पर्यावरण अनुकूल पॉलिओल्स के विकास और वाणिज्यीकरण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

5.2 अपशिष्ट विनाश संयंत्र पर ₹ 3.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना का अकुशल संचालन परियोजना प्रबंधन समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जुर्माना खण्ड के साथ किसी भी कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर न करने और परियोजना भागीदारों द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 3.43 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) ने "अपशिष्ट विनाश के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना" नाम की परियोजना विदेशी भागीदार के सहयोग से एक परियोजना प्रस्तावक के साथ मैसर्स ए.पी.टी. वर्जिनिया यू.एस.ए. को ₹ 6.26 करोड़ की राशि की लागत से मंजूरी (सितंबर 2010) दी। परियोजना को जी.आई.डी.सी. एस्टेट अंकलेश्वर, गुजरात के एक भूखण्ड पर स्थापित किया जाना था, जिसका स्वामित्व अन्य सहयोगी मैसर्स पीट इंटरनेशनल, यू.एस.ए. के पास था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को ₹ 3.71 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में देनी थी इसके साथ ₹ 2.55 करोड़ की राशि इसके औद्योगिक भागीदार द्वारा वहन की जाना था (₹ 1.25 करोड़ की राशि विदेशी सहयोगियों द्वारा 150 किलोवाट की आर.एफ. टोर्च के लिए दिया जाना था और ₹ 1.30 करोड़ की राशि उद्योग के द्वारा)। परियोजना का उद्देश्य प्लाज्मा प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए खतरनाक/हानिकारक कचरे का उपचार करना था। इसके अलावा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी.पी.सी.बी.) कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी होने के कारण मंत्रालय ने एक परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) का गठन (अक्टूबर 2012) परियोजना की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए किया। यह परियोजना 18 माह के भीतर सितंबर 2013 तक पूरी की जानी थी, लेकिन समय-समय पर यह बाद में जून 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

विदेशी भागीदार ने इस परियोजना से अपना समर्थन वापस (अप्रैल 2013) ले लिया और पी.एम.सी. ने (अगस्त 2013), एक अन्य विदेशी एजेंसी को एक विदेशी भागीदार के लिए परियोजना प्रस्तावक देने हेतु इसमें शामिल करने का निर्णय लिया। एक नया साझेदार बदलने के बाद एक नये एम.ओ.यू. विदेशी भागीदार और मैसर्स टेकना प्लाज्मा सिस्टम इंक के बीच हस्ताक्षरित (मार्च 2014 में) किया गया जिसका पी.एम.सी. ने अगस्त 2013 की अपनी तीसरी बैठक में समर्थन किया। मंत्रालय ने ₹ 3.34 करोड़ की राशि मार्च 2012 और नवंबर 2016 के बीच जारी कि, जिसके विरूद्ध अगस्त 2019 तक ₹ 3.49 करोड़ की राशि का व्यय बताया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल प्रस्ताव में आर.एफ. टार्च और बिजली आपूर्ति प्रणाली की लागत, प्लाज्मा प्रौद्योगिक के प्रमुख घटकों में से एक की लागत औद्योगिक भागीदार द्वारा वहन की जानी थी किंतु विदेशी भागीदार में बदलाव के बाद (मैसर्स टेकना प्लाज्मा सिस्टम इन्क), मंत्रालय से दिए गए बजट में से विदेशी भागीदार द्वारा परियोजना प्रस्तावक को ₹ 1.60 करोड़ की राशि प्रदान की गयी। मार्च 2019 में दी गई आर.एफ. टोर्च को मंत्रालय के खर्चे पर अनियमित रूप से खरीदा गया, यह जनवरी 2019 में पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) द्वारा दिए गए कारण बताओं नोटिस से स्पष्ट है। टोर्च अस्थिर पडा हुआ है क्योंकि परियोजना प्रस्तावना ने अपने भारतीय कार्यालय को बंद कर दिया था। यह भी पाया गया कि रखरखाव की कमी और मरम्मत की आवश्यकता के कारण आर.एफ. टॉर्च का शीर्ष हिस्सा जंग खा गया है।

परियोजना प्रस्तावना द्वारा ₹ 2.55 करोड़ के योगदान में से ₹ 2.42 करोड़ का व्यय (अगस्त 2019 तक) भवन, भूमि विकास, वेतन, परिवहन, बिजली कनेक्शन आदि के लिए बताया गया था। तथापि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि एवं भवन की लागत पर व्यय अनुमेय नही थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि परियोजना के लिए पी.एम.सी. की बैठक अप्रैल 2015 से जनवरी 2020 तक आयोजित नही की गई थी। पी.एम.सी. ने जनवरी 2020 की बैठक में प्लाज्मा प्लांट काम नहीं करने का संकेत दिया था। 04 सितंबर 2021 को सी.पी.सी.बी. क्षेत्रीय निदेशालय, जी.पी.सी.बी. सतर्कता दल, जी.पी.सी.बी. (क्षेत्रीय कार्यालय अंकलेश्वर) द्वारा परियोजना स्थल के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह भी पाया गया कि संयंत्र चालू नहीं था और मशीनरी निष्क्रिय स्थिति में थी और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया की परियोजना चालू नहीं थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14 सितंबर 2022 को ट्रायल रन तथा 15 सितंबर 2022 को इसका प्रदर्शन किया गया। ट्रायल रन रिपोर्ट पर सी.पी.सी.बी. और पी.एम.सी. सदस्यों ने बताया कि परियोजना बेहद खराब स्थिति में है और यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जनवरी 2023) ने कहा कि परियोजना प्रस्तावना को पी.एम.सी. के समक्ष परियोजना का प्रदर्शन करने और इसे अंतिम अवसर के रूप में 90 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। मंत्रालय के उत्तर का तात्पर्य है कि परियोजना को अब तक चालू नहीं किया गया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना के अयोग्य संचालन के कारण, पी.एम.सी. द्वारा निगरानी की कमी और जुर्माना प्रावधान के साथ स्पष्ट जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले किसी कानूनी समझौते की अनुपस्थिति के कारण प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए हानिकारक कचरे के उपचार को प्रदर्शित करने की परियोजना स्थापित नही की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप आर.एफ. टॉर्च की खरीद पर ₹ 1.60 करोड़ के अनियमित व्यय के अलावा ₹ 3.43 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और संबंधित लाभ प्राप्त नहीं हुए।

अध्याय - VI

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

6.1 ₹ 13 करोड़ का अनावश्यक व्यय

परियोजना का खराब कार्यान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों से विचलन और आई.आई.सी.टी. द्वारा स्वीकृति आदेश के नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 13 करोड़ व्यय करने के बाद परियोजना को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने किफायती, टिकाऊ और अधिक कुशल डाई संवेदीकृत सौर सेल (डी.एस.एस.सी.)[12] विकसित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संपर्क किया। यह परियोजना सात अन्य सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के सहयोग से बनाई गई थी और आई.आई.सी.टी. को नोडल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया था। इस परियोजना को दिसंबर 2011 में ₹ 42.32 करोड़ की राशि की लागत से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। परिकल्पित लक्ष्य, 12 प्रतिशत दक्षता वाला डी.एस.एस.सी. टेस्ट सेल डिवाइस एवं 7 प्रतिशत दक्षता वाला माड्युल/मापांक था। एम.एन.आर.ई. ने अप्रैल 2012 में पहली किस्त के रूप में ₹ 6.00 करोड़ और अगस्त 2014 में ₹ 7 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की थी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एम.एन.आर.ई. की परियोजना निगरानी समिति द्वारा नवंबर 2016 में परियोजना की समीक्षा की गई थी और यह भी पाया गया कि सेल द्वारा प्राप्त दक्षता परिकल्पित 12 प्रतिशत के मुकाबले केवल 7 प्रतिशत थी। समिति ने सेल की स्थिरता के संबंध में अपर्याप्त डेटा की उपलब्धता भी देखी। समिति ने

[12] **डाई सेंसिटाइज्ड़ सोलर सेल डी.एस.एस.सी. आज के जंक्शन फोटोवोल्टिक उपकरणों के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से विश्वसनीय वैकल्पिक अवधारणा प्रदान करता है।**

आई.आई.सी.टी. को परियोजना की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी। समिति ने यह भी सिफारिश की कि आई.आई.सी.टी. अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकताओं को उचित ठहराता है तो शेष धनराशि जारी की जाए।

परियोजना के पूर्ण होने की तिथि को मई 2017 तक बढ़ा दिया गया था। इसी बीच आई.आई.सी.टी. ने स्थायित्व अध्ययन पूरा करने के लिए कम से कम ₹ 9.80 करोड़ की मांग करते हुए संशोधित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एम.एन.आर.ई. ने (जनवरी 2023) कहा कि परियोजना की खराब प्रगति के कारण एम.एन.आर.ई. द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी और आई.आई.सी.टी. भी जारी की गई निधियों के लिए उपयोगी प्रमाण पत्र और व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आगे, एम.एन.आर.ई. ने पाया कि आई.आई.सी.टी. परियोजना के लिए जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया। विशेषज्ञों ने अंतिम परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा के बाद पाया कि आई.आई.सी.टी. ने कई मुद्दे को विचलित कर दिया। इसलिए, एम.एन.आर.ई. के द्वारा जारी सीमित निधियों के साथ, आई.आई.सी.टी. 12 प्रतिशत की लक्षित दक्षता और 5000 घंटो के लक्षित स्थायित्व की तुलना में बहुत कम दक्षता वाले परीक्षण सेल उपकरण विकसित कर सका।

आई.आई.सी.टी. को स्थायित्व अध्ययन पूरा किए बिना मई 2017 में परियोजना को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यवसायीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थायित्व के मुद्दे को संबोधित करने का मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए परियोजना शुरू की गई थी, हासिल नहीं किया गया। आई.आई.सी.टी. व्यावसायीकरण के लिए उद्योगों से संपर्क नही कर सका क्योंकि 5000 घंटों का आवश्यक स्थायित्व हासिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, परियोजना को समाप्त कर दिया गया क्योंकि कई मुद्दों[13] में विचलन और मंजूरी आदेश के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने का अंतिम उद्देश्य[14] हासिल नहीं किया जा सका।

आई.आई.सी.टी. ने (जनवरी 2023) कहा कि एम.एन.आर.ई. ने आगे का अनुदान जारी नही किया और इसलिए यह अपनी परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति शत प्रतिशत नहीं कर सका। संस्थान ने आगे कहा कि डी.एस.एस.सी. तकनीक पर काम करते हुए, उसने एक अन्य तकनीक अर्थात् पेरोव्स्काइट सोलर सेल में अनुसंधान एवं विकास गतिविधि शुरू की तथा काफी अच्छी प्रगति की और प्रकाशनों के संदर्भ में वैज्ञानिक ज्ञान भी उत्पन्न किया।

आई.आई.सी.टी. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना की प्रगति अच्छी नही थी और आई.आई.सी.टी. द्वारा समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही थीं। इसके अलावा, आई.आई.सी.टी. ने आई.आई.सी.टी. को जारी की गई राशि के लिए व्यय का समग्र विवरण (एस.ओ.ई.) और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विशेषज्ञों ने परियोजना समापन रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद आई.आई.सी.टी. द्वारा अन्य प्रौद्योगिकी नामतः पेरोव्स्काइट सोलर सेल

---

[13] **उच्च स्तरीय समिति ने अंतिम परियोजना रिपोर्ट (सितंबर 2017) की समीक्षा के बाद कई मुद्दे जैसे कि अन्वेषक और उनके समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्य परियोजना के निष्पादन की निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किया गया और 0.25 वर्ग से.मी. के बहुत छोटे क्षेत्र में प्राप्त दक्षता काफी अधिक नहीं है और परियोजना समयरेखा में प्रस्तावित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यह निष्कर्ष निकाला गया कि डी.एस.एस.सी. की दक्षता कमरे के तापमान पर उत्पादन करने में सक्षम अन्य प्रौद्योगिकियों (समान सक्रिय क्षेत्र को देखते हुए) की तुलना में बहुत कम है और डी.एस.एस.सी. की तुलना में बहुत अधिक स्थिरता के साथ, स्केलिंग के परीक्षण के लिए इस क्षेत्र में अधिक निवेश करना उचित नहीं है और यह तकनीकी वाणिज्यिक पहलुओं के लिए अच्छा नहीं था।**

[14] **स्वीकृत आदेश में उल्लिखित परियोजना का उद्देश्य लागत प्रभावी, टिकाऊ और कुशल डी.एस.एस.सी. विकसित करना था, इसके अलावा ज्ञान गहन लक्षण वर्णन और प्रक्रिया के साथ नवीन सामग्रियों को एकीकृत करने के समग्र दृष्टिकोण को लागू करके लंबे स्थायित्व वाले मॉड्यूल का विकास करना था।**

पर की गई अनुसंधान गतिविधियों पर विचार किया गया और कुछ पत्रों का प्रकाशन भी परियोजना कार्यान्वयन के विचलन में था।

इस प्रकार परियोजना की खराब प्रगति, परिकल्पित लक्ष्य से विचलन और आई.आई.सी.टी. द्वारा स्वीकृति आदेश के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण ₹ 13 करोड़ के व्यय के बाद परियोजना को समाप्त कर दिया गया।

मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया है।

अध्याय - VII

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

7.1 त्रुटिपूर्ण अनुबंध के चलते प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 76.75 लाख का अनियमित भुगतान

परियोजना ऋणों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौते को अकुशलतापूर्वक तैयार किया गया था जिसके चलते एस.आई.डी.बी.आई. को घटती शेष राशि की जगह प्रारंभिक संवितरण राशि पर वार्षिक प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ। इसके अलावा, परियोजनाओं के वित्तीय निपटान के बाद भी एस.आई.डी.बी.आई. ने प्रबंधन शुल्क वसूलना जारी रखा।

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक स्वायत्त संस्था है। डी.एस.टी. की स्थायी वित्त समिति ने ₹30 करोड़ की कॉर्पस निधि के साथ टी.आई.एफ.ए.सी.-एस.आई.डी.बी.आई. के संयुक्त, तकनीकी नवाचार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 'प्रौद्योगिकी नवाचार कोष' बनाने के टी.आई.एफ.ए.सी. के प्रस्ताव को मंजूरी (मई 2010) दी। इस कोष को बनाने का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के विकास एवं प्रदर्शन को आर्थिक रूप से सहयोग करना था।

इस कोष के प्रबंधन के लिए टी.आई.एफ.ए.सी. एवं एस.आई.डी.बी.आई. के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया (नवंबर 2010)। एम.ओ.यू. के खंड 9 के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन के लिए एस.आई.डी.बी.आई द्वारा वितरित राशि का एक प्रतिशत शुल्क फंड के प्रबंधन के लिए एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा वसूलने पर सहमति हुई थी।

₹ 30 करोड़ की प्रस्तावित कॉर्पस निधि टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा एस.आई.डी.बी.आई. के निपटान में रखी जानी थी। प्रारंभिक रूप से इस कोष की अवधि एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने की दिनांक से 10 वर्ष तक थी जिसे बाद में 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। एम.ओ.यू. के अनुसार, एस.आई.डी.बी.आई. को फंड की अवधि के दौरान कंपनियों को पैसा उधार देना था। हालाँकि, यह फंड की अवधि समाप्त होने के बाद भी बकाया ऋणों की वसूली जारी रखेगा।

2011-22 के दौरान ऋण के रूप में टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा अनुमोदित 27 परियोजनाओं के लिए एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा ₹ 21.46 करोड़[15] की राशि वितरित की गई और उसके विरूद्ध ₹ 15.75 करोड़ के ऋण का पुर्नभुगतान प्राप्त हुआ। 2011-22 की समयावधि के लिए एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा दी गई सेवाओं के लिए प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 1.59 करोड़ वसूले गए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एम.ओ.यू. का खंड 9 जो कि प्रबंधन शुल्क की बुकिंग से संबंधित है टी.आई.एफ.ए.सी. के हितों की रक्षा नहीं करता क्योंकि यह एस.आई.डी.बी.आई. को यह अधिकार देता है कि यह वितरित ऋण राशि पर 1 प्रतिशत की दर से प्रबंधन शुल्क वसूल सके। हालांकि ये ऋण राशि के पुर्नभुगतान और परियोजना के बंद होने को ध्यान में नहीं रखता।

परिणामस्वरूप, यह अवलोकन किया गया कि 2012-22 के दौरान एस.आई.डी.बी.आई. ने ₹ 76.75 लाख (सेवा कर के साथ) अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क वसूल किया इसके अंतर्गत ऐंसी परियोजनाएं भी शामिल थीं जिनमें ₹ 15.75 करोड़ पहले ही पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हो चुके थे और ₹ 9.56 करोड़ का ऋण पूरी तरह से निपटान किया

[15] **कोष के निर्माण से 31 मार्च 2022 तक।**

गया ऋण था। लेखापरीक्षा यह भी अवलोकन किया कि 24 परियोजनाओं[16] में से 11 परियोजनाएँ[17] जिनमें ऋण की राशि ₹ 9.56 करोड़ वितरित की गई थी को 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया गया था फिर भी एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा मार्च 2022 तक इन ऋणों पर प्रबंधन शुल्क (₹ 35.23 लाख) की वसूली की गई। आगे एम.ओ.यू ने एस.आई.डी.बी.आई. को ना केवल ₹ 9.56 करोड़ के निपटारित ऋण बल्कि ऐसे बकाया ऋणों पर जिनका पुर्नभुगतान अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2025 के दौरान किया जाना है, पर भी प्रतिवर्ष प्रबंधन शुल्क वसूलने का अधिकार दिया।

इस तरह टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा एम.ओ.यू. के खंड 9 को राजकोष के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप एस.आई.डी.बी.आई. को ₹ 76.75 लाख के रूप में एक परिहार्य भुगतान किया गया जो कि प्रबंधन शुल्क (सेवा कर सहित) के रूप में मार्च 2022 तक किया गया और जो आगे भी 2025 तक किया जाएगा।

लेखापरीक्षा से आंशिक रूप से सहमति जताते हुए, डी.एस.टी. ने अपने प्रत्युत्तर में कहा (नवंबर 2022) कि 01 अक्टूबर 2022 से एस.आई.डी.बी.आई. केवल लाईव खातों पर दिए गए ऋण पर ही 1 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क वसूल करेगा और साथ ही एम.ओ.यू. में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हालांकि हालिया समझौते अभी भी एस.आई.डी.बी.आई. को प्रारंभ में वितरित ऋण राशि पर 1 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क लेने का अधिकार देता है।

इसलिए एम.ओ.यू. के खंड 9 में मूल रॉशि के बजाय शेष रॉशि को कम करने पर प्रबंधन शुल्क के गणना कि अनुमति देने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

---

[16] **तीन परियोजनाओं में (मैसर्स नीड इनोवेशन, मैसर्स प्रोविमी प्रोडक्ट प्रा.लि., मैसर्स ऐजिस टेक्नोलॉजी प्रा.लि.) ऋणों का पुनर्भुगतान शुरू होना बाकी था।**

[17] **27 परियोजनाओं में से।**

अध्याय - VIII

परमाणु ऊर्जा विभाग

8.1 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की कार्य पद्धति

आई.पी.आर. समय रहते परियोजनाओं को पूरा ना कर सका तथा उनकी नियोजित पूर्णता अवधि को 21 महीने से बढ़ाकर 54 माह कर दिया। यह परियोजनाओं के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका हालांकि परियोजनाओं को कई विस्तार के साथ पूर्ण घोषित किया गया तथा गैर प्राप्त उद्देश्यों को आगे की लागत निहितार्थ के साथ दूसरी परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 16 तकनीकों का विकास किया गया था लेकिन विकास के एक से आठ वर्ष तक के बाद भी यह एक भी तकनीक को स्थानांतरित नहीं कर सका।

8.1.1 प्रस्तावना

प्लाज़्मा[18] अनुसंधान संस्थान (आई.पी.आर.), गांधीनगर, गुजरात, निदेशक की अध्यक्षता में, भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जो मुख्य रूप से प्लाज़्मा भौतिकी[19] और इसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कर रहा है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के तहत 1986 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित आई.पी.आर. को 1995 में परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था।

[18] प्लाज़्मा पदार्थ की एक अवस्था है जिसे अक्सर ठोस, तरल और गैस के अलावा पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है।

[19] प्लाज़्मा के व्यवहार और गुणों का अध्ययन

आई.पी.आर., अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत है, जैसे-उच्च तापमान चुंबकीय रूप से सीमित प्लाज़्मा का अध्ययन, प्लाज़्मा भौतिकी में मौलिक अध्ययन, संलयन रिएक्टर से सम्बंधित प्रौद्योगिकियाँ एवं औद्योगिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए प्लाज़्मा प्रौद्योगिकियाँ इत्यादि। इन गतिविधियों को गांधीनगर, मुख्य परिसर में और इसके प्रभागों जैसे औद्योगिक प्लाज़्मा प्रौद्योगिकियों के लिए सुविधा केंद्र (एफ.सी.आई.पी.टी.), गांधीनगर; अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.)-भारत, गांधीनगर और प्लाज़्मा अनुसंधान केंद्र (सी.पी.पी.-आई.पी.आर.) सोनापुर, असम में कार्यान्वित किया जाता है।

मार्च 2022 तक, आई.पी.आर. में 682 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 621 पद वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के लिए थे और 61 पद प्रशासनिक कार्मिकों के लिए थे। इसके विरूद्ध 483 वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक तथा 59 प्रशासनिक कार्मिक तैनात थे। 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल वार्षिक व्यय ₹ 621.98 करोड़ से ₹ 937.93 करोड़ के बीच रहा।

8.1.2 लेखापरीक्षा का दायरा और नमूना परिमाण

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में पूर्ण हुई परियोजनाओं के साथ-साथ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को अन्तर्निहित किया गया है। 2017-18 और 2021-22 के बीच शुरू की गई ऐसी 27 परियोजनाओं में से सभी 13 योजनाबध्द परियोजनाओं और 13 बाहरी और सहयोगी परियोजनाओं के नमूने का लेखापरीक्षा के दौरान विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा ने आई.पी.आर. के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे- वित्तीय प्रबंधन, लागू नियमों के अनुसार मानव संसाधनों की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन, और उपरोक्त अवधि के दौरान आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता से संबंधित दस्तावेजों की भी जाँच की।

8.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयनित 13 योजना परियोजनाओं में से, पाँच योजना परियोजनाएँ 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पूरी की गईं और 8 परियोजनाएँ अभी भी चल रही हैं (मार्च 2022)। इन परियोजनाओं के प्रबंधन और उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां, मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और आंतरिक नियंत्रण में कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

8.1.3.1 परियोजना प्रबंधन और आपूर्ति

आई.पी.आर. में परियोजना अनुमोदन, निगरानी और अंतिम मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रवाह को नीचे इंगित किया गया है एवं पूर्ण और चल रही परियोजनाओं के प्रबंधन से संबंधित अवलोकन निम्नानुसार है।

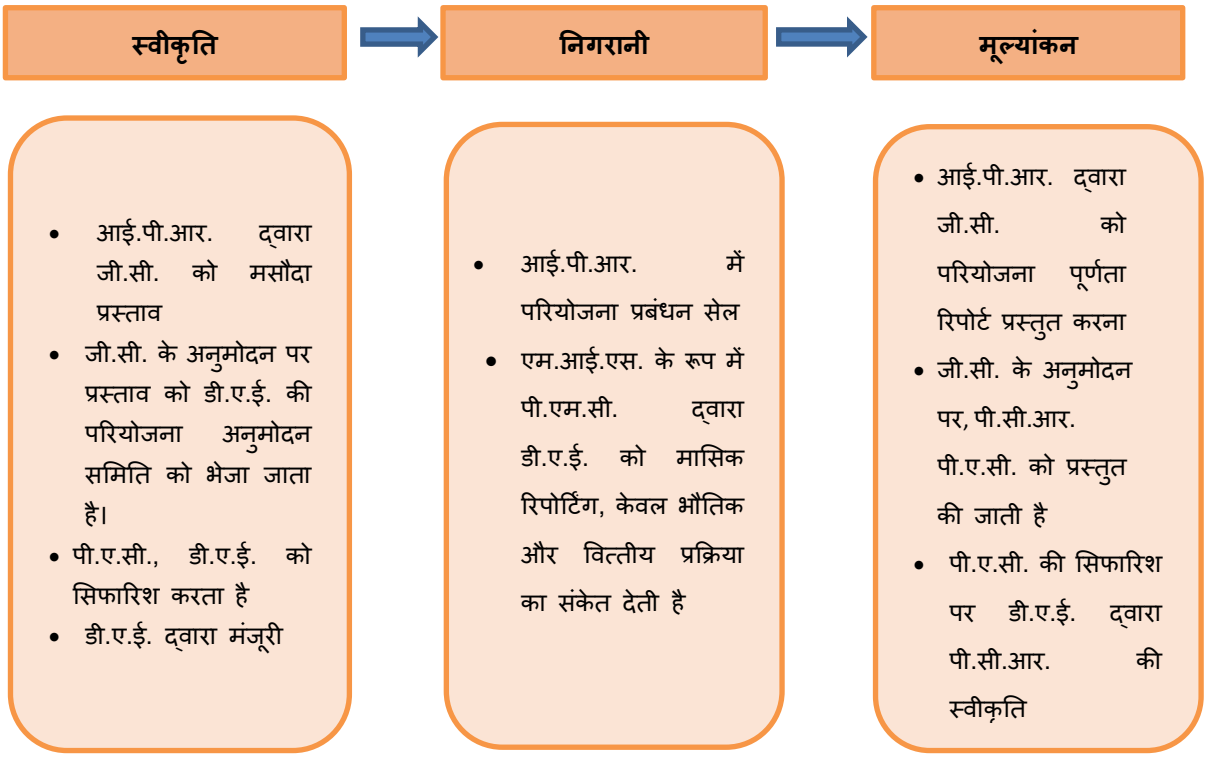

➢ **पूर्ण परियोजनाओं में कमियाँ**

- **परियोजनाओं के पूरा होने में देरी**

लेखापरीक्षा ने 2017-22 की अवधि के दौरान पूरी की गई पाँच परियोजनाओं की जाँच की और पाया कि एक भी परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई थी। निम्नलिखित चार्ट इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय के साथ-साथ समापन में लगने वाले वास्तविक समय को दर्शाता है।

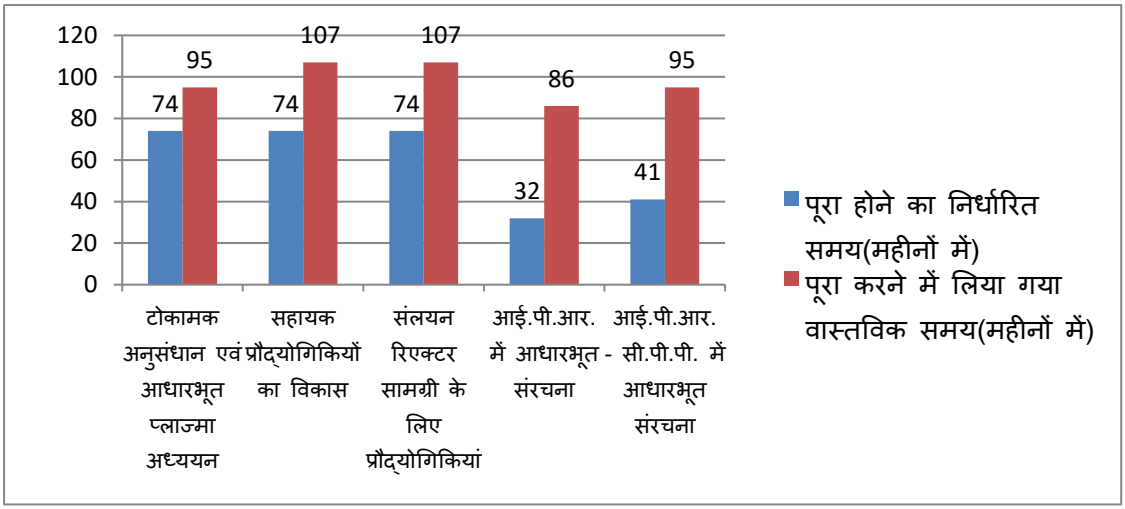

चार्ट द्वारा यह देखा जा सकता है कि सभी पाँच परियोजनाओं में नियोजित पूर्णता अवधि को 21 महीने से 54 महीने तक बढ़ाया गया। इन पाँच में से, दो परियोजनाओं के पूर्ण होने में निर्धारित पूर्णता अवधि के **दोगुनी** से भी अधिक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ए.ई. के पास परियोजना प्रबंधन के लिए कोई निर्धारित दिशा-निर्देश नहीं हैं जो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, परियोजना की मंजूरी, कार्यान्वयन की निगरानी के **क्रियाविधि** और निगरानी की आवधिकता के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य **करता है**। हालांकि, आई.पी.आर. में परियोजना गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परियोजना प्रबंधन सेल है, यह जी.सी. की मंजूरी, पीएसी बैठकों के कार्यवृत्त, निगरानी समितियों के कार्यवृत्त जैसे किसी भी दस्तावेज का रख-रखाव नहीं करता है। **उचित प्रलेखन के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा निगरानी क्रियाविधि की**

प्रभावकारिता और परियोजना के परिणाम पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में आश्वासन नहीं दिया जा सकता। यद्यपि पी.एम.सी. मासिक आधार पर डी.ए.ई. को वृत्तांत करता है, वृत्तांत परियोजना में आने वाली बाधाओं और अपेक्षित विलम्ब के बारे में किसी भी विवरण के बिना केवल भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाती हैं। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि परियोजना के लक्ष्यों की निरंतर निगरानी के बजाय, पी.ए.सी. को तदर्थ तरीके से चरणवार देरी के कारणों से अवगत कराया जा रहा था। पी.ए.सी. की बैठक से संबंधित रिकॉर्ड के अभाव में, इन परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में देरी के वास्तविक कारणों का पता लगाना मुश्किल है, जिससे कुल समय बढ़ गया है।

डी.ए.ई. ने कहा (सितंबर 2022) कि आई.पी.आर. के निदेशक समय-समय पर परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। हालांकि, पी.एम.सी. केवल डी.ए.ई. को एम.आई.एस. प्रतिवेदन अग्रेषित करता है और निदेशक, आई.पी.आर. द्वारा रिकॉर्ड पर किसी आवधिक निगरानी का संकेत नहीं देता है। डी.ए.ई. ने आश्वासन (मई 2023) दिया कि परियोजनाओं की समीक्षा हेतु मौजूदा क्रियाविधि में सुधार किया जाएगा।

- **उद्दिष्ट उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति**

लेखापरीक्षा ने 2017-22 की अवधि के दौरान पूरी की गई पाँच परियोजनाओं की जाँच की और पाया कि दो परियोजनाएँ अर्थात् आई.पी.आर. में आधारभूत संरचना और सी.पी.पी.-आई.पी.आर. में आधारभूत संरचना, जो आधारभूत संरचना परियोजनाओं से संबंधित थीं और एक परियोजना अर्थात् टोकामक अनुसंधान और मौलिक प्लाज़्मा अध्ययन ने मोटे तौर पर अपने उद्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया। शेष दो परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

(ए) "टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूजन रिएक्टर मटेरियल, ब्लान्केट्स, शील्ड्स, डायवर्टर एंड फ्यूल साइकिल" शीर्षक वाली परियोजना

डी.ए.ई. ने ₹ 230 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2019 तक की निर्धारित तिथि में पूरी होने वाली "टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूजन रिएक्टर मटेरियल, ब्लान्केट्स, शील्ड्स, डायवर्टर एंड फ्यूल साइकिल" नामक परियोजना को मंजूरी (फरवरी 2013) दी। इसके बाद, डी.ए.ई. ने दिसंबर 2021 की अंतिम पूर्णता तिथि के साथ परियोजना की समय-सीमा को चार बार बढ़ाया और परियोजना लागत को ₹ 230 करोड़ से घटाकर ₹ 200 करोड़ कर दिया। जी.सी. द्वारा पी.ए.सी. को परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पी.सी.आर.) प्रस्तुत करने के बाद आई.पी.आर. ने परियोजना को पूर्ण घोषित किया लेकिन डी.ए.ई. की अंतिम स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित (सितंबर 2022) थी। दिसंबर 2021 तक परियोजना पर कुल ₹ 189.49 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परियोजना में सात विशिष्ट डिलिवरेबल्स थे। परियोजना समापन प्रतिवेदन से पता चला कि आई.पी.आर. इन सात डिलिवरेबल्स में से चार को प्राप्त नहीं कर सका, भले ही उन्हें प्राप्य रूप में बताया जा रहा था। इन डिलिवरेबल्स की विस्तृत स्थिति नीचे दी गई है:

डिलिवरेबल्स	**पी.सी.आर. के अनुसार स्थिति**	**वास्तविक स्थिति**	**विभाग का जवाब**
प्रौद्योगिकी अवधारणा विकास और ट्रिटियम फ्यूल साइकिल के लिए प्रोटोटाइप	प्राप्त	आई.पी.आर. को ट्रिटियम का संचालन करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं है, इसलिए ट्रिटियम फ्यूल साइकिल के लिए प्रौद्योगिकी अवधारणा का विकास और प्रोटोटाइप हासिल नहीं किया जा सका।	डी.ए.ई. ने बताया कि (मई 2023) प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं प्रोटोटाईप विकास चरण

डिलिवरेबल्स	पी.सी.आर. के अनुसार स्थिति	वास्तविक स्थिति	विभाग का जवाब
			हाइड्रोजन/ड्यूटीरियम से पूर्ण किया गया। हालांकि, अंतिम प्रणाली विकास एवं ट्रीटियम के साथ इसके परीक्षण को बी.ए.आर.सी. में ट्रीटियम लैब में किया जाएगा।
सामग्री विज्ञान अनुसंधान के लिए मध्यम ऊर्जा (5 MeV) आयन ऐक्सेलरैटर	प्राप्त	परियोजना के डिज़ाइन में बड़े बदलाव के कारण, सामग्री विज्ञान अनुसंधान के लिए 5 MeV आयन ऐक्सेलरैटर हासिल नहीं किया जा सका।	डी.ए.ई. ने बताया कि (मई 2023) आई.पी.आर. में उपयोग हेतु स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट बिजली के साथ आर.एफ. स्त्रोत के उपयोग का निर्णय लिया गया था।
ओ.डी.एस. फेरिटिक / मार्टेंसिटिक स्टील मिश्र धातु प्लेटे	प्राप्त	तकनीकी अंतराल और बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधा की कमी के कारण ओ.डी.एस. फेरिटिक / मार्टेंसिटिक स्टील मिश्र धातु प्लेटों को प्राप्त नहीं किया जा सका।	डी.ए.ई. ने बताया (मई 2023) कि वृहत् स्तर की ओ.डी.एस. प्लेटों के निर्माण में होने वाले तकनीकी अंतरों के

डिलिवरेबल्स	पी.सी.आर. के अनुसार स्थिति	वास्तविक स्थिति	विभाग का जवाब
			कारण प्रस्तावित कार्य को आगे बढ़ाया नहीं जा सका।
उच्च दबाव हीलियम शीतलन सुविधा	प्राप्त	चरण - 2 गतिविधियों को नई परियोजना के तहत निष्पादित किया जा रहा है, उच्च दबाव हीलियम शीतलन सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकी।	डी.ए.ई. ने बताया कि (मई 2023) प्रणाली स्वीकार्यता एवं परीक्षण के लिए चरण-2 के उद्देश्यों पर अभी कार्य जारी है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परियोजना को सात उप परियोजनाओं में विभाजित किया गया था। इस तरह की एक उप परियोजना "डेवलपमेंट फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी क्वाड्रुपोल (आर.एफ.क्यू.) फॉर एक्सीलरेटर" थी, जिसका मूल्य ₹ 10.00 करोड़ था। इसका उद्देश्य आयन बीम को तेज करना था जिसका उपयोग आयन विकिरण के माध्यम से पदार्थों में क्षति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस उप-परियोजना को इसके अंतर्गत विभिन्न घटकों की खरीद पर कुल ₹ 9.11 करोड़ खर्च करने के बाद बंद कर दिया गया था। विक्रेता की सीमाओं जैसे सटीक मशीनिंग और बड़े आकार के घटकों के एकत्रीकरण और वास्तविक वितरण समय में अनिश्चितता के कारण आर.एफ.क्यू. एक्सीलरेटर को बनाया और चालू नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आर.एफ.क्यू. एक्सीलरेटर का शीर्ष परियोजना के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था।

डी.ए.ई. ने स्वीकार (मई 2023) करते हुए कि आयन विकिरण के माध्यम से पदार्थ में क्षति का अध्ययन करने की सुविधा को प्राप्त नहीं किया जा सका था, कहा कि खर्च हुए राशि ₹ 9.11 करोड़ का उपयोग आई.पी.आर. में अन्य परियोजनाओं में किया गया। डी.ए.ई. का जवाब, परियोजना प्रबंधन में प्रणालीगत दोष को उजागर करती है, जिसमें कई बार परियोजना पूर्ण होने का समय बढाने के बाद भी, जब परियोजना डिलिवरेबल्स प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन्हें आगे की लागत के साथ नई परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा, एक शीर्ष परियोजना के तहत उन उप परियोजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है जिनका शीर्ष परियोजना के उद्देश्यों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(बी) "डेवलपमेंट ऑफ़ औक्सिलिअरी टेक्नोलॉजीज़ फॉर फ्यूजन-मैग्नेट, आर.एफ., एन.बी. एंड प्लांट सिस्टम" नामक परियोजना

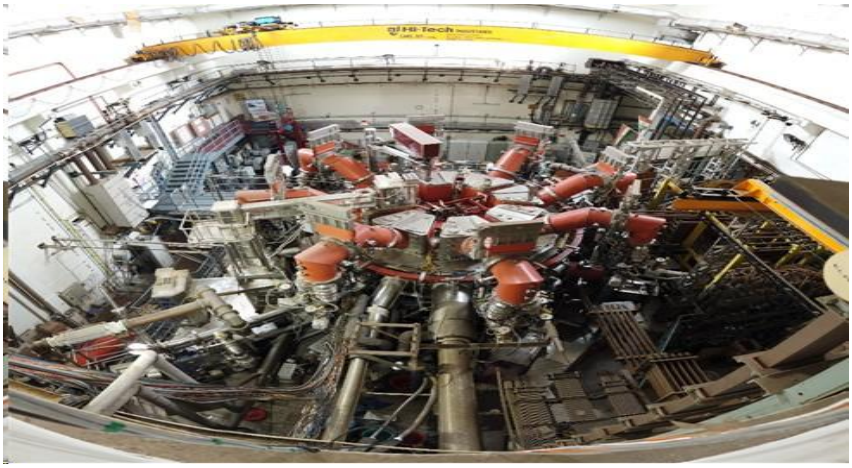

स्थिर अवस्था अतिचालक टोकामक-1 (एस.एस.टी.-1) *स्त्रोत-आई.पी.आर. गांधीनगर की वेबसाईट*

डी.ए.ई. ने (फरवरी 2013) "डेवलपमेंट ऑफ़ औक्सिलिअरी टेक्नोलॉजीस फॉर फ्यूजन-मैग्नेट, आर.एफ., एन.बी. एंड प्लांट सिस्टम" नामक एक परियोजना को मार्च 2019 तक पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 251 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी। अप्रैल 2019 में, परियोजना लागत को घटाकर 170 करोड़ कर दिया गया और नवंबर

2021 में, परियोजना की पूर्णता तिथि को दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। **परियोजना के दो मुख्य लक्ष्य थे**, पहला, एस.एस.टी.-1 टोकामक पर मौजूदा हीटिंग और करंट ड्राइव सिस्टम को चालू करना तथा उन्हें उच्च शक्ति और उच्च चुंबकीय क्षेत्र संचालन के लिए अद्यतन करना, और दूसरा, एस.एस.टी.-2 या डी.ई.एम.ओ. जैसे बड़े टोकामक के लिए सक्षम प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

परियोजना को ₹ 155.40 करोड़ के व्यय के साथ दिसंबर 2021 में पूर्ण घोषित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना में 10 विशिष्ट डिलिवरेबल्स हैं। परियोजना समापन रिपोर्ट से पता चला कि आई.पी.आर. इन 10 डिलिवरेबल्स में से 5 को प्राप्त नहीं कर सका, भले ही उनमें से कुछ को आंशिक रूप से प्राप्य बताया गया था। इन डिलिवरेबल्स की विस्तृत स्थिति नीचे दी गई है:

परियोजना डिलिवरेबल्स	**पी.सी.आर. के अनुसार स्थिति**	**वास्तविक स्थिति**
एस.एस.टी.-1 टोकामक पर 0.5 मेगावाट पी.एन.बी. सिस्टम की शुरूआत और 1.7 मेगावाट तक की हीटिंग पावर के उन्नयन का विकास	प्राप्त	एस.एस.टी.-1 के साथ पॉजिटिव नूट्रल बीम सिस्टम का एकीकरण बिलंबित था और तकनीकी दिक्कतों के कारण 1.7 मेगावॉट तक की उन्नयन पावर हासिल नहीं हो पाई
रिमोट हैंडलिंग और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का विकास (उप परियोजना संख्या 10 के तहत)।	प्राप्त	संभव होने पर एस.एस.टी.-1 में दूरस्थ निरीक्षण का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रकार, तथ्य यह है कि दूरस्थ निरीक्षण के सफल प्रदर्शन के बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम उद्देश्य प्राप्त किया गया है

परियोजना डिलिवरेबल्स	पी.सी.आर. के अनुसार स्थिति	वास्तविक स्थिति
250 kV/1A का विकास डी.सी. शक्ति आपूर्ति	आंशिक रूप से प्राप्त	साइट पर तीन में से दो घटक स्थापित किए गए थे, हालांकि, तकनीकी मुद्दों के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा तीसरा घटक वितरित नहीं किया जा सका, इसलिए पी.ओ. को रद्द कर दिया गया
स्थापना और एकीकरण के लिए भारतीय परीक्षण सुविधा (आई.एन.टी.एफ.) में डायग्नोस्टिक न्यूट्रलबीम (डी.एन.बी.) स्रोत स्वीकृति परीक्षण पूरा करना	प्रमुख स्वीकृति परीक्षण, फैक्ट्री स्तर पर पूरा हो गया। यह आई.एन.टी.एफ. में भी लागू किया जायेगा।	डी.एन.बी. स्रोत का विनिर्माण, एकीकरण, असेंबली और फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण 2023 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।
बड़े क्रायोजेनिक संयंत्र और क्रायो सिस्टम का विकास	प्राप्त नहीं हुआ है	उच्च क्षमता (1.3 kW) क्रायोप्लांट के विकास में संबद्ध तकनीकी चुनौतियों के कारण इसका दायरा कम कर दिया गया था।

डी.ए.ई. ने कहा (मई 2023) कि इस परियोजना में कई तरह के अद्वितीय और असाधारण कार्य की चुनौतियों जिसमें कई दुर्लभ प्रकार की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षमता और आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता की आवश्यकता के कारण, कुछ डिलिवरेबल्स को नई गतिविधियों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कुछ अन्य डिलिवरेबल्स को हटा दिया गया।

डी.ए.ई. का जवाब पुनः परियोजना प्रबंधन में कमी को उजागर करता है, जिसमें न केवल परियोजनाओ की समय-सीमा को बार-बार बढ़ाया जा रहा हैं बल्कि अधूरे घटकों को बढ़ी हुई लागत के प्रभाव वाली नई गतिविधियों में स्थानांतरित करने का अभ्यास भी किया जा रहा हैं।

➢ **चल रही परियोजनाओं में कमियाँ**

- **(ii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के प्रारंभ होने में विलम्ब**

डी.ए.ई. ने ₹ 52.00 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना "औद्योगिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी" को मंजूरी दी (सितंबर 2019), जिसके पूरे होने की निर्धारित समय 48 महीने थी। इस परियोजना में होमी भाभा केंसर अस्पताल (एच.बी.सी.एच.), वाराणसी में 200 कि.ग्रा./ घंटा प्लाज्मा पाइरोलिसिस प्रणाली सहित 'उन्नत जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (बी.एम.डब्ल्यू.टी.एफ.) का डिजाइन, विकास और स्थापना' नामक एक उप-परियोजना शामिल थी। इस उप-परियोजना की कुल लागत ₹ 10.47 करोड़ थी और पूरा होने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2021 थी।

प्लाज्मा पाइरोलिसिस प्रौद्योगिकी

स्त्रोत: आई.पी.आर. गांधीनगर की वेबसाइट

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.पी.आर. ने अक्टूबर 2021 में, अर्थात् परियोजना की स्वीकृत नियत तिथि (सितंबर, 2019) के 2 साल बाद, विभिन्न घटकों और उप-संयोजन के लिए डिज़ाइन, निर्माण कारखाने की स्वीकृति परीक्षण और अपशिष्ट फीडर कक्ष और समर्थन संरचना और सेवा मंच की आपूर्ति के लिए ₹ 85.10 लाख का खरीद आदेश दिया। जिसकी खरीद की नियत सुपुर्दगी तिथि अक्टूबर 2022 थी। इसके आगे,

दिसंबर 2020 से जुलाई 2022 तक आई.पी.आर. ने इस उप-परियोजना के तहत ₹ 1.00 करोड़ मूल्य की कुछ वस्तुओं (बिजली की आपूर्ति, श्रेडर और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड) की खरीद की। आई.पी.आर. को जून 2021 तक एक छोटे से शेड का निर्माण भी करना था जो प्रारंभिक ऑपरेशन के लिए प्लाज़्मा पाइरोलिसिस सिस्टम की स्थापना के लिए आवश्यक था जिसे बाद में प्रदर्शन के लिए एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, शेड के लिए कार्य आदेश केवल जून 2022 में दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में देरी के कारण दिसंबर 2021 की अनिवार्य पूर्णता तिथि का उल्लंघन हुआ और अग्रिम जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्दिष्ट लाभों को अब तक (सितंबर 2022) प्राप्त नहीं किया जा सका।

डी.ए.ई ने कहा (मई 2023) कि कुछ उप-प्रणालियों की खरीद की गई है और शेष खरीद की प्रक्रिया में हैं। आगे कहा कि प्रणाली को परीक्षण के लिए औद्योगिक प्लाज़्मा प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र में 2023 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

लेकिन तथ्य यह है कि उप-परियोजना लक्ष्यप्राप्ति का उल्लंघन हुआ है और वांछित लाभ अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

- **15 वर्षों से आई.पी.आर. की सहकर्मी समीक्षा नहीं की गई**

जी.एफ.आर. 2017 के नियम-229 (ix) के अनुसार, मंत्रालय गतिविधि के आकार और प्रकृति के आधार पर हर तीन या पाँच साल में स्वायत्त संगठनों की बाहरी या आंतरिक सहकर्मी समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित करेगा। ऐसी समीक्षा की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के संबंधित प्रशासनिक प्रभाग की होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2022) कि जनवरी 2007 में आई.पी.आर. की अंतिम सहकर्मी समीक्षा हुई थी और तब से आई.पी.आर. के लिए कोई सहकर्मी समीक्षा नहीं

की गई है। आई.पी.आर. ने लेखापरीक्षा के कहने पर नवंबर 2022 में दो क्षेत्रों[20] की सहकर्मी समीक्षा पूरी की और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही तीन और क्षेत्रों[21] की समीक्षा की योजना बनाई जाएगी।

सहकर्मी समीक्षा की प्रणाली, विशेष रूप से अनुसंधान संगठन के लिए, समकक्ष वैज्ञानिक समुदाय के मानकों के साथ दक्षता और मापदंड प्रणाली तथा प्रक्रिया प्रवाह को मजबूत करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

- **उद्योग को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी का गैर-व्यवसायीकरण**

आई.पी.आर. के अधिदेशों में से एक, संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के माध्यम से संस्थान और उद्योग और अन्य एजेंसियों में शिक्षकों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक समुदाय के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके प्रभागों में से एक 'औद्योगिक प्लाज़्मा प्रौद्योगिकियों के लिए सुविधा केंद्र' (एफ.सी.आई.पी.टी.) उद्योगों को आई.पी.आर. से जोड़ता है। एफ.सी.आई.पी.टी., प्लाज़्मा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का अवधारणा से व्यवसायीकरण तक विकास करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2005 से 2022 के दौरान, आई.पी.आर. ने एक तकनीक अर्थात प्लाज़्मा पायरोलिसिस, को छोड़कर केवल 13 तकनीकों को स्थानांतरित किया क्योंकि उद्योगों से अन्य तकनीकों की अधिक मांग नहीं थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2017-22 के दौरान, आई.पी.आर., उद्योग को केवल दो नई तकनीकों को स्थानांतरित कर सका। आगे, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आई.पी.आर. द्वारा विकसित 16 प्रौद्योगिकियों को विकास के एक से आठ वर्षों के बाद भी अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है।

---

[20] **1. सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोग और आउटरीच/बी.आर.एफ.एस.टी. 2. प्लाज्मा और फ्यूजन प्रौद्योगिकी-द्वितीय**

[21] **1. प्लाज्मा और फ्यूजन टेक्नोलॉजी-I 2. टोकामक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान 3.शैक्षणिक कार्यक्रम**

आई.पी.आर. ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से व्यावसायीकरण तब किया जाता है जब उद्योग को प्रौद्योगिकी का पर्याप्त प्रदर्शन डेटा प्रदान किया हो और यह कि आई.पी.आर. द्वारा किए जा रहे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गैर-अनन्य लाइसेंस[22] हैं। आई.पी.आर. ने प्रभावी तरीके से प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन में सुधार करने का आश्वासन (नवंबर 2022) दिया।

आई.पी.आर. के जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी के विकास के एक से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी, आई.पी.आर. उद्योगों को पर्याप्त प्रदर्शन डेटा प्रदान करने में विफल रहा, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण या व्यवसायीकरण नहीं हो सका।

8.1.3.2 मानव संसाधन प्रबंधन में कमियां

लेखापरीक्षा ने आई.पी.आर. में मानव संसाधन के प्रबंधन की जाँच की और पदोन्नतियाँ, भर्तियाँ, वेतन का निर्धारण और सलाहकारों को काम पर रखने से संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखा। इन मुद्दों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में खंडवार चर्चा की जा रही है :

- **मानव संसाधन के प्रबंधन में अनिवार्य अनुमोदन की अनुपस्थिति**

वित्त मंत्रालय (अक्टूबर 1984) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्वायत्त निकायों (ए.बी.) जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से और या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं, के नियम और उप-कानून में, पदों के सृजन, उनके कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन और इसी तरह के समान स्थापना व्यय के मामलों में ऐसे संगठनों के जी.बी. की शक्तियों से संबंधित खंडों को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए और विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, भारत

[22] **गैर-अनन्य लाइसेंस उतने ही लाइसेंसधारियों को दिए जा सकते हैं जितने लाइसेंसकर्ता चाहें**

सरकार के व्यापारिक लेन-देन के नियमों के नियम 4(2)(सी) के संदर्भ में, जब तक कि मामला व्यय को मंजूरी देने या किसी सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा प्रदत्त धनराशि को उपयुक्त या पुन: विनियोग करने की शक्तियों द्वारा पूरी तरह से अंतर्निहित न हो जाए, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए, कोई भी विभाग, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना, कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा, जो पदों की संख्या या ग्रेड, या किसी सेवा की संख्या, या सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्ते या किसी वित्तीय निहितार्थ वाली उनकी सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित हो सकता है।

"डी.ओ.पी.टी. ने निर्धारित (जुलाई 2007) किया कि केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है में मुख्य कार्यकारी के पद पर और वेतन ₹ 18,400- ₹ 22,400 और उससे अधिक (अब वेतन स्तर- 14 और ऊपर) के वेतनमान वाली सभी नियुक्तियाँ ए.सी.सी. के दायरे में आनी चाहिए तथा इसके लिए ए.सी.सी. के अनुमोदन की आवश्यकता भी होगी। डी.ओ.पी.टी. ने आगे निर्धारित (सितंबर 2014) किया कि सेवानिवृति की तिथि के बाद सेवाओं के विस्तार के लिए ए.सी.सी. के विशिष्ट अनुमोदन के अभाव में, एक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्त की तिथि पर सेवानिवृत्त माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ए.सी.सी. की मंजूरी के बिना एकपार्श्विक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग को सेवानिवृति के बाद सेवाओं का विस्तार नहीं करना चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्गों के लिए योग्यता पदोन्नति योजना हेतु अपने व्यापक दिशा-निर्देशों में कहा है कि ₹ 8900 (अब वेतन स्तर- 13 ए) तक ग्रेड वेतन वाले पदों पर चयनित उम्मीदवारों के पदोन्नति के मामले विभाग में स्वीकृत होंगे। इसके अलावा 'चयनित उम्मीदवारों को ₹ 10,000/-, एच.ए.जी. और एच.ए.जी.$^{+}$ (अब वेतन स्तर- 14 और ऊपर) के ग्रेड वेतन वाले पदों पर पदोन्नति के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और ए.सी.सी. के समक्ष

अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। आवश्यक अनुमोदन की अनुपस्थिति पर लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **वेतन में अनियमित उर्ध्वगामी संशोधन के कारण वेतन एवं भत्तों के प्रति ₹ 5.40 करोड़ का अधिक भुगतान**

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों (दिसंबर 2013) पर आई.पी.आर. ने बिना किसी नियम प्रावधान का उल्लेख किए, 42 अधिकारियों के वेतन को जुलाई 2014 से उर्ध्वगामी संशोधित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में अगस्त 2017 में लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त विसंगति को भी इंगित किया गया था और आई.पी.आर. को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन की समीक्षा करने और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि, आई.पी.आर. ने लेखापरीक्षा के अवलोकन पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।

सितंबर 2021 में, आई.पी.आर. की एक तदर्थ आंतरिक समिति ने भी पाया कि इन 42 अधिकारियों का मूल वेतन अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर तय किया गया था, जिसके लिए वे अपात्र थे।

अक्टूबर 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा फिर से इंगित किए जाने पर, आई.पी.आर. ने नवंबर 2022 में इस मामले को डी.ए.ई. को भेज दिया। जवाब में, मामले की जाँच करने के बाद, डी.ए.ई. ने वेतन में सुधार करने और आगे के अतिरिक्त भुगतान को रोकने का निर्देश (दिसंबर 2022) दिया। डी.ए.ई. ने पिछले पाँच वर्षों के अतिरिक्त भुगतान की वसूली की भी सिफारिश की।

आई.पी.आर. ने कहा (दिसंबर 2022) कि सुधार किए गए संशोधित वेतन को 01.12.2022 से लागू किया जाएगा एवं किश्तों में वसूली की जाएगी।

इस प्रकार, प्रारंभिक चरण में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद भी, आई.पी.आर. द्वारा अपनाए गए तदर्थ दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप मार्च 2022 तक ₹ 5.40 करोड़ के अस्वीकार्य वेतन और भत्तों का भुगतान हुआ।

- **ए.सी.सी. से अनुमोदन का अभाव**

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि एक वैज्ञानिक अधिकारी (वेतन स्तर-14) दिनांक 31.07.2021 से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि, आई.पी.आर. ने गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के साथ उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल की सेवा का विस्तार दिया और शेष कार्यकाल की नियुक्ति के लिए (नवंबर 2022 से जुलाई 2023 तक) ₹ 18.68 लाख की वित्तीय देनदारी के अलावा ₹ 29.69 लाख (अक्टूबर 2022 तक) की राशि का भुगतान किया। जी.सी. द्वारा सेवा का विस्तार अनियमित था, क्योंकि ए.सी.सी. इस तरह के विस्तार की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी था।

इसी तरह, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया (अगस्त 2022) कि गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन से 26 वैज्ञानिक अधिकारियों को वेतन स्तर -14 और उससे ऊपर के वेतन स्तर पर पदोन्नत किया गया था और पदोन्नति प्रस्तावों को ए.सी.सी. की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डी.ए.ई.) को नहीं भेजा गया था।

डी.ए.ई. ने कहा (मई 2023) कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा नियमों और विनियमों के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल, संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम और कार्यकाल, अनुशासन के नियम और सेवा की अन्य शर्तें तय कर सकती है।

उत्तर मान्य नहीं है। ऊपर वर्णित डी.ओ.पी.टी. की शर्तों के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु से परे सेवा का विस्तार और वेतन स्तर-14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के

लिए पदोन्नति के लिए ए.सी.सी. के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जवाब को इस तथ्य के आलोक में भी देखा जाये कि आई.पी.आर. पूरी तरह से डी.ए.ई. द्वारा प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित है और इसलिए समय-समय पर प्राप्त डी.ओ.पी.टी. के विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है।

- **भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुमोदन की कमी**

डी.ओ.पी.टी निर्धारित (दिसंबर 2010) करता है कि जैसे ही कोई नया पद/सेवा सृजित करने या किसी पद को अद्यतन करने या किसी सेवा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया जाता है, तुरंत प्रशासनिक मंत्रालय/संबंधित विभाग द्वारा भर्ती नियमों/सेवा नियमों को बनाने हेतु कार्रवाई की जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.पी.आर. ने मई 2019 में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अपने भर्ती और पदोन्नति नियमों को गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन से संशोधित किया लेकिन प्रशासनिक मंत्रालय, डी.ए.ई. की सहमति प्राप्त नहीं की। तत्पश्चात आई.पी.आर. ने 2017-18 से 2021-22 तक प्रशासनिक श्रेणी में 12 अधिकारियों की भर्ती की और 51 कर्मचारियों को पदोन्नति दी। स्वीकृत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अभाव में ये भर्तियां एवं पदोन्नति अनियमित थीं।

आई.पी.आर. ने कहा (नवंबर 2022) कि प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

हालांकि, तथ्य यह है कि भर्ती और पदोन्नति नियमों के लिए प्रशासनिक विभाग, डी.ए.ई. की मंजूरी सुनिश्चित नहीं की गई है।

- **सलाहकारों की नियुक्ति**

जी.एफ.आर. 2017 के नियम 178 और 180 में कहा गया है कि मंत्रालय या विभाग किसी विशिष्ट कार्य के लिए बाहरी पेशेवरों, परामर्श फर्मों या सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी विषयवस्तु और पूरा होने की समय-सीमा अच्छी तरह से परिभाषित हो। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं, जिसके लिए संबंधित विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है, की स्थितियों में सलाहकारों की नियुक्ति का सहारा लिया जा सकता है।

डी.ए.ई. ने सी.वी.सी. के अप्रैल 2021 के परिपत्र को अपनी घटक इकाइयों में परिचालित (अप्रैल 2021) किया जिससे नामांकन के आधार पर दिए गए कार्यों/खरीद/परामर्श अनुबंधों में पारदर्शिता लाई जा सके। परिपत्र में कहा गया है कि कुछ असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों[23] में, अनुबंध नामांकन के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। पर्याप्त औचित्य के बिना नामांकन के आधार पर अनुबंध प्रदान करना प्रथाओं को पैदा करता है और प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और समानता को समाप्त करता है।

लेखापरीक्षा (सितंबर 2022) ने पाया कि 2017-2022 के दौरान, आई.पी.आर. ने नामांकन के आधार पर तीन सलाहकारों को नियुक्त किया और उनके पारिश्रमिक के लिए ₹ 41.63 लाख का व्यय किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आई.पी.आर. ने खुली प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से चयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके आगे, औचित्य नोट में यह तथ्य दर्ज नहीं था कि आई.पी.आर. में अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं थी। इस संबंध में, मान्य औचित्य के अभाव में, नामांकन के आधार पर सलाहकारों का चयन सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसके अलावा, नामांकन के आधार

[23] **प्राकृतिक आपदाओं और सरकार द्वारा घोषित आपात स्थितियों के दौरान जहां केवल एक ही स्रोत से खरीद संभव है**

पर अनुबंध देने के लिए सी.वी.सी. दिशानिर्देश यह निर्धारित करते है कि नामांकन के आधार पर दिए गए सभी अनुबंधों का विवरण ऐसा करने के संक्षिप्त कारणों के साथ संगठन की वैबसाइट पर पोस्ट किया जाना चाहिए। हालांकि आई.पी.आर. ने अपनी वैबसाइट पर नामांकन के आधार पर दिए गए अनुबंधों का ऐसा विवरण पोस्ट नहीं किया।

डी.ए.ई. ने बताया (मई 2023) कि भविष्य में सलाहकारों की नियुक्ति डी.ए.ई. में मौजूद उचित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।

8.1.3.3 आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने आई.पी.आर. के आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रबंधन की उपलब्धता और दक्षता की जाँच की। इस संबंध में अवलोकनों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- **रो हाउस के निपटान में देरी के कारण ₹ 0.60 करोड़ का परिहार्य व्यय**

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.), अहमदाबाद ने प्लाज़्मा भौतिकी कार्यक्रम, जो कि प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान नामक परियोजना का भूतपूर्व नाम है, के लिए रुस्वि पार्क सोसाइटी में नौ रो हाउस खरीदे (मार्च 1983)। रो हाउस को आई.पी.आर. के लिए आवंटित किया गया था और तब से कई वर्षों तक इनका उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु किया गया था। वर्तमान में, रो हाउस रहने योग्य स्थिति में नहीं हैं और सामान्य आवधिक रख-रखाव के साथ बड़ी संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके बहुत महँगे होने का अनुमान है। इसके अलावा, संस्थान ने अब अपने मुख्य परिसर में छात्रावास, छात्र निवास और एक अतिथि गृह का निर्माण किया है, इसलिए संस्थान के परिसर से दूर रुस्वि पार्क रो हाउस की आवश्यकता नहीं है।

आई.पी.आर. ने अक्टूबर 2014 में रुस्वि पार्क रो हाउस के निपटान के लिए गवर्निंग काउंसिल (जी.सी.) की मंजूरी के साथ एक तदर्थ समिति का गठन किया। नवंबर 2014 में तदर्थ समिति की बैठक के दौरान, तत्कालीन पी.आर.एल. (आमंत्रित सदस्य) ने संकेत दिया कि पी.आर.एल. ने रो हाउस को खरीदा है और उसे ऐसे आवासों की भी आवश्यकता है, यह उचित होगा यदि पी.आर.एल इन रो हाउस को आई.पी.आर. से खरीद लेता है। पी.आर.एल. ने (मार्च 2015) इन नौ रो हाउस को लेने की अपनी इच्छा और रुचि जतायी। आई.पी.आर. ने जून 2015 में रुस्वि पार्क सोसाइटी में नौ रो हाउस को पी.आर.एल. को हस्तांतरित करने/सौंपने के लिए अनुमोदन प्राप्ति हेतु डी.ए.ई. को एक प्रस्ताव रखा। जवाब में, डी.ए.ई. ने कहा (फरवरी 2016) कि जी.एफ.आर. प्रावधानों के अनुसार, प्रस्ताव को कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता है और इसके लिए आई.पी.आर. को मसौदा कैबिनेट नोट (डी.सी.एन.) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.पी.आर. ने निपटान की आगे की प्रक्रिया के लिए फरवरी 2016 से डी.ए.ई. को कोई प्रस्ताव/डी.सी.एन. अग्रेषित नहीं किया। इसके अलावा, आई.पी.आर. ने (मई 2021) में एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से नौ रो हाउस का संरचनात्मक लेखापरीक्षा किया, जिसने इमारत के पूर्ण विध्वंस की सिफारिश की। संरचनात्मक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अहमदाबाद नगर निगम (ए.एम.सी.) के साथ भी साझा किया गया था। तदनुसार, अगस्त 2021 में, ए.एम.सी. ने रुस्वि पार्क रो-हाउस पर संकटपूर्ण इमारत का नोटिस चिपका दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यदि आई.पी.आर. ने मसौदा कैबिनेट नोट जमा करने में समय पर कार्रवाई की होती तो 2016-17 से अगस्त 2022 के दौरान, आई.पी.आर. द्वारा सुरक्षा गार्ड, संपत्ति कर और बिजली शुल्क के लिए किये गए ₹ 60,15,139/ के व्यय को टाला जा सकता था।

आई.पी.आर. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि रुस्वि पार्क रो हाउस के नीचे, विभिन्न मालिकों से संबंधित 11 दुकानें हैं, जिनके बारे में आई.पी.आर. को पता नहीं है। इसलिए, पी.आर.एल. को स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए इन मालिकों से भी एन.ओ.सी. की भी आवश्यकता हो सकती है। उसने आगे कहा कि कैबिनेट नोट भेजते समय, संपत्ति का मूल्य ज्ञात होना चाहिए और इसके लिए संपत्ति की स्पष्ट पहचान की आवश्यकता होती है, जो स्वयं संदेह में है।

आई.पी.आर. के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यद्यपि इसने पी.आर.एल. से नौ रो हाउस का अधिग्रहण बहुत पहले कर लिया था, किन्तु इसने आई.पी.आर. के नाम पर संपत्ति के हक को स्थानांतरित करने के लिए उचित समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, नौ रो हाउस के निपटान और नवीनीकरण के लिए अक्टूबर 2014 और जुलाई 2020 में क्रमशः दो समितियों का गठन करने के बावजूद, आई.पी.आर. आज तक 11 दुकानों के वास्तविक मालिक, मूल्य और संपत्ति की स्पष्ट पहचान के बारे में जानकारी एकत्र नहीं कर सका है।

इस प्रकार, रुस्वि पार्क के सभी नौ रो हाउस को निपटाने में आई.पी.आर. की ओर से उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 60.15 लाख (अगस्त 2022 तक) का परिहार्य व्यय हुआ।

- **आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण ₹ 4.16 लाख का अधिक भुगतान**

आई.पी.आर. ने अक्टूबर 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन समूह में एक परियोजना तकनीशियन को नियुक्त किया। उक्त कार्मिक मई 2020 में अपने मूलनिवास चले गए और कभी भी कार्यालय में वापस नहीं आए। हालाँकि, आई.पी.आर. ने सितंबर 2021 तक कार्मिक को मासिक पारिश्रमिक (₹ 26000 प्रति माह) का भुगतान करना जारी रखा। आई.पी.आर. ने अक्टूबर 2021 में, कार्मिक को ₹ 4.16 लाख की अतिरिक्त

राशि वापस करने के लिए लिखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राशि की वसूली के लिए कार्मिक को अप्रैल 2022 में एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यह बिना डिलीवर हुए लौटा दिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भले ही अधिकारी मई 2020 से ड्यूटी से अनुपस्थित था, किन्तु रिपोर्टिंग अधिकारी ने अक्टूबर 2021 में सूचित किया, अर्थात् 16 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, जो रिपोर्टिंग अधिकारी की निगरानी में चूक को उजागर करता है।

इस तथ्य को स्वीकार (मई 2023) करते हुए, डी.ए.ई. ने कहा कि यह पदधारी से राशि की वसूली के लिए कानूनी विकल्पों की खोज कर रहा है।

- **बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय के लिए ₹ 4.97 करोड़ की राशि की गैर-वसूली**

सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.), 2017 के नियम 26 में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। इसके अलावा, नियम 61 निर्धारित करता है कि (i) लेखा अधिकारी स्वीकृतियों के विरूद्ध बजट प्रावधानों से अधिक किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि मुख्य लेखा प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.पी.आर. ने 14 बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत निधियों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ₹ 4.97 करोड़ (मार्च 2022) का अधिक व्यय किया है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 4.97 करोड़ के इस अतिरिक्त व्यय में से लगभग ₹ 3.50 करोड़, कुल अतिरिक्त व्यय का 75 प्रतिशत, निपटान के लिए पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

आई.पी.आर. ने कहा (नवंबर 2022) कि इसने प्रायोजक एजेंसी द्वारा शेष राशि जारी करने की प्रत्याशा में अधिक व्यय किया।

इस प्रकार, आई.पी.आर. की ओर से अनुचित वित्तीय प्रबंधन के कारण धन की वास्तविक प्राप्ति से अधिक व्यय हुआ।

8.1.4 लेखापरीक्षा अनुशंसाएं

1. आई.पी.आर. को स्पष्ट रूप से शीर्ष परियोजना, उप-परियोजना और परियोजना डिलिवरेबल्स को खंडित लागत के साथ मानचित्रण करने की आवश्यकता है और अप्राप्त परियोजना लक्ष्यों को विवेकपूर्ण रूप से भविष्य की परियोजनाओं में शामिल करने की जरुरत है।
2. आई.पी.आर. को परियोजना कार्यान्वयन की समवर्ती और व्यावहारिक निगरानी के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों से परिपूर्ण करके परियोजना निगरानी सेल के कामकाज को मजबूत करने की आवश्यकता है।
3. आई.पी.आर. को अपने भर्ती नियमों को डी.ए.ई. द्वारा अनुमोदित करवाने और भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में मौजूदा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, विशेषत: जब इसे प्रशासनिक विभाग स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
4. आई.पी.आर. को प्रशासन और स्थापना से संबंधित प्रणालीगत समस्याओं से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र और प्रथाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

8.2 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में संविदा एवं सामग्री प्रबंधन

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने मूल्य वृद्धि, बीमा नीतियों में वृद्धि, वारंटी शुल्क के विस्तार एवं जनशक्ति को रोके रखने/व्यर्थ बैठे रहने के कारणवश अतिरिक्त व्यय किया क्योंकि वह कार्यक्षेत्र, आरेखण और अन्य आवश्यक इनपुट उपलब्ध करवाने में विफलता के कारण निर्धारित समय में संविदा पूरी नहीं कर सके। भंडार मदों के अनुचित संरक्षण के अलावा समेकित ई.आर.पी. (एम.आई.एस. समेत) के कार्यान्वयन एवं मांगपत्रों की प्रक्रिया में विलंब हुए थे।

8.2.1 प्रस्तावना

8.2.1.1 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.), मुंबई

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

वर्तमान में, एन.पी.सी.आई.एल. 6780 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ 22[24] वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित करता है। वर्तमान में, एन.पी.सी.आई.एल. के पास कुल 6200 मेगावाट क्षमता के आठ[25] रिएक्टर विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।

---

[24] डी.ए.ई., भारत सरकार के स्वामित्व में दो बॉइलिंग वॉटर रियेक्टर (बी.डब्ल्यू.आर.), 18 दबावयुक्त हैवी वॉटर रियेक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) जिसमें राजस्थान में एक 100 मेगावाट पी.एच.डब्ल्यू.आर. (आर.ए.पी.एस.-1), और दो दबावयुक्त वॉटर रियेक्टर टाईप (डब्ल्यू.ई.आर.)

[25] कुदनकुल्लम परमाणु शक्ति परियोजना इकाई (3 एवं 4), काकरापार परमाणु शक्ति परियोजना (3 एवं 4), गोरखपुर, हरियाणा अणु विद्युत परियोजना इकाईयां (1 एवं 2) और राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना इकाइयाँ (7 एवं 8)

एन.पी.सी.आई.एल. का प्रबंधन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशक (ई.डी.) के नियंत्रण में संविदा और सामग्री प्रबंधन निदेशालय (सी. एवं एम.एम.) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं एवं स्टेशनों हेतु माल एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। सी. एवं एम.एम. इकाईयां आठ[26] साइटों/स्टेशनों पर स्थित हैं।

सी. एवं एम.एम. की मुख्य भूमिका तकनीकी विशिष्टता/आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण, सामग्री, घटकों, कच्चे मालों, संयंत्र एवं मशीनरी, स्पेयर और सेवाओं आदि का खरीद करना है। यह भंडार के प्रबंधन अर्थात् साइट पर प्राप्ति, सामग्री का भंडारण एवं संरक्षण, उपकरण एवं पूर्जे, भंडार के निर्गम एवं स्टॉक सूची नियंत्रण हेतु भी जिम्मेदार है।

जुलाई 2013 से लेकर सितंबर 2013 की अवधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.एल.) के 'खरीद संविदाओं' पर विषयगत लेखापरीक्षा की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 21 के पैरा सं.1.3 (अध्याय-I) में मुद्रित किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा तीन अनुशंसाएं की गई थीं जिन्हें एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा संपूर्णतः स्वीकार किया गया था।

8.2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की अवधि के दौरान उन पूरी की गई संविदाओं की जाँच शामिल थी जो मार्च, 2021 तक सी. एवं एम.एम., मुंबई द्वारा प्रस्तुत की गई थी और 31 मार्च 2022 तक चल रहे अनुबंध, जो मार्च

[26] **तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाट्टा (राजस्थान), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश), काकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), कुदनकुल्लम (तमिलनाडु) और गोरखपुर, हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (हरियाणा)**

2019[27] तक रखे गए थे। ट्रांबे विलेज स्टोर्स (टी.वी.एस.) सहित मुंबई में सी. एवं एम.एम. इकाई तारापुर और काकरापार स्थित स्टोर्स के अभिलेखों को विस्तरित संवीक्षा हेतु चुना गया था।

कुल 657 पूर्ण एवं चल रही संविदाओं (₹ 16415.23 करोड़ की कीमत वाली) में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन प्रणाली के आधार पर 94 संविदाओं (₹ 10090.83 करोड़ की कीमत वाली) का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित नमूना आकार का विवरण **अनुबंध-8.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पूर्व लेखापरीक्षा में प्रदत्त अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की सीमा और प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासनों की भी जांच की थी।

8.2.2 पिछली लेखपरीक्षा में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

वर्ष 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 21 ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और 'एन.पी.सी.आई.एल. की खरीद संविदाओं' से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान की, जिनकी समीक्षा वर्तमान लेखापरीक्षा में की गई थी। एन.पी.सी.आई.एल. प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी। एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैः

[27] **लेखापरीक्षा ने ₹ 30 करोड़ से अधिक कीमत वाली संविदा का चयन किया है। इन संविदाओं में, कार्य पूरा करने की अवधि 36 माह से अधिक की सीमा में थी। इसे ध्यान में रखते हुए, मौजूदा संविदाओं में पी.ओ. प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मार्च 2019 थी।**

अनुशंसा संख्या	लेखापरीक्षा अनुशंसाएं	अनुशंसाओं पर एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
1	कंपनी को मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रस्तुत और ऐसी सामग्री की आपूर्ति ठेकेदारों को करने से पूर्व वस्तुसूची में उपलब्ध सामग्री का उचित आकलन कर लेना चाहिए।	प्रयोग करने योग्य सामग्रियों को भविष्य की परियोजनाओं में मितव्ययिता पर उचित विचार करते हुए नई जारी सामग्री के रूप में जारी करने पर विचार किया जाएगा।	**अनुपालन किया गया।** लेखपरीक्षा ने पाया कि उपलब्धता के आधार पर, एन.पी.सी.आई.एल. ने ठेकेदारों को उनके उपयोग हेतु मुफ्त जारी की गई सामग्री (एफ.आई.एम.) जारी की गई थी।
2.	कंपनी को मांगपत्र की प्राप्ति के पश्चात् निविदा की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर की समाप्ति हेतु विशेष समय-सीमा का निर्धारण करना चाहिए।	मांगपत्र की प्राप्ति से लेकर क्रय आदेश देने तक की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न गतिविधियों को समयसीमाओं हेतु अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा यह अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।	**आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।** एन.पी.सी.आई.एल. ने एक समिति (जुलाई 2014) का गठन किया गया था जो मांगपत्र को प्रोसेस करने में अपेक्षित समय से लेकर क्रय आदेश देने तथा मांगपत्र की प्रक्रिया से लेकर क्रय आदेश देने से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु कार्य विश्लेषण संरचना और प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने की समयसीमा

अनुशंसा संख्या	लेखापरीक्षा अनुशंसाएं	अनुशंसाओं पर एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
			की अनुशंसा करेगी। तद्नुसार समिति ने अक्तूबर/नवंबर 2014 में कार्यों एवं क्रय हेतु समयसीमा निर्धारित की थी और उसे जुलाई 2016 में सी.एम.डी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, एकल, सीमित एवं नामांकन आधार वाली निविदाओं से संबंधित मांगपत्रों की प्रक्रिया हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न स्तरों हेतु समयसीमाएं निर्धारित करने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरंतर विलंब हो रहा था।
3.	कंपनी को संविदाओं के नियम एवं शर्तों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।	एन.पी.सी.आई.एल. में संबंधित अनुभागों को भविष्य में इस मामले में	**आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।** यह उल्लेख किया गया है कि इस तरह की एडवायजरी को

अनुशंसा संख्या	लेखापरीक्षा अनुशंसाएं	अनुशंसाओं पर एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
		उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।	जारी किए जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा को संविदाओं के नियम एवं शर्तों के अनुपालन न किए जाने के मामलें मिले।

8.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् पूर्व-संविदा गतिविधियां, संविदा के बाद की गतिविधियां एवं वस्तुसूची प्रबंधन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

8.2.3.1 पूर्व संविदा गतिविधियां

- **सार्वजनिक निविदा में निर्धारित समयसीमा के प्रति मांगपत्र प्रक्रिया में विलंब**

एकल भाग निविदा (एस.पी.टी.) के संबंध में 'मांगपत्र से लेकर क्रय आदेश देना' तक की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक निविदा की अधिकतम समय सीमा 145 कैलेंडर दिन है और दो भाग निविदा (टी.पी.टी.) के लिए 300 कैलेंडर दिन है।

657[28] क्रय संविदाओं के अभिलेखों/सूचना की संविक्षा से पता चला कि सी. एवं एम.एम., मुंबई ने 561 संविदाओं (85 प्रतिशत) में सार्वजनिक निविदा जारी की थी। इसमें से, 333 संविदाओं (59 प्रतिशत) में सी. एवं एम.एम., मुंबई ने मांगपत्र की प्रक्रिया हेतु

[28] 657 संविदाएं = 474 पूरी हुई (2016-2022) एवं 183 31 मार्च, 2022 तक चल रही हैं।

निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया था और मांगपत्रों की प्रक्रिया में 2 से लेकर 2528 दिनों तक का विलंब हुआ था।

इन मामलों में से, 10[29] मामलों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया था ताकि क्रय संविदाओं की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में विलंब की सीमा का विश्लेषण किया जा सके जिसमें यह पाया गया था कि एकल भाग निविदा के मामले में 316 दिनों तक और दो भाग निविदा के मामले में 523 दिनों तक मांगपत्रों की प्रक्रिया में विलंब हुआ था। **(अनुबंध-8.2)**

इस प्रकार, एन.पी.सी.आई.एल. ने अपनी ही अनुशंसाओं (नवंबर 2014) के उल्लंघन में मांगपत्र की प्रक्रिया से लेकर क्रय आदेश जारी करने तक के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया था।

डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मार्च 2023) को स्वीकार किया और बताया कि कुछ मामलों में मांगपत्र से लेकर क्रय आदेश तक की प्रक्रिया में संशोधन अपेक्षित हैं, प्रक्रिया समय को कम करने के लिए, 30 जून, 2023 तक आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी।

हालांकि, तथ्य यही है कि एन.पी.सी.आई.एल. ने मांगपत्र की प्रक्रिया से लेकर क्रय आदेश देने तक के लिए 333 संविदाओं (59 प्रतिशत) में अपनी निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया है।

- **अनुमानित लागत और संविदा मूल्य के बीच अंतर**

एच.क्यू.आई. के भाग-2 'खंड-ए' के अनुच्छेद- ए-5 (ए) (मांगपत्र की तैयारी और इसकी मंजूरी) में निहित है कि 'किसी वस्तु की अनुमानित लागत की गणना करते समय उसके सभी प्रचलित लागत तत्वों के साथ-साथ बाजार की स्थिति जैसे कि मांगपत्र की

[29] **पी.ओ. सं. (एस.पी.टी.) - 6477 एवं 14312 तथा पी.ओ. सं. (टी.पी.टी.) -17369, 6086, 6087, 6117, 6118, 6465, 6466 एवं 15995**

तिथि के अनुसार मुद्रास्फीति, मंदी, प्रतिस्पर्धा आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अनुमानित लागत बाजार मूल्य के साथ, उत्पाद की दी गई विशिष्टता/गुणवत्ता के साथ तुलनीय हो।

657 क्रय संविदाओं के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 458 संविदाओं **(अनुबंध-8.3)** में अनुमानित लागत और क्रय मूल्य के बीच उच्च भिन्नता थी, 59 मामलों (9 प्रतिशत) में, पी.ओ. मूल्य अनुमानित लागत से 11 से 172 प्रतिशत अधिक था और 399 मामलों (61 प्रतिशत) में अनुमानित लागत पी.ओ. मूल्य से 11 से 99 प्रतिशत अधिक थी।

डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2023) और अप्रैल 2023 तक प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के साथ मामले पर चर्चा और विचार-विमर्श के बाद समीक्षा करने और अनुशंसाओं का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया।

8.2.3.2 संविदा के बाद की गतिविधियाँ

कुशल संविदा प्रबंधन में संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार वितरण में समयबद्धता सुनिश्चित करके और ऐसी संविदात्मक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करके संगठन के हितों की रक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षा ने संविदा प्रबंधन में विभिन्न कमजोरियों का अवलोकन किया जो अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

- **संविदाओं को पूरा करने में अत्याधिक विलंब**

657 क्रय संविदाओं की संवीक्षा से पता चला कि 639[30] संविदाओं को या तो 31 मार्च 2022 तक या उससे पूर्व पूरा किया जाना था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने 639 क्रय

[30] **कुल 657 खरीद अनुबंध - 31 मार्च 2022 के बाद अनुबंधित वितरण तिथि वाले 18 अनुबंध = 639 अनुबंध**

संविदाओं की संवीक्षा की और पाया कि 350 संविदाओं (54.77 प्रतिशत) में, संविदात्मक सुपुर्दगी की तारीख (सी.डी.डी.) के मुकाबले संविदा को पूरा करने में 1 से लेकर 137 माह तक का अत्याधिक विलंब हुआ था। इसके अलावा, इन 350 संविदाओं में से, 266 अनुबंधो (76 प्रतिशत) में, पूरा होने के लिए निर्धारित अवधि के दोगुने से भी अधिक समय लिया गया **(अनुबंध-8.4)।**

संविदात्मक सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफलता, समयसीमा के अवास्तविक मूल्यांकन और संविदा प्रबंधन में कमियों को दर्शाती है।

डी.ए.ई. ने समय और लागत वृद्धि से बचने के लिए अनुबंधो के निष्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया (मार्च 2023) और आगे बताया कि वैश्विक घटनाओं और इन-हॉउस अनुभव आदि के आधार पर डिजाइनों में बदलाव से परियोजना कार्यक्रम में देरी हुई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अधिकांश मामलों (54.77 प्रतिशत) में विलंब पाया। इसके अलावा, अनुबंधो को समय पर पूरा करना विभाग के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभावो के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जैसा कि आगे के पैरा में भी बताया गया है।

- **विभिन्न गतिविधियों के लिए समय सीमा का अभाव**

  - **मोबिलाईजेशन अग्रिम**

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने 10 अप्रैल 2007 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 'मोबिलाइजेशन अग्रिम' पर दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि "हालांकि आयोग ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम को प्रोत्साहित नहीं करता है, लेकिन, यदि प्रबंधन विशिष्ट मामलों में इसकी आवश्यकता महसूस करता है, तो इसे

निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से जुड़ी नहीं होनी चाहिए।

एन.पी.सी.आई.एल. ने 30 निर्माण एवं कमीशनिंग अनुबंधो में से आठ संविदाओं (27 प्रतिशत) में संविदा की शर्तों के अनुसार काम शुरू करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष 2011 और 2018 के बीच ₹ 327.78 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.पी.सी.आई.एल. ने सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। सभी आठ मामलों में, मोबिलाइजेशन अग्रिमों की समयबद्ध वसूली नहीं की गई थी; इसकी बजाय, इसे कार्य की प्रगति से जोड़ा गया था। इस प्रकार, ₹ 6.27 करोड़ मूल्य के ये अग्रिम 41 से लेकर 101 माह की लंबी अवधि से बकाया हैं। इसलिए, एन.पी.सी.आई.एल. ने ठेकेदारों को 31 मार्च 2022 तक संविदात्मक सुपुर्दगी तिथि से अधिक समय तक उनके पास पड़े ₹ 6.27 करोड़ मूल्य के असमायोजित अग्रिमों के माध्यम से अनुचित लाभ पहुँचाया। इस प्रकार सी.डी.डी. से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए ₹ 3.22 करोड़ तक के ब्याज के हानि के साथ-साथ सी.वी.सी. दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी हुआ था।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि अब एन.पी.सी.आई.एल. ने सी.डी.डी. के बाद असमायोजित बकाया पर ब्याज सहित अग्रिम भुगतान करना शुरू कर दिया है। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि जाँचे गए मामले पुराने हैं (वर्ष 2009 से 2018 की अवधि के दौरान जारी प्रोसेस्ड मांगपत्र / पी.ओ.) जहां ठेकेदार को दिए गए अग्रिम का भुगतान ठेकेदार द्वारा उप-वेंडर को आगे किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एन.पी.सी.आई.एल. ने ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम देते समय संविदाओं में सी.वी.सी. दिशानिर्देशों (अप्रैल 2007) के अनुसार अग्रिमों की समय-आधारित वसूली का प्रावधान नहीं किया था।

- **विलंब विश्लेषण रिपोर्ट (डी.ए.आर.)**

कार्य संविदाओं में विलंब विश्लेषण रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है जो न केवल संविदात्मक संबंधी विलंबों हेतु कारण ढूंढ़ने में सहायक साबित होता बल्कि समझौते की शर्तों से संबंधित विलंब हेतु जिम्मेदार पार्टी को भी इंगित करता है। एच.क्यू.आई. 2007 (आर-3) के भाग-2 के अनुच्छेद ए.ए.-26 में निहित है कि जहां क्रय आदेश मूल्य पांच लाख से अधिक है और माल की आपूर्ति में विलंब हेतु आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार है, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार परिसमापन हर्जाना (एल.डी.) का भुगतान एन.पी.सी.आई.एल. को करेगा। आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के कारण होने वाले विलंब के लिए एल.डी. की वसूली दर आपूर्ति की संविदा की शर्त के अनुसार होगी और आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार से संविदात्मक वितरण तिथि (सी.डी.डी.) से अधिक विलंब की अवधि के लिए वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी. एवं एम.एम., मुंबई ने सी.डी.डी. के बाद ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए भंडार के मूल्य के लिए पांच प्रतिशत की दर से 65 संविदाओं के संबंध में अंतिम निपटान की शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से ₹ 47.32 करोड़ के परिसमापन हर्जाना (एल.डी.) की कटौती की थी। यद्यपि, इन एल.डी. को वर्ष 2013-14 से लेकर 2021-22 तक ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से अनंतिम रूप से काटा गया था, 31 मार्च 2022 तक उनका निपटान नहीं किया गया था और उन्हें एन.पी.सी.आई.एल. के खातों में देयता के रूप में दर्शाया जा रहा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वर्षों पहले सामग्री की प्राप्ति/स्वीकृति के बावजूद

विलंब विश्लेषण रिपोर्ट (डी.ए.आर.) की अनुपस्थिति में अंतिम विस्तार जारी नहीं किया गया था।

तथ्य यह है कि किसी विशिष्ट समय-सीमा के अभाव में, 1 से लेकर 9 वर्षों की अवधि के लिए एल.डी. की अनंतिम कटौती के बावजूद डी.ए.आर. तैयार नहीं की गई थी जिससे ठेकेदारों को उनकी ओर से देरी के लिए जिम्मेदार ठहराना और मुश्किल हो सकता है।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि वर्तमान में विलंब विश्लेषण जी.सी.सी. में मौजूदा प्रावधानों और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और इसे वार्षिक आधार पर करने की योजना है। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि प्रबंधन की समीक्षा हेतु मासिक आधार पर विवरणी भेजने के लिए इस संबंध में 15 मार्च 2023 को निर्देश जारी किए गए हैं।

डी.ए.ई. के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि डी.ए.आर. को समय पर तैयार न करने के कारण, एन.पी.सी.आई.एल. को इन 65 मामलों में गई एल.डी. की कटौती का निपटान करना शेष है।

- **विलंब के कारण लागत में वृद्धि**

वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के तहत एच.क्यू.आई. ने निर्धारित किया है कि "प्रत्येक प्राधिकारी को सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में वही विवेकशीलता का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है। एन.पी.सी.आई.एल. में संविदा प्रबंधन ने निष्पादन में कमियों का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में ₹ 348.55 करोड़ की वृद्धि हुई, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई हैः

- **निष्पादन में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि**

एच.क्यू.आई. 2007 (आर-3) का अनुच्छेद ए.ए.-21 कहता है कि जब एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ आवश्यक शर्तों के साथ क्रय आदेश दिया जाता है, तो विलंब और परिणामी वित्तीय प्रभावों के जोखिम से बचने के लिए उन्हें सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। भौतिक प्रगति के लिए मध्यवर्ती लक्ष्यों के साथ कार्य संविदा के लिए पूर्व-अपेक्षाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि निर्धारित सी.डी.डी. में कार्य पूरा किया जा सके। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.पी.सी.आई.एल. ने अद्यतित डिजाइन, विनियामक अनुमोदन और समय पर साइटों की तैयारी जैसे पूर्व-अपेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप सी.डी.डी. से ज्यादा अवधि तक परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 341.50 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	विस्तृत विवरण
1.	मूल्य समायोजन शुल्क के प्रति लागत में वृद्धि - ₹ 216.77 करोड़	वर्क-फ्रंट, आरेखण और अन्य आवश्यक इनपुट को जारी करने में एन.पी.सी.आई.एल. के द्वारा हुए विलंब के कारण, 13 संविदाएं मूल सी.डी.डी. तक पूरी नहीं की गई थीं। डी.ए.आर. के आधार पर, एन.पी.सी.आई.एल. ने लागत परिवर्तन की अनुमति देने के लिए 13 संविदाओं में संशोधन की मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 216.77 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जैसा कि **अनुबंध-8.5** में वर्णित है।
2.	सी.डी.डी. की समाप्ति के बाद बीमा पॉलिसियों के विस्तार शुल्क के मद में ₹ 70.32 करोड़ की लागत में वृद्धि	एन.पी.सी.आई.एल. ने के.ए.पी.पी.-3 एवं 4 तथा आर.ए.पी.पी.- 7 एवं 8 साइटों के लिए दो विक्रेताओं को कंसोर्टियम पर मार्च 2011 से अगस्त 2012 तक संयुक्त संविदाएं की थी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	विस्तृत विवरण
		के.ए.पी.पी.-3 एवं 4 (एम.ई.क्यू.-1024) तथा आर.ए.पी.पी.-7 एवं 8 (एम.ई.क्यू.-1062) के लिए तिथि से क्रमशः 13 माह एवं 7 माह की अवधि तक के लिए मरीन-कम-इरेक्शन (एम.सी.ई.) पॉलिसियाँ अन्य दो विक्रेताओं को प्रदान की गई थी। चूंकि परियोजनाएं मूल सी.डी.डी. में पूरी नहीं हुई थीं, इसलिए एन.पी.सी.आई.एल. को ₹ 70.32 करोड़ का लागत में वृद्धि करके बीमा पॉलिसियों की वैधता का विस्तार करना पड़ा **(अनुबंध-8.6)**।
3.	जनशक्ति को बनाए रखने/निष्क्रिय रहने और डी.जी. सेटों के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा हेतु ₹ 54.41 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार	लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन संविदाओं में, प्राप्त वस्तुओं/उपकरणों को सी.डी.डी. तक ठेकेदार द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका और एन.पी.सी.आई.एल. को डी.जी. सेटों के लिए प्रतिधारण, जनशक्ति की निष्क्रियता और अतिरिक्त भंडारण सुविधा के लिए ₹ 54.41 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि चूंकि विलंब हेतु एन.पी.सी.आई.एल. जिम्मेदार है, इसलिए उसे ₹ 341.50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

- **डी.जी. सेटों की स्थापना और कमीशनिंग न किए जाने के परिणामस्वरूप वारंटी अवधि में वृद्धि के प्रति ₹ 6.43 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ**

पी.ओ. के अनुच्छेद 6.1.1 में निहित है कि प्रत्येक रिएक्टर इकाई हेतु डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि सुविधाओं के परिचालन स्वीकृति (कमीशनिंग) की तारीख से 18 महीने होगी, जो भी पहले हो।

एन.पी.सी.आई.एल. ने के.ए.पी.पी. 3 और 4 और आर.ए.पी.पी. 7 और 8 प्रत्येक के लिए आठ डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति और निर्माण के लिए एक संविदा दी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.ए.पी.पी. 3 एवं 4 और आर.ए.पी.पी. 7 एवं 8 के लिए सभी डी.जी. सेट क्रमशः जुलाई 2014 और जनवरी 2015 में प्राप्त हुए थे; हालांकि, उन्हें एन.पी.सी.आई.एल. के कारण स्थापित नहीं किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र और अन्य आवश्यक इनपुट आदि जारी करने में विलंब शामिल थे। के.ए.पी.पी. 3 एवं 4 (₹ 201.15 करोड़) और आर.ए.पी.पी. 7 एवं 8 (₹ 195.17 करोड़) के लिए खरीदे गए डी.जी. सेट लगभग सात सालों से व्यर्थ पड़े थे और आर.ए.पी.पी. 7 एवं 8 हेतु डी.जी. सेट को 2023 में स्थापित किए जाने की संभावना थी।

चूंकि एन.पी.सी.आई.एल. गैर-स्थापना के लिए जिम्मेदार था, एन.पी.सी.आई.एल. ने के.ए.पी.पी.-3 और 4 के लिए प्राप्त डी.जी. सेट के लिए वारंटी/डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि की वृद्धि हेतु ₹ 3.44 करोड़ की राशि का भुगतान किया और आर.ए.पी.पी. 7 और 8 के लिए ₹ 2.99 करोड़ की वारंटी में वृद्धि का दावा प्रक्रियाधीन है।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि भविष्य में इस तरह के आकस्मिक व्यय से बचने के लिए संविदाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

- **आवश्यकता के अनुचित आकलन के परिणामस्वरूप अवांछित वस्तु-सूची का निर्माण हुआ और ₹ 0.62 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुई**

एन.पी.सी.आई.एल. की आर.ए.पी.एस.-2 साइट ने जुलाई 2016 तक निर्धारित डिलीवरी के साथ ₹ 95 करोड़ की अनुमानित लागत पर अक्तूबर 2014 में 80 हेयरपिन टाईप हीट एक्सचेंजर्स की आवश्यकता प्रस्तुत की थी। उचित निविदा प्रक्रिया के बाद, एन.पी.सी.आई.एल. ने हेयरपिन टाइप हीट एक्सचेंजर के निर्माण, फेब्रिकेशन, परीक्षण, निरीक्षण और आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2018 में, पी.ओ. दिए जाने से लगभग 10 माह के बाद और मांगपत्र जारी करने से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, एन.पी.सी.आई.एल. ने आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे **"ब्लो-ऑफ हेडर असेंबली (प्रीहीट लेग)"** को हटा दें, जिसकी कीमत ₹ 31.07 लाख है क्योंकि उक्त वस्तु अब अस्तित्व में नहीं है। हालांकि, दोनों आपूर्तिकर्ताओं ने क्रय आदेश के दायरे से ब्लो-ऑफ हेडर असेंबली (प्रीहीट लेग) को हटाने से इनकार कर दिया (जून 2018) क्योंकि उन्होंने इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की क्रय प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी।

इस प्रकार, आवश्यकता के अनुचित आकलन और आवश्यकताओं की गैर-मौजूदगी के संबंध में देर से सूचना दिए जाने के परिणामस्वरूप अवांछित वस्तु-सूची का सृजन हुआ और ₹ 0.62 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हो गई।

डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2023) और इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने का आश्वासन दिया।

- **छह वर्षों से अधिक के लिए एकीकृत ई.आर.पी. समाधान का कार्यान्वयन न किया जाना**

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों को चरणबद्ध तरीके से सभी प्रकार के खरीद के संबंध में ई-खरीद शुरू करने की बात कही (मार्च 2012) थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) पर शीर्ष समिति ने सभी मंत्रालयों/विभागों में एंड टू एंड ई-खरीद को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया (नवंबर 2013)।

2001 में, एन.पी.सी.आई.एल. ने कुछ हद तक मानव संसाधन कार्यों और वित्त कार्यों के लिए ₹ 2.5 करोड़ की लागत से 'एकीकृत व्यवसाय अनुप्रयोग' (आई.बी.ए.) विकसित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑनलाइन निविदा पूछताछ के लिए ई-निविदा मॉड्यूल; प्रस्तावों की प्राप्ति, बिडों को ऑनलाइन खोलने और वस्तु-सूची मॉड्यूल (आई.बी.ए. का सब-मॉड्यूल) वर्ष 2012 के दौरान परिचालनात्मक थे। हालांकि, अन्य क्रय प्रक्रियाएं जैसे मांग/मांगपत्र, क्रय अनुशंसाएं, संविदा के बाद की गतिविधियां आदि मैन्युअल रूप से की जा रही थीं। इसके अलावा, वास्तविक आधार पर कॉर्पोरेट स्तर पर वित्तीय जानकारी/डाटा का समेकन आई.बी.ए. द्वारा समर्थित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एकीकृत ई.आर.पी. प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण, सी एवं एम.एम.-एन.पी.सी.आई.एल. एकीकृत एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार करने और किसी भी समय दस्तावेजों की स्थिति को ट्रैक करने में असमर्थ थे। इस प्रकार, एन.पी.सी.आई.एल. प्रबंधन द्वार एक कुशल और प्रभावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी उत्पन्न करने में असमर्थ था, जिससे अवांछित क्रय और मदों के भंडारण की संभावना रह गई। इसके अलावा, एन.पी.सी.आई.एल. ई.आर.पी. के कई महत्वपूर्ण लाभों से वंचित था जैसे स्वचालन, व्यापार प्रक्रियाओं का एकीकरण और मानकीकरण, वास्तविक समय डाटा प्रोसेसिंग क्षमता, कोर और समर्थन प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, आदि।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि कार्यालय निदेशक की प्रत्यक्ष देखरेख में अलग सेल बनाया गया है। डी.ए.ई. ने यह भी बताया कि ई.आर.पी. के कार्यान्वयन के लिए परामर्श हेतु एक संविदा पहले ही विक्रेता को दिया जा चुका है और इसका कार्यान्वयन कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

डी.ए.ई. के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है। कि काफी समय बीत जाने के बाद भी एन.पी.सी.आई.एल. अभी तक एंड-टू-एंड ई-खरीद समाधान लागू नहीं कर पाया था।

8.2.3.3 भंडार और वस्तु-सूची प्रबंधन

नौ भंडारों[31] में से, तारापुर (टी.ए.पी.एस.), ट्रॉम्बे विलेज (टी.वी.एस.) और काकरापार (के.ए.पी.पी.) को विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था और इस संबंध में अभ्युक्तियां इस प्रकार हैं:

- **अप्रचलित/स्क्रैप सामग्री का निपटान न किया जाना - ₹ 2.82 करोड़**

सामग्री प्रबंधन नियमावली 2006 के अनुच्छेद 8.2.3 में निहित है कि अधिशेष/स्क्रैप सूची को तुरंत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिशेष/स्क्रैप के रूप में घोषित करने और बाद में निपटान के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भंडार की संविक्षा से पता चला (दिसंबर 2022) कि ₹ 2.82 करोड़ तक की राशि के 165 मदों को अगस्त 2019/फरवरी 2020 में स्क्रेप/अप्रचलित के रूप में चिन्हित किया गया था और 31 मार्च 2022 तक निपटान हेतु टी.ए.पी.एस., के.ए.पी.पी. एवं टी.वी.एस. भंडार में पड़े हुए थे **(अनुबंध-8.7)**।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि इस संबंध में निपटान एवं ई-नीलामी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

---

[31] **तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश), काकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), कुडनकुलम (तमिलनाडु), ट्रॉम्बे विलेज (महाराष्ट्र) और गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (हरियाणा) में उपस्थित भंडार**

- **स्टोर की वस्तुओं के अनुचित संरक्षण के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन लागत और मुफ्त जारी सामग्री (एफ.आई.एम.) की मरम्मत के लिए ₹ 19.44 करोड़ का परिहार्य व्यय**

टी.वी.एस. की भौतिक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बिना उचित संरक्षण के 15-20 वर्षों से अधिक हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री खुले क्षेत्र में पड़ी हुई थी। इस तरह के अनुचित संरक्षण से कई वस्तुओं को नुकसान हुआ जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

एन.पी.सी.आई.एल. ने कुल ₹ 690 करोड़ के. प्रत्येक ₹ 345 करोड़ की लागत पर के.ए.पी.पी.-3 और 4 हेतु परिवहन/हैंडलिंग/निर्माण हेतु सहायक संरचना के साथ अनिवार्य पुर्जे और 700 मेगावाट स्टीम जनरेटर (एस.जी.) के डिजाइन, शेष सामग्री (एफ.आई.एम. के अलावा) के प्रापण, निर्माण, निरीक्षण, परीक्षण, जांच, टेस्टिंग, संरक्षण एवं वितरण हेतु क्रय आदेश दिए गए थे (मार्च 2009)। दोनों पी.ओ. हेतु सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि सितंबर 2013 थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (नवंबर 2021) कि दोनों पी.ओ. में एफ.आई.एम. की सूची में शामिल आठ अर्धपूर्ण शेल फोर्जिंग (एक शेल का मूल्य ₹ 2.43 करोड़ है) बीस वर्षों से अधिक अवधि से एन.पी.सी.आई.एल. के टी.वी.एस. के पास पड़े हुए हैं।

भंडार के खुले क्षेत्र में पड़े हुए अर्धपूर्ण शेल फोर्जिंग

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जारी किए गए शेल के लिए मूल परीक्षण प्रमाणपत्र (टी.सी.) की अनुपस्थिति के कारण, इसका उपयोग वास्तविक परीक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाना था, और प्रारंभिक जांच (इन-सीटू मेटलोग्राफी) में, ये शेल गीले तथा टेम्पर्ड स्थिति में पाए गए थे।

एन.पी.सी.आई.एल. इस शर्त के साथ दोनों आपूर्तिकर्ताओं को शेल की अर्धपूर्ण फोर्जिंग जारी करने के लिए उत्तरदायी था कि यदि यह परीक्षण के दौरान आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार एस.जी. के निर्माण में उपयोग के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत स्थिति में एक्सटेंशन शेल फोर्जिंग के प्रापण करने की व्यवस्था करेगा। तदनुसार, एफ.आई.एम. के परीक्षण के लिए एक घटक को दोनों क्रय आदेशों के दायरे में शामिल किया गया था। परीक्षण के लिए, एन.पी.सी.आई.एल. ने जारी किए गए "अर्धपूर्ण फोर्जिंग" के यांत्रिक परीक्षण, मशीनिंग और एन.डी.ई. के लिए दो क्रय आदेशों में ₹ 1.37 करोड़ और ₹ 1.38 करोड़ का व्यय किया था। गुणवत्ता की पुष्टि के लिए परीक्षण के कुछ राउंड्स के बाद, जारी किए गए सभी शेलों को अस्वीकृत घोषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एन.पी.सी.आई.एल. को दो क्रय आदेशों में ₹ 9.72 करोड़ की लागत से नया शेल फोर्जिंग खरीदना पड़ा।

इस प्रकार, एन.पी.सी.आई.एल. भंडार में लंबे समय तक पड़ी उपरोक्त सामग्रियों के अनुचित संरक्षण के कारण, एन.पी.सी.आई.एल. को अस्वीकृत एफ.आई.एम. के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 19.44 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

डी.ए.ई. ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि व्यय शैलों के अनुचित संरक्षण के कारण नहीं है बल्कि आपूर्ति में अंतर्निहित कमियों के कारण है जो केवल निर्माण के समय ही पता लगाया जा सकता है। इन अस्वीकृत अर्धपूर्ण फोर्जिंगों के स्थान पर नई फोर्जिंग्स के क्रय पर ₹ 19.44 करोड़ का व्यय किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह सामग्री की स्वीकृति के समय निहित कमियों को दूर करने के लिए अपर्याप्त परीक्षण को इंगित करता है। इसके अलावा, डी.ए.ई. ने इन शेलों के अनुचित संरक्षण के कारण कमियों के अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

8.2.3.4 निष्कर्ष

एन.पी.सी.आई.एल.-सी.एम.एम. सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत ई.आर.पी. समाधान (एम.आई.एस. सहित) लागू नहीं कर सका। भंडार मदों के अनुचित संरक्षण के परिणामस्वरूप मुफ्त में जारी की गई सामग्री की प्रतिस्थापन लागत के प्रति ₹ 19.44 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा की अनुशंसाएं और विभाग की प्रतिक्रिया

पूर्वोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाएं और डी.ए.ई. से प्राप्त प्रतिक्रिया इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**अनुशंसाएं**	**उत्तर**
1.	एन.पी.सी.आई.एल. को मोबिलाइजेशन अग्रिमों की वसूली के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा दुरूपयोग की संभावना को दूर किया जा सके। (पैरा सं. 8.2.3.2)	विभाग ने बताया कि अब एन.पी.सी.आई.एल. ने सी.डी.डी. के बाद असमायोजित शेष राशि पर ब्याज के साथ अग्रिम भुगतान करना शुरू कर दिया है और नवीनतम ई.पी.सी. आवश्यकताओं में, भारत सरकार के डी.ओ.ई. द्वारा जारी माल के लिए नवीनतम क्रय नियमावली और सी.वी.सी. के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठेकेदारों को केवल ब्याज वाले अग्रिम का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	**अनुशंसाएं**	**उत्तर**
2.	एन.पी.सी.आई.एल. को क्रय आदेशों के सामयिक समापन को संभव बनाने के लिए विलंब विश्लेषण रिपोर्ट (डी.ए.आर.) की तैयारी हेतु विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए। (पैरा संख्या 8.2.3.2)	विभाग ने बताया कि शामिल विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और समयबद्ध तरीके से विलंब विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
3.	एन.पी.सी.आई.एल. को संगठन में एकीकृत ई.आर.पी. समाधान (एम.आई.एस. समेत) को कार्यान्वित करना चाहिए जिससे प्रबंधन को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलेगी (पैरा संख्या 8.2.3.3)	विभाग ने बताया कि ई.आर.पी. के कार्यान्वयन हेतु कंसल्टेंसी के लिए निविदा की जा चुकी है और कार्यान्वयन का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।
4.	एन.पी.सी.आई.एल. को उनकी अस्वीकृति से जुडी हानि से बचने के लिए लंबी अवधि के लिए स्टोर में रखी फ्री इश्यू सामग्री का उचित संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। (पैरा संख्या 8.2.3.3)	विभाग ने कहा कि साइटों पर विभिन्न वस्तुओं के भंडारण, संरक्षण और सामग्री प्रबंधन के लिए कार्य निर्देश जनवरी 2022 में जारी किए गए है।

8.3 ₹ 7.86 करोड़ की धनराशि का अवरोध

₹ 7.86 करोड़ की लागत से खरीदे गए स्वदेशी उच्च खुराक दर ब्रैकीथेरेपी (आई.एच.डी.आर.), उपचार योजना सॉफ्टवेयर (टी.पी.एस.) और कपलिंग के साथ एप्लिकेटर को लगभग सात वर्षों के बाद भी अभी तक वांछित अस्पतालों में स्थानांतरित नहीं किया गया।

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बी.आर.आई.टी.) ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) को ₹ 8.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर 'स्वदेशी उच्च खुराक दर ब्रैकीथेरेपी (आई.एच.डी.आर.)' उपकरण शीर्षक से एक परियोजना को प्रस्तावित (अगस्त 2007) किया। परियोजना का लक्ष्य उपचार योजना सॉफ्टवेयर (टी.पी.एस.) सहित एच.डी.आर. ब्रैकीथेरेपी उपकरण के सस्ते स्वदेशी संस्करण के 12 सेट विकसित करना तथा उपकरण के लिए उपयुक्त उच्च विशिष्ट गतिविधि इरिडियम स्रोत के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना था। उपचार की लागत कम करके गरीब कैंसर रोगियों के अंतिम उपयोग के लाभ के लिए इन उपकरणों का विकास और परीक्षण करके इसे भारत के वांछित अस्पतालों में आपूर्ति की जानी थी। डी.ए.ई. ने इस परियोजना के लिए ₹ 8.00 करोड़ की स्वीकृति (दिसंबर 2007) प्रदान की थी जिसकी समापन तिथि फरवरी 2012 थी।

डी.ए.ई. के क्रय एवं भंडार निदेशालय (डी.पी.एस.) ने (अगस्त 2008) में विक्रेता के साथ जुलाई 2012 तक आपूर्ति के लिए सभी सामान्य उपचार योजना सॉफ्टवेयर के साथ संचार करने में सक्षम 12 आई.एच.डी.आर. उपकरणों के 'डिजाइन, विकास, निर्माण, और आपूर्ति के लिए एक क्रय आदेश जारी किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.पी.एस., यद्यपि 2007 के परियोजना प्रस्ताव में नियोजित था परंतु अगस्त 2008 में पी.ओ. जारी करते समय आई.एच.डी.आर. उपकरण के साथ

शामिल नहीं किया गया, इस अनुमान पर कि मौजूदा आई.एच.डी.आर. डिजाइन में पहले से ही मैनुअल उपचार योजना के लिए प्रावधान था। उपकरण के पहले प्रोटोटाइप की आपूर्ति मार्च 2011 में की गई। अप्रैल 2011 में बी.आर.आई.टी. ने भारत में स्तन कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण नीडल टाइप एप्लीकेटर की खरीद के लिए डी.ए.ई. को एक पूरक प्रस्ताव दिया। आई.एच.डी.आर. उपकरण में टी.पी.एस. को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया क्योंकि यह उपचार की प्रभावशीलता और उपकरणों की उपयोगिता के लिए आवश्यक था। इसने न केवल परियोजना की लागत को ₹ 8.00 करोड़ से ₹ 9.60 करोड़ तक बढ़ाया, जिसमें बारह टी.पी.एस. (₹1.44 करोड़) और नीडल टाइप एप्लीकेटर (₹ 0.16 करोड़) की आपूर्ति शामिल थी, बल्कि परियोजना की निर्धारित तिथि को भी बढ़ाया गया। डी.ए.ई. ने ₹ 9.60 करोड़ की संशोधित राशि एवं समापन की निर्धारित तिथि को जनवरी 2013 तक करने की स्वीकृति (जुलाई 2011) जारी की।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि आपूर्तिकर्ता ने परियोजना पूर्णता के निर्धारित तिथि से 42 महीने की देरी के बाद फरवरी 2016 तक सभी 12 आई.एच.डी.आर. उपकरण विकसित और आपूर्ति की। डी.पी.एस. ने अपनी ओर से दिसम्बर 2016 में ₹ 6.19 करोड़ का पूर्ण भुगतान जारी किया।

जहां तक टी.पी.एस. का संबंध है, यह पाया गया कि 2011 में डी.ए.ई. की मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद ₹ 2.89 करोड़[32] की लागत से 12 टी.पी.एस. की आपूर्ति के लिए जनवरी 2015 में क्रय आदेश जारी किया गया था। पूर्णता की निर्धारित तिथि लेटर ऑफ क्रेडिट के खुलने की तारीख से 12 महीने अर्थात् 07 सितंबर 2015 थी। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने देरी से दो प्रोटोटाइप की आपूर्ति की, क्रमशः एक मार्च 2017 में और

[32] **यू.एस. $ 386100* ₹ 75= ₹ 2.89 करोड़ (1यू.एस. $ = ₹ 75)**

दूसरा 2018 में परंतु शेष 10 टी.पी.एस. अभी तक प्राप्त होनी बाकी थीं। तब से टी.पी.एस. के दोनों प्रोटोटाइप रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और एडवाइजरी डिवीजन (आर.पी.ए.डी.), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई और टी.एम.एच., मुंबई में मूल्यांकन के अधीन हैं, डी.पी.एस. ने नवंबर 2018 तक आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.62 करोड़ जारी किए। आगे जनवरी 2017 में कपलिंग वाले एप्लीकेटर को ₹ 0.04 करोड़ की लागत पर क्रय किया गया जिन्हें प्राप्ति के बाद वाशी क्षेत्रीय भंडारों में नियमित किया गया।

कोल्ड ट्रायल के लिए क्रमशः जनवरी 2014 और फरवरी 2014 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टी.एम.एच.) और कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र (ए.सी.टी.आर.ई.सी.), नवी मुंबई को एक-एक आई.एच.डी.आर. उपकरण की आपूर्ति की गई थी। ये कोल्ड ट्रायल पूरे किए गए और इन आई.एच.डी.आर उपकरणों को क्रमशः 2018 और 2022 में टी.एम.एच. और ए.सी.टी.आर.ई.सी. से बी.आर.आई.टी. में वापस लाया गया। हालाँकि, आई.एच.डी.आर. उपकरणों की शेष 10 इकाइयाँ अभी भी लगभग सात वर्षों (जनवरी 2023) से बी.आर.आई.टी. के पास अप्रयुक्त हैं।

इस प्रकार, प्रारम्भिक चरण में बी.आर.आई.टी. की खराब योजना और अशक्त परियोजना प्रबंधन के कारण ₹ 7.86 करोड़ की लागत वाले टी.पी.एस. के साथ सभी 12 आई.एच.डी.आर. उपकरण बेकार पड़े हुए है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस उपकरण का जीवन काल 15 वर्ष है और लगभग सात वर्ष बिना किसी उपयोग के बीत चुके हैं।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2022) में जवाब दिया कि डी.पी.एस. द्वारा टी.पी.एस. के पहले पांच सेटों के लिए आदेश दे दिया गया है। आई.एच.डी.आर. के लिए प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित (जुलाई 2022) कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन और आई.एच.डी.आर. की आपूर्ति आवश्यक विनियामक अनुमोदन के बाद

अब विक्रेता के दायरे में होगी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि 2023 के अंत तक व्यावसायिक परिनियोजन की उम्मीद है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आई.एच.डी.आर. की व्यावसायिक परिनियोजन टी.पी.एस. की सफल प्राप्ति और स्वीकृति के बाद ही संभव है। इसके अलावा, व्यावसायिक टी.पी.एस. के अगले पांच सेटों के लिए आदेश, टी.पी.एस. के पहले पांच सेटों के परीक्षण और स्वीकार किए जाने के बाद ही दिया जाएगा। टी.पी.एस. के व्यावसायिक संस्करण को स्वीकार करने के बाद विक्रेता द्वारा अस्पतालों के सहयोग से रोगविषयक अध्ययन शुरू किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) से नियामक अनुमोदन अभी भी लंबित है। इसलिए, 2023 के अंत तक आई.एच.डी.आर. की व्यावसायिक परिनियोजन का दावा अवास्तविक है। इस प्रकार, 12 आई.एच.डी.आर. का पहले से ही उनके आधे से अधिक का सामान्य जीवन काल समाप्त हो चुका है।

इस प्रकार, बी.आर.आई.टी. के तदर्थ दृष्टिकोण, जिसमे परियोजना के आवश्यक घटकों को शामिल नहीं किया गया, के परिणामस्वरूप लगभग सात वर्षों तक उपकरण बेकार पड़े रहे, इसके अलावा ₹ 7.86[33] करोड़ के व्यय के बावजूद उपचार की कम लागत के संदर्भ में उपकरण लगभग सात वर्ष तक बेकार पड़े रहे।

[33] **₹ 6.20 करोड़ (आई.एच.डी.आर. की लागत) + ₹ 1.62 करोड़ (टी.पी.एस. की लागत) + ₹ 0.04 करोड़ (कपलिंग के साथ एप्लिकेटर की लागत) = ₹ 7.86 करोड़**

8.4 कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का अभाव

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.) ने कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में कानूनी सलाहकारों को शामिल किया।

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 और भारत सरकार (कारोबार का लेनदेन) नियम, 1961 के अनुसार विधिक मामलों के अंतर्गत हस्तांतरण नियम एवं संविधान की व्याख्या का कार्य विधिक मामलों का विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय) को दिया गया है इस संबंध में टी.बी.आर. का विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करना अतिआवश्यक है इसके साथ भारत सरकार के विधिक मामलों के विभाग ने ओ.एम. दिनांक 06/10/2017 में बताया है कि कानूनी सलाह देने का कार्य एक संविदा कर्मचारी को नहीं सौंपा जा सकता साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसी संविदात्मक नियुक्ति का सहारा ना लिया जाए जो कानूनी मंत्रालय को दिए गए कार्यों का अतिक्रमण करती है। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के वित्तीय शक्तियों के उपयोग नियम 1978 की अनुसूची के अनुबंध के अनुसार कानूनी शुल्क समान्यतया विधि एवं न्याय मंत्रालय की पूर्व सहमति से ही व्यय किए जाने चाहिए।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), डी.ए.ई. की घटक इकाई ने मई 2012 में विक्रेता को एक अनुबंध कार्य दिया। इस कार्य में होने वाले विलंब के परिणामस्वरूप बी.ए.आर.सी. एवं विक्रेता के बीच ₹ 470 करोड़ में वाणिज्यिक मध्यस्थता हुई। बी.ए.आर.सी. ने जुलाई 2018 में विधि एवं न्याय मंत्रालय से इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अनुसूची परिषद के गठन के लिए संपर्क किया जो कि सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ। मामले की पैरवी की प्रतिदावा तैयार करते समय, मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वरिष्ठ अनुसूची परिषद ने दुसरे परिषदों के गठन का आग्रह किया जिसकी स्वीकृति विधि एवं न्याय मंत्रालय से नवंबर 2018 में प्राप्त हुई। इस

मामले में बहुत बड़े पैमाने पर काम और उच्च दाव को देखते हुए अधिवक्ताओं ने बी.ए.आर.सी. का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्च शुल्क की मांग की। उच्च शुल्क के मुद्दे को विधि एवं न्याय मंत्रालय (मुंबई) के समक्ष (जनवरी 2019) में उठाया गया जिसके अंतर्गत बी.ए.आर.सी. को विधिक विभाग, विधि एवं कानून मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष जनवरी 2019 में इस मामले को उठाने की सलाह दी गई ताकि उच्च शुल्क के भुगतान के लिए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री की अनुमति उचित चैनल के माध्यम से ली जा सके। इसके तहत बी.ए.आर.सी. ने इन अधिवक्ताओं को को विशेष शुल्क भुगतान करने के मामलों को फरवरी 2019 में मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा।

हालांकि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बी.ए.आर.सी. ने विधिक मामलों की सलाह विभाग की सहमति के बिना ही विधिक फर्म को बी.ए.आर.सी. के प्रतिनिधित्व का काम डी.ए.ई. की अनुमति से नियम विरूद्ध सौंप (जून 2019) दिया। इसके बाद बी.ए.आर.सी. ने विक्रेता एवं बी.ए.आर.सी. के बीच मध्यस्थता के मामले का काम विधिक फर्म को दे दिया (जुलाई 2019)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डी.ए.ई. ने अपने जून 2019 के पूर्व अनुमोदन के अधिक्रमण में बी.ए.आर.सी. को (सितंबर 2019) में विधि एवं न्याय मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने तक कानूनी फर्म को नियुक्त करने का आदेश दिया, जो नवंबर 2019 में प्राप्त हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय के इन वकीलों को विशेष शुल्क देने के आदेश होने के बावजूद भी बी.ए.आर.सी. ने कानूनी फर्मों की सेवाएं लेना जारी रखा तथा इन सेवाओं के लिए मार्च 2022 तक ₹ 1.12 करोड़[34] का खर्च किया जो कि अनियमित था। इस मामले को विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया

[34] **विधिक फर्म को ₹ 22.09 लाख एवं विधिक फर्म के वकील को ₹ 90 लाख**

जिस पर अंतिम निर्णय मार्च 2022 को आया जिसके तहत बी.ए.आर.सी. ने विक्रेता को मार्च 2022 में ₹ 25 करोड का भुगतान किया।

(मई 2022/जुलाई 2022) में बी.ए.आर.सी. ने बताया कि सरकारी वकीलों द्वारा मध्यस्थता मामले में ज्यादा सहायता नहीं की गई इसलिए लोक हित की संरक्षण एवं उनके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों को संभालने के लिए वकीलों की सहायता ली गई।

विभाग ने अपने उत्तर में (मार्च 2023) कहा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व ही सारी सुनवाई पुरी हो चुकी थी, यदि विधिक फर्म की सेवाएँ उस समय बंद कर दी जाती तो सुनवाई में निरंतरता नही रहती और इससे सरकार को अपरिहार्य हानि होती।

उत्तर इस तथ्य के कारण स्वीकार्य नहीं है कि डी.ए.ई. के विशेष शुल्क और विशिष्ट निर्देशों (सितंबर 2019) के भुगतान पर विशेष वकील की नियुक्ति के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी बी.ए.आर.सी. ने विधिक फर्म की सेवाओं को मार्च 2022 तक जारी रखा। इसके आगे रिकॉर्ड पर कही नहीं दिखाया गया कि नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा बी.ए.आर.सी. के साथ सहयोग नही किया गया और न ही बी.ए.आर.सी. द्वारा नवंबर 2019 से प्रभावी अनुमोदित सलाहकारों को विधिक फर्म की नियुक्ति के 04 महीनों बाद भी सम्मिलित करने का कोई प्रयास किया जबकि यह पूरी प्रक्रिया काफी लंबे समय तक (मार्च 2022 तक) जारी थी। बी.ए.आर.सी. का यह दावा कि वकीलों की नियुक्ति सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए की गई थी, इस तथ्य के कारण काल्पनिक है कि बी.ए.आर.सी. को मामले के निपटान के लिए विक्रेता को ₹ 25 करोड़ देने पड़े।

8.5 ₹ 77.76 लाख की बकाया राशि की हानि

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन और मास्टर बिजनेस एसोसिएट के प्रदर्शन की निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 77.76 लाख की बकाया राशि का नुकसान हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की कंप्यूटर शिक्षा इकाई ई.सी.आई.टी.[35] के तहत संव्यावसायिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस गतिविधि के अंतर्गत यह विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए समाज के कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ई.सी.आई.एल. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन मास्टर बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से करता है जो कि निगरानी की विनिर्दिष्ट शर्तों एवं गैर प्रदर्शन के लिए वसूली के अनुबंध के तहत रखे जाते हैं।

तमिलनाडु आदिद्रविदार हाउसिंग एवं विकास कॉर्पोरेशन (टी.ए.एच.डी.एल.ओ.) ने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों के 1000 प्रतिभागियों[36] के लिए इस तरह के एस.डी.टी.पी. को आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 275.96 लाख की वित्तीय प्रतिबद्धता थी। ई.सी.आई.एल. चेन्नई के आंचलिक कार्यलय ने टी.ए.एच.डी.सी.ओ. को ये प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा। टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने इस काम का जिम्मा ई.सी.आई.एल. को सौंपा तथा ई.सी.आई.एल. के साथ नवंबर 2014 में एक अनुबंध किया। ई.सी.आई.एल. को टी.ए.एच.डी.सी.ओ. से संस्थागत हिस्सेदारी

[35] **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड़ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

[36] **अनुसूचित जाति एवं जनजाति/इसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति से संबंधित**

के रूप में ₹ 259.20 लाख 03 किश्तों[37] में प्राप्त होना था तथा बकाया ₹ 16.76 लाख की राशि छात्रवृति के रूप में अभ्यर्थियों को दी जानी थी।

ई.सी.आई.एल. चेन्नई ने अपनी ओर से प्रशिक्षण के कार्य की जिम्मेदारी अपने एम.बी.ए. को दिसंबर 2014 सौंप दी। टी.ए.एच.डी.सी.ओ. से प्राप्त होने होने वाली आय 20:80 के अनुपात में विभक्त की जानी थी (ई.सी.आई.एल. : एम.बी.ए.)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ई.सी.आई.एल. ने नवंबर 2015 में ₹ 114.16 लाख (पहली किश्त) की मांग की। टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने सितंबर 2016 से अगस्त 2017 तक ₹ 90.76 लाख जारी किए इसी क्रम में ई.सी.आई.एल. ने नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 के दौरान एम.बी.ए. को ₹ 56.83 लाख का आनुपातिक हिस्सा जारी किया। हालांकि जब जून 2017 में ई.सी.आई.एल. ने ₹ 154.44 लाख (दूसरी एवं तीसरी किश्त) के लिए मांग की तो टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने राशि जारी ना करते हुए अनुबंध की समाप्ति का नोटिस (जनवरी 2019) को जारी कर दिया जिसके कारण, दावे के समर्थन के लिए जाली दस्तावेजों का निर्माण बताया गया एवं जारी की गई राशि को वापिस करने पर भी बल दिया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ई.सी.आई.एल. ने भले ही अपने स्पष्टीकरण (मार्च 2019) में टी.ए.एच.डी.सी.ओ. यह बताया कि उसने जिला प्रबंधकों[38] के साथ समन्वय में प्रशिक्षण पूरे करवाए हैं और उन्हे सभी उपयुक्त अभिलेख भी प्रस्तुत किए है फिर भी टी.ए.एच.डी.सी.ओ. अपने जारी किए नोटिस (जून 2019) को यह कह कर लागू

---

[37] **प्रशिक्षण शुरू होने पर और चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करने के बाद 40 प्रतिशत जिला प्रबंधकों (डी.एम.) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित प्रशिक्षण के सफल समापन पर 40 प्रतिशत और प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत के प्लेसमेंट के प्रमाण पर और शेष 20 प्रतिशत प्लेसमेंट की तारीख से तीन महीने के बाद और वेतन पर्ची जमा करने के आधार पर रोजगार में निरंतरता के सत्यापन पर।**

[38] **टी.ए.एच.डी.सी.ओ. के जिला अधिकारी**

रखा कि अभिलेख इस दावे की पुष्टि नहीं करते है। आगे टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने बताया कि प्रशिक्षण बेरोजगार युवाओं को ना देकर कॉलेज विधार्थियों को दिया गया जो कि अनुबंध के खिलाफ था तथा प्लेसमेंट के दावों में सत्यता की कमी थी। टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने यह भी बताया कि उसने फील्ड सत्यापन एवं प्रतिपुष्टि के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि की है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि ई.सी.आई.एल. एवं उसके एम.बी.ए. के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ई.सी.आई.एल. को संपूरित पाठ्यक्रमों, उपस्थिति रिपोर्ट तथा प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट की जानकारी इत्यादि से संबंधित दस्तावेज एम.बी.ए. से सामयिक रूप से प्राप्त करने थे। इन प्रशिक्षुओं से संबंधित परीक्षा के रिकॉर्ड जो कि ई.सी.आई.एल. के पास उपलब्ध है, ई.सी.आई.एल. के दावे का समर्थन करने के लिए काफी नहीं है। निम्नलिखित तालिका ई.सी. आई.एल. के पास उपलब्ध प्रासंगिक दस्तावेजों की जानकारी देती है।

अभ्यर्थीयों की कुल संख्या	ऐंसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनके संबंध में ई.सी.आई.एल. के पास डी.एम.के द्वारा सत्यापित की गई चयन सूची है।	ऐंसे अभ्यर्थियों की सं. जिनके संबंध में ई.सी.आई.एल. के पास डी.एम. के द्वारा सत्यापित किए गए प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण पत्र हैं।	ऐंसे अभ्यर्थियों की सं. जिनके संबंध में ई.सी.आई.एल. के पास प्रस्ताव पत्र उपलब्ध हैं।	अभ्यर्थियों की सं. जिनके संबंध में ई.सी.आई.एल. के पास वेतन पर्ची/पासबुक जमा करने के आधार पर रोजगार जारी रखने के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
1000	615 (61.5 प्रतिशत)	शून्य (0 प्रतिशत)	329 (32.9 प्रतिशत)	शून्य (0 प्रतिशत)

उपर्युक्त डेटा से यह पता चलता है कि ई.सी.आई.एल. ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के संबंध में एम.बी.ए. से आवश्यक अभिलेख नहीं लिए। आगे उपर्युक्त 329 **प्रस्ताव पत्र** में से 321 अभ्यर्थियों को आर्विन वारसिटी, टेक शॉप, एवं टेक विजर्ड में प्लेसमेंट दिया गया जो सभी एम.बी.ए. एक ही पते को साझा कर रहे थे। आगे, अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार किए गए पत्रों में वेतन तथा पद से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि ई.सी.आई.एल. ने प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण पर्याप्त रूप से नहीं किया तथा उक्त के संबंध में डी.एम. द्वारा सत्यापित दस्तावेज भी नहीं रखे, हालांकि इस आशय के प्रदर्शन एवं निगरानी से संबंधित विभिन्न खंड अनुबंध में शामिल किए गए थे। 11 जिले जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उनमें से केवल 2 का निरीक्षण ई.सी.आई.एल. द्वारा किया गया था, जिनके संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ई.सी.आई.एल. एवं एम.बी.ए. के बीच हुए अनुबंध में प्रदर्शन ना कर पाने पर एम.बी.ए. को दिए गए शुल्क की वसूली का भी प्रावधान था, लेकिन टी.ए.एच.डी.सी.ओ. द्वारा टर्मिनेशन नोटिस जारी करने तथा प्रतिदाय की मांग के बाद भी ई.सी.आई.एल. ने एम.बी.ए. के विरूद्ध कोई कार्रवाई (मार्च 2023) तक नहीं की।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने जॉच में यह भी पाया कि टी.ए.एच.डी.सी.ओ. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमा/स्नातक में अध्यनरत अभ्यर्थियों को नामित किया गया था। दिसंबर 2022 में ई.सी.आई.एल. द्वारा जारी विज्ञापन में यह इंगित किया गया था कि चयन के लिए केवल वे अभ्यर्थी योग्य है जिनके पास स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा[39] है। इस तरह डिप्लोमा/स्नातक कर रहे अभ्यर्थियों का नामांकन उचित नहीं था क्योंकि टी.ए.एच.डी.सी.ओ. की आपत्ति के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी बेरोजगार युवा की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस तरह ई.सी.आई.एल. स्टाफ के साथ जिला प्रबंधकों एवं एम.बी.ए. द्वारा अभ्यर्थियों के चयन की प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी एवं ई.सी.आई.एल. द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण यह समस्या और बढ़ गई।

ई.सी.आई.एल. ने (अक्टूबर 2021) बताया कि उसका कार्य केवल समन्वय का था तथा काम की जिम्मेदारी एम.बी.ए. को दी गई थी। उसने आगे बताया कि पूर्ण डाटा डी.एम. के सत्यापन के बाद टी.ए.एच.डी.सी.ओ. को सौंपा गया था। डी.ए.ई. ने कहा (दिसंबर 2022) कि उसने टी.ए.एच.डी.सी.ओ. द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी तथा कंपनी ने पात्रता मानदंडों के आधार पर जिला प्रबंधकों के परामर्श से अभ्यर्थियों का चयन किया था और कहा

[39] **एम.एस.सी, बी. एड./बी.एस.सी.बी. एड./बी.एस.सी./डिप्लोमा/बी.ई. (ई.सी.ई.,ई.ई.ई., यांत्रिकी) के उम्मीदवार**

कि टी.ए.एच.डी.सी.ओ. का अनुबंध समाप्त करना एक तरफा निराधार एवं गुणरहित था।

अपने हालिया उत्तर में (अक्टूबर 2023), ई.सी.आई.एल. ने बताया कि उसने टी.ए.एच.डी.सी.ओ. से मामले के निपटान के लिए बात की है एवं टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने ऑर्डर वैल्यू का मात्र 70 प्रतिशत अर्थात ₹ 181.44 लाख की राशि स्वीकृत की तथा मात्र 30 प्रतिशत अर्थात (₹ 77.76 लाख) अनियमितताओं के लिए काट लिए। ई.सी.आई.एस. ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया एवं टी.ए.एच.डी.सी.ओ. ने अंतिम समझौते के रूप में ₹ 90.68 लाख जारी किए। इस तरह एम.बी.ए. द्वारा किए गए कार्य की निगरानी के अभाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ ना केवल ई.सी.आई.एल. को मामले के लिए समझौता करना पड़ा बल्कि टी.ए.एच.डी.सी.ओ. द्वारा ऑर्डर वैल्यू के 30 प्रतिशत (₹ 77.76 लाख) का अर्थदंड भी झेलना पड़ा।

चूंकी ई.सी.आई.एल. खुद को केवल समन्वयक की स्थिति में नहीं रख सकता। इसलिए उनका यह उत्तर स्वीकार्य नही है। उसकी जिम्मेदारी एम.बी.ए. को दिए गए कार्य की निगरानी करना है जिसे यह कार्य सौंपा गया था। एम.बी.ए. के कार्य तत्परता को सुनिश्चित करना भी ई.सी.आई.एल. की जिम्मेदारी है। सभी रिकॉर्डस्[40] प्राप्त कर लिए हैं; उनका सत्यापन किया है एवं उन्हें वर्णित किया है। हालांकि, ई.सी.आई.एल अपने दावों के समर्थन में सभी रिकॉर्डस को प्रस्तुत करने एवं अनुरक्षण करने में असफल रहा। इसके अलावा ई.सी.आई.एल./डी.ए.ई. ने रिकार्ड का रखरखाव न करने और टी.ए.एच.डी.सी.ओ. पर अपने दावे को प्रमाणित न करने के लिए एम.बी.ए. या चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ई.सी.आई.एल. ने

[40] **चुने गए उम्मीदवारों की सूची, प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र, नियुक्ति का प्रभाव तथा जिला प्रबंधकों द्वारा विधिवत प्राप्तिहस्ताक्षरित वेतन पर्ची/पासबुक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर रोजगार की निरंतरता का सत्यापन**

ई.सी.आई.एल. ब्रांड की प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए अप्रैल 2021 से सी.ई.डी. के कौशल विकास प्रशिक्षणों को बंद करने का निर्णय लिया, जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता है ई.सी.आई.एल. स्वयं एम.बी.ए. के कार्य को लेकर आशंकित था।

इस तरह, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, एम.बी.ए. द्वारा किए गए कार्य की निम्न श्रेणी निगरानी, दावे को प्रमाणित करने के लिए अभिलेखों के अनुरक्षण ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 77.76 लाख की सीमा तक बकाया राशि की हानि हुई।

नई दिल्ली **(गुरवीन सिद्धु)**

दिनांकः 12 **दिसम्बर** 2023 **महानिदेशक लेखापरीक्षा**

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांकः 18 **दिसम्बर** 2023 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध-2.1

[अनुच्छेद 2.1 में संदर्भित]

बिजली भुगतान विवरणः एल.पी.एस.सी. बैंगलोर, इसरो देवआर्यन पटना टुमकुर-572101/ खाता संख्या 0634756031-टुमकुर इसरो कैंपस

महीना	(के.वी.ए.) में अनुबंध मांग	के.वी.ए. में बिलिंग की मांग (अनुबंध की मांग का 85 प्रतिशत)	के.वी.ए. में दर्ज की गई मांग	बेंचमार्क मूल्य (अगस्त 2020 में अधिकतम खपत के आधार पर)	प्रति के.वी.ए. भुगतान दर ₹ में	अतिरिक्त के.वी.ए.	अधिक व्यय ₹ में
1	2	3	4	5	6	7=(3)-(5)	8=(6)x(7)
फरवरी-20	5000	4250	250	2375	220	1875	412500
मार्च-20	5000	4250	530	2375	220	1875	412500
अप्रैल-20	5000	4250	20	2375	220	1875	412500
मई -20	5000	4250	573	2375	220	1875	412500
जून-20	5000	4250	215	2375	220	1875	412500
जुलाई-20	5000	4250	215	2375	220	1875	412500
अगस्त-20	5000	4250	2375	2375	220	1875	412500
सितंबर-20	5000	4250	468	2375	220	1875	412500
अक्टूबर-20	5000	4250	285	2375	220	1875	412500
नवंबर-20	5000	4250	173	2375	230	1875	431250
दिसंबर-20	5000	4250	138	2375	230	1875	431250
जनवरी-21	5000	4250	45	2375	230	1875	431250
फरवरी-21	5000	4250	30	2375	230	1875	431250
मार्च-21	5000	4250	78	2375	230	1875	431250
अप्रैल-21	5000	4250	25	2375	230	1875	431250
मई-21	5000	4250	25	2375	230	1875	431250
जून-21	5000	4250	123	2375	250	1875	468750
जुलाई-21	5000	4250	450	2375	250	1875	468750
अगस्त-21	5000	4250	178	2375	250	1875	468750
सितंबर-21	5000	4250	80	2375	250	1875	468750
अक्टूबर-21	5000	4250	175	2375	250	1875	468750
नवंबर-21	5000	4250	28	2375	250	1875	468750
दिसंबर-21	5000	4250	25	2375	250	1875	468750
जनवरी-22	5000	4250	30	2375	250	1875	468750
फरवरी-22	5000	4250	40	2375	250	1875	468750
मार्च-22	5000	4250	45	2375	250	1875	468750
						कुल	11418750

अनुबंध-3.1

[अनुच्छेद 3.1 के संदर्भ में]

केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा पहली नियुक्ति हेतु वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत सामान एवं यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति।

क्रं.सं.	**संस्थान का नाम**	**वित्तीय वर्ष में प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि (1998 से 2022 तक) (राशि लाख में)**
1	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (एन.आई.आई.), नई दिल्ली	2.62
2	नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे	30.58
3	सेंटर फॉर डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एंड डायइनोस्टिक्स (सी.डी.एफ.डी)	1.51
4	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम सिसर्च (एन.आई.पी.जी.आर.), नई दिल्ली	0.34
5	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर	12.50
6	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	5.21
7	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (एन.आई.बी.एम.जी.), कल्याणी	5.19
8	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ए.बी.), हैदराबाद	1.79
9	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	2.35
10	स्टेम सेल संस्थान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (इन.स्टेम), बेंगलुरु	5.39
	कुल राशि की प्रतिपूर्ति	**67.48**

अनुबंध-8.1

[अनुच्छेद 8.2.1.2 के संदर्भ में]

कुल एवं चयनित संविदाएं (पूर्ण एवं चालित)

(₹ करोड.में)

विवरण	**संविदा मूल्य सीमा**	**कुल संविदा**		**चयनित संविदाएं**		**चयनित प्रतिशतता निम्न के अनुसार**	
		संख्या	**मूल्य**	**संख्या**	**मूल्य**	**संख्या**	**मूल्य**
2016-17 से 2021-22 के दौरान पूरी की गई संविदाएं	₹ 30 करोड़ और उससे अधिक	7	390.58	7	390.58	100	100
	₹ 30 करोड़ से कम	467	750.28	22	345.64	5	48.13
31.03.2022 की तारीख में चालू संविदाऐं जिनमें अप्रैल 2019 से पूर्व की संविदाऐं भी शामिल है।	₹ 30 करोड़ और उससे अधिक	77	14680.99	58	9224.44	75	63
	₹ 30 करोड़ से कम	106	593.38	7	130.17	7	22
कुल योग		**657**	**16415.23**	**94**	**10090.83**	**14**	**61**

अनुबंध-8.2

[अनुच्छेद 8.2.3.1 के संदर्भ में]

प्रयोजन की प्रसंस्करण में चरणबद्ध विलंब

एकल भाग निविदा				दो भाग निविदा			
चरणबद्ध गतिविधि का विवरण	निर्धारित समय (दिन)	अंतिम रूप देने में लगने वाले दिन	विलम्ब दिनों में	चरणवार गतिविधि का विवरण	निर्धारित समय (दिन)	अंतिम रूप देने में लगने वाले दिन	विलम्ब दिनों में
सी. एंड एम. एम. के अंतर्गत इंडेंट का पंजीकरण और फाइल खोलना	5	22-55	17-50	सी. एण्ड एम.एम. में फाइल खोलना और इंडेंट का पंजीकरण करना	5	6-61	1-56
इंडेंट की संवीक्षा और निविदा जारी करना	25	66-341	41-316	इंडेंट की संवीक्षा और निविदा जारी करना	25	24-548	0-523
निविदा/एन.आई.टी. की जारी तिथि से निविदा खोलने की तिथि	30	10-154	0-124	निविदा खोलने में समय में वृद्धि सहित निविदा/एन.आई.टी. जारी करने की तिथि से निविदा खोलने की तिथि (भाग-I)	90	42-164	0-74
तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन एवं स्पष्ट क्रय अनुशंसा (पी.आर.) की प्राप्ति	60	119-247	59-187	तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन भाग-I समेत सक्षम प्राधिकारी के भाग-II का अनुमोदन प्राप्त करना	80	95-416	15-336
क्रय आदेश जारी करने की समय सीमा	25	1-58	0-33	भाग-II का खोलना एवं स्पष्ट स्पष्ट क्रय अनुशंसा	70	13-287	0-217

एकल भाग निविदा				दो भाग निविदा			
चरणबद्ध गतिविधि का विवरण	निर्धारित समय (दिन)	अंतिम रूप देने में लगने वाले दिन	विलम्ब दिनों में	चरणवार गतिविधि का विवरण	निर्धारित समय (दिन)	अंतिम रूप देने में लगने वाले दिन	विलम्ब दिनों में
				(पी.आर.) की प्राप्ति			
				क्रय आदेश जारी करने की समय-सीमा	30	17-494	0-464
कुल	**145**	**1-341**	**0-316**	**कुल**	**300**	**0-548**	**0-523**

अनुबंध-8.3

[अनुच्छेद 8.2.3.1 के संदर्भ में]

अनुमानित लागत में भिन्नता

संविदाओं की प्रकृति	**समीक्षा किए गए मामले**		**लागत का कम आकलन**			**लागत का अधिक आकलन**		
	पी.ओ. की संख्या	पी.ओ. का मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में	भिन्नता (प्रतिशत में)	मामलों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में	भिन्नता (प्रतिशत में)
पूरे किए गए	474	1140.86	39	264.33	11 से 156	270	525.10	11 से 99
चल रही है	183	15274.37	20	1661.46	12 से 172	129	11419.42	11 से 97
कुल	**657**	**16415.23**	**59**	**1925.79**	**11 से 172**	**399**	**11944.52**	**11 से 99**

अनुबंध-8.4

[अनुच्छेद 8.2.3.2 के संदर्भ में]

संविदा के पूरा करने में विलंब

संविदाओं का प्रकार	**मामलों की संख्या**	**मूल्य (₹ करोड़ में)**	**सी.डी.डी. से परे विलंब की सीमा (महीनों में)**	**विलंब की सीमा (प्रतिशतता में)**	**उन संविदाओं की संख्या जहां पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक समय लिया गया था**
पूरे की गई	195	704.01	1 से 137	5 से 4888	122
चल रही है	155	9169.99	20 से 131	72 से 6336	144
कुल	**350**	**9874**	**1 से 137**	**5 से 6336**	**266**

अनुबंध-8.5

[अनुच्छेद 8.2.3.2 के संदर्भ में]

तालिका -1: मूल सी.डी.डी. से परे मूल्य समायोजन

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	ई एवं सी पी.ओ. संख्या 6081 दिनांक 19.08.2011, ₹ 6.60 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. संख्या 6080	मैसर्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड (के.ओ.ई.ए.ल.), नासिक	के.ए.पी.पी.-3 और 4 के लिए डीजल जेनरेटर सेट (संख्या में 8) के लिए आपूर्ति सह निर्माण पैकेज	के.ए.पी.पी.-3 30.04.2014 के.ए.पी.पी.-4 31.10.2014 के.ए.पी.पी.-3 31.03.2020 के.ए.पी.पी.-4	31.05.2018	1400 दिन	के.ए.पी.पी.-3 28.02.2018 के.ए.पी.पी.-4 31.08.2018	कार्यक्षेत्र के विमोचन में विलंब	डी.ए.आर. के अनुसार पी.वी.सी. के प्रति वित्तीय प्रभाव	2.24	के.ए.पी.पी. 3 और के.ए.पी.पी. 4 के लिए दिनांक 28.02.2018 और 31.08.2018 तक प्रचालित सूचकांकों के साथ मूल्य समायोजन की अनुमति देने के

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	दिनांक 19.08.2011, ₹ 194.55 करोड़)			31.12.2022							लिए दिनांक 12.03.2019 को संशोधन
									वित्तीय शुल्क	0.95	संशोधन संख्या-VI दिनांक 12.10 2018 के अनुसार मूल सी.डी.डी. से अधिक वैधानिक शुल्कों और अन्य शुल्कों जैसे बीमा शुल्क, बैंक गारंटी शुल्क आदि पर किए गए प्रतिपूर्ति का भुगतान

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											एन.पी.सी.आई. एल. द्वारा किया जाना था।
									कुल	**3.19**	
2.	ई और सी. पी.ओ. संख्या 6425 दिनांक 19.08.2011, ₹ 7.00 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. संख्या 6424 दिनांक	मैसर्स किलोस्कर ऑयल इंजन (के.ओ.ई.ए ल.) नासिक	आर.ए.पी.पी. 7 एवं 8 के लिए डीजल जैनरेटर सेटों के लिए आपूर्ति यह निर्माण पैकेज	आर.ए.पी.पी .-7 31.10.2014 आर.ए.पी.पी .-8 30.04.2015 आर.ए.पी.पी .-7 31.12.2022	31.01.2019	61 महीना	31.01.2019	कार्यक्षेत्र के विमोचन में विलंब	जनवरी 2019 तक निष्पादित कार्यों के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान	0.07537	31.01.2019 तक किए गए विलंब विश्लेषण के मजद्देनजर 31.01.2019 तक प्रचलित सूचकांकों के साथ मूल्य समायोजन की अनुमति देने के लिए 26.03.2021 के ई. एवं सी .
									छूटे हुए कार्य के लिए मूल्य वृद्धि के अपेक्षित मूल्य के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान	4.00907	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	19.08.2011, ₹ 188.17 करोड़			आर.ए.पी.पी.-8 31.01.2023							पी.ओ. में संशोधन-X जारी किया गया था।
									पी.बी.जी. और ए.बी.जी. का विस्तार	0.23224	सी.डी.डी. से आगे की अवधि के लिए मौजूदा बीजी/पॉलिसियों की अवधि के दौरान पी.बी.जी. और ए.बी.जी., बीमा पॉलिसियों, कामगार मुआवजा नीति के लिए बैंक गारंटी के विस्तार के लिए
									बीमा पॉलिसियों का विस्तार	1.12792	
									डब्ल्यू.सी. नीति का विस्तार	0.01401	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											वित्तीय शुल्कों की प्रतिपूर्ति।
									कुल	**5.458 61**	
3 पी.एम .-35	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6071 दिनांक 22.07.2011 ₹ 28.66 करोड़ आपूर्ति पी.ओ. सं. 6070 दिनांक 22.07.2011 ₹	लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी)	के.ए.पी.पी.-3 और 4 के लिए सामान्य सेवा पैकेज अनुबंध	के.ए.पी.पी.-3 22.07.2014 के.ए.पी.पी.-4 22.01.2015 के.ए.पी.पी.-431.12.2022	31.05.2018	के.ए.पी.पी.-3 912 दिन के.ए.पी.पी.-4 1096 दिन	के.ए.पी.पी-3 19.01.2017 के.ए.पी.पी.-4 22.01.2018	कार्यक्षेत्र और चित्रकला जारी करने में विलंब	सूचकांकों के अप्रतिबंधित होने के कारण मूल्य समायोजन के लिए शुद्ध अतिरिक्त भुगतान	12.03	अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, निर्माण कार्य, इंजीरियरिंग डिविजन से प्राप्त ड्राइंग के नवीनतम संशोधन के अनुसार किया जाना था। संवीक्षा में यह देखा गया है कि इनपुट्स यानी
									बैंक प्रदर्शन के गारंटी के विस्तार के लिए प्रतिपूर्ति	0.093	
									बीमा शुल्क के नवनीकरण के लिए प्रतिपूर्ति	0.84	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	100.98 करोड़								बढ़े हुए करों और शुल्कों के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति	0.49	ड्राइंग और कार्यक्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण, के.ए.पी.पी.-3 में 912 दिनों की देरी और के.ए.पी.पी.-4 में 1096 दिनों की देरी एन.पी.सी.आई. एल. के कारण हुई। 31.05.2018 तक किए गए विलंब विश्लेषण के अनुसार

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											एन.पी.सी.आई. एल. ने संशोधन सं. XXII दिनांक 21.01.2020 के अनुसार के.ए.पी.पी.-3 के लिए 19.01.2017 तक और के.ए.पी.पी.-4 के लिए 22.01.2018 तक इ एवं सी पी.ओ. में मूल्य समायोजन की अनुमति दी। ड्राइंग और वर्क

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											फ्रंट प्रदान करने में देरी के कारण एन.पी.सी.आई. एल. को के.ए.पी.पी.-3 के लिए 22.07.2014 से 19.01.2017 तक की अवधि के लिए एंव के.ए.पी.पी.-4 के 22.01.2015 से 22.01.2018 तक की अवधि के लिए ₹ 13.453 करोड़ अतिरिक्त

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											वित्तीय भार का वहन करना पड़ा है।
									कुल	**13.453**	
4 पी.एम. 36	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6109 दिनांक 07.09.2012 ₹ 10.68 करोड़ आपूर्ति पी.ओ. सं. 6108 दिनांक 07.09.201	मैसर्स बी.एच.इ.एल.	के.ए.पी.पी.पी. 3 और 4 के लिए "कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज" की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग	के.ए.पी.पी.-3. 06.07.2015 के.ए.पी.पी.-4. 06.01.2016 के.ए.पी.पी.-3. 30.06.2020 के.ए.पी.पी.-4 31.03.2023	(मूल सी.डी.डी.) के.ए.पी.पी.-3. 06.07.2015 . के.ए.पी.पी.-4 06.01.2016	के.ए.पी.पी.-3. 545 दिन के.ए.पी.पी.-4 523 दिन	के.ए.पी.पी.-3 01.01.2017 के.ए.पी.पी.-4 04.07.2017	कार्यक्षेत्र जारी करने में देरी, ठेकेदार को इनपुट दस्तावेज/ड्रा इंग उपलब्ध कराना, ड्राइंग, टेस्टिंग आदि की मंजूरी	मूल सी.डी.डी. से परे मूल्य समायोजन की अनुमति देने के लिए शुद्ध वित्तीय प्रभाव	1.34	विलंब विश्लेषण मूल सी.डी.डी. तक किया गया था और चल रही परियोजना की निगरानी पर बोर्ड उप-समिति को मार्च 2019 में प्रस्तुत किया गया था। डी.ए.आर के अनुसार
									पी.बी.जी. का विस्तार	0.012	
									बीमा कवर का विस्तार	0.014	
									कर के प्रभाव	0.0057	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	2, ₹90.85 करोड़										एन.पी.सी.आई. एल. को इ एवं सी पी.ओ. में के.ए.पी.पी.-3 के लिए 545 दिनों और केएपीपी-4 के लिए 523 दिनों कि देरी का जिम्मेदार माना गया था। तदनानुसार, 26 फरवरी 2020 के ई एवं सी पी.ओ. में मूल सी.डी.डी. से परे मूल्य समायोजन की अनुमति अर्थात

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											के.ए.पी.पी.-3 और के.ए.पी.पी.-4 के लिए क्रमशः 01.01.2017 और 04.07.2017 तक देने के लिए संशोधन जारी किया गया था। मूल सी.डी.डी. परे मूल्य समायोजन की अनुमति देने के कारण कुल ₹ 1.37 करोड़ का

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											वित्तीय प्रभाव पड़ा।
									कुल	**1.3717**	
5 पी.एम. 37	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6416 दिनांक 22.07.2011 ₹ 28.48 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. सं. 6415 दिनांक	मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो, चेन्नई	आर.ए.पी.पी.-7 और 8 के लिए कॉमन सर्विस पैकेज अनुबंध की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग	आर.ए.पी.पी.-7 22.01.2015 आर.ए.पी.पी.-8 22.07.2015 आर.ए.पी.पी.-8 31.12.2022	22.07.2015	821 दिन	20.10.2017	कार्यक्षेत्र के विमोचन में विलंब	एन.पी.सी.आई.ए ल. (22.07.2015-20.10.2017) पर विभाजित देरी की अवधि तक प्रचलित सूचकांकों पर देय मूल्य समायोजन राशि	1.85	एन.पी.सी.आई.ए ल. में (अक्टूबर 2018) में विलंब अवधि (821 दिन) के भाग का भुगतान की सिफारिश विस्तारित अनुबंध अवधि में मूल्य समायोजन
									शेष कार्य के लिए जमे हुए/प्रचलित सूचकांकों पर देय	11.25	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	22.07.2011, ₹ 100.98 करोड़)		के लिए अनुबंध						मूल्य समायोजन राशि बैंक गारंटी/बीमा/वारंटी के नवीनीकरण/वैधता के विस्तार के लिए शुल्क		द्वारा संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार बैंक गारंटी/बीमा उपकरणों/वारंटी या गारंटी विस्तार की वैधता के नवीनीकरण/विस्तार के लिए वित्तीय शुल्क का भुगतान एन.पी.सी.आई.एल. को करने के लिए किया गया। तदनुसार
									बैंक गारंटी/बीमा/वारंटी के नवीनीकरण/वैधता के विस्तार के लिए शुल्क	0.67	
									अतिरिक्त करों/ड्यूटी के लिए शुल्क	2.53	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											एन.पी.सी.आई. एल. ने संशोधन संख्या 19 दिनांक 22.02.2019 में मूल्य समायोजन, बैंक गारंटी के विस्तार और बीमा अवधि को 20.10.2017 तक करने की अनुमति दी क्योंकि देरी क्रेता के कारण थी। 20.10.2017

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											को सूचकांकों की फीजिंग हो गई है। ई एवं सी पी.ओ. के तहत एन.पी.सी.आई. एल. के द्वारा हुए विलंब के कारण कुल अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव ` 16.30 करोड़ हुआ।
									कुल	**16.30**	
6 पी.एम. 42	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6412	मैसर्स पुंज लॉयड	प्राथमिक पाइपिंग पैकेज	आर.ए.पी.पी.-7	सी.डी.डी. तक	1097 दिन	05.12.2018	कार्यक्षेत्र और अपेक्षित	05.12.2018 तक प्रचलित/अनुमानित सूचकांकों पर	44.34	आपूर्तिकर्ता साइट फ्रंट जारी न करने के

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	दिनांक 03.06.2011 ₹ 59.30 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. सं. 6411 दिनांक 03.06.2011, ₹ 289.10 करोड़)	लिमिटेड, गुड़गांव	आर.ए.पी.ए स. 7 और 8 के लिए	03.06.2015 आर.ए.पी.पी.-8 03.12.2015 आर.पी.पी.-8 31.12.2022)	(आर.ए.पी.पी.-7 03.06.2015 आर.ए.पी.पी.-8 03.12.2015			ड्राइंग जारी करने में विलंब	वृद्धि और करों के प्रति वित्तीय निहितार्थ और शेष अवधि के लिए स्थिर		कारण निर्माण कार्य में देरी बीमा शुल्क और बी.जी. शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति सहित कार्यों के अपेक्षित समापन तक की अवधि में वृद्धि के लिए ₹ 47.29 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा। वित्तीय प्रभाव का आकलन
									बी.जी./पी.बी.जी./ बीमा प्रभार	2.95	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											05.12.2018 तक प्रचलित/अनुमानित सूचकांकों पर वृद्धि और करों पर अधारित है और शेष अवधि अर्थात काम पूरा होने की संभावित तिथि दिसम्बर 2021 के है।
									कुल	**47.29**	
7		मैसर्स लार्सन एंड	220/400 के.वी.	आर.ए.पी.पी.-7	30.06.2017	1212 दिन	31.10.2018		दिसंबर-16 तक किए गए कार्य	0.54	एन.पी.सी.आई.एल. ने दिनांक

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
पी.एम. 45	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6393 दिनांक 24.02.2011 ₹ 11.85 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. सं. 6392 दिनांक 24.02.2011 ₹ 31.57 करोड़)	टुब्रो लिमिटेड, चेन्नई	स्विचयार्ड पैकेज	31.12.2014 आर.ए.पी.पी.-8 30.06.2015 (आर.ए.पी.पी.-7 एवं आर.ए.पी.पी.-8 31.12.2021				कार्यक्षेत्र जारी होने में विलंब	का मूल्य समायोजन		25.01.2019 को एक संशोधन संख्या XV जारी किया गया जिससे 31.10.2018 तक आर.ए.पी.पी.- 7 एवं 8 साइटों के लिए बी.जी./बीमा उपकरणों/वारंटी या गारंटी विस्तार/अतिरिक्त करों या मूल सी.डी.डी. से परे शूल्कों के
									छुट गए कार्य के लिए वृद्धि के अपेक्षित मूल्य के लिए मूल्य समायोजन	0.77	
									बीजी प्रभारों का विस्तार (जुलाई-15 से मार्च-19)	0.09	
									बीमा क्षेत्र का विस्तार (अप्रैल-16 से मार्च-19)	0.24	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											नवीनीकरण/विस्तार की वैधता के लिए वित्तीय शुल्कों की प्रतिपूर्ति के साथ मूल्य समायोजन के भुगतान की अनुमति दी गई। इस संदर्भ में, सी.डी.डी. से परे विभिन्न पूर्वोक्त भुगतानों की अनुमति के कारण एन.पी.सी.आई. एल. को ₹

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											1.64 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा था जो डी.ए.आर. (30.06.2017 तक की अवधि) के आधार पर आया था।
									कुल	**1.64**	
8 पी.एम. 47	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6087 दिनांक 28.09.2011	मैसर्स डोडसल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई और	के.ए.पी.पी.पी. 3 और 4 के लिए निर्माण और कमीशनिंग	के.ए.पी.पी.पी.-3 27.03.2015 के.ए.पी.पी.पी.-4 27.09.2015	के.ए.पी.पी.पी.-3 27.03.2015 के.ए.पी.पी.पी.-4 27.09.2015	760 दिन	के.ए.पी.पी.पी.-3 27.04.2017 के.ए.पी.पी.पी.-4	कार्यक्षेत्र और अपेक्षित इनपुट जारी करने में विलंब	निर्माण पी.ओ.-6087 में मूल्य समायोजन	42.76	सी.डी.डी. तक एन.पी.सी.आई.एल. के कारण 760 दिनों का कुल विलंब पाया गया। इसलिए
									विस्तारित अवधि के लिए पी.बी.जी. शुल्क (अक्टूबर-	2.80	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	₹ 387.09 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. सं. 6086 दिनांक 28.09.2011 ₹ 446.87 करोड़)	मैसर्ज डोडसल इंजीनियरिंग एंड कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, दुबई	संतुलन की टर्बाइन द्वीप पैकेज की आपूर्ति	(के.ए.पी.पी.-3 27.03.2023 के.ए.पी.पी.-4 27.03.2023)			27.10.2017		19 से दिसंबर-21)		एन.पी.सी.आई. एल. ने प्रचलित सूचकांकों के अनुसार के.ए.पी.पी.-3 के लिए 27.04.2017 तक और के.ए.पी.पी.-4 के लिए 27.10.2017 तक सी.डी.डी. से अधिक कीमत समायोजन की अनुमति दी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस
									(अक्टूबर-19 से मार्च-20) विस्तारित अवधि के लिए ए.बी.जी. शुल्क	0.036	
									(जुलाई-20 से दिसंबर-20) विस्तारित अवधि के लिए बीमा शुल्क	0.72	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											संदर्भ में, बैंक गारंटी, बीमा, करों और शुल्कों, सेवा कर में वृद्धि, नए करों पर वास्तविक रुप से वित्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ निर्माण पी.ओ.-6087 में मूल्य समायोजन के भुगतान के खिलाफ एन.पी.सी.आई. एल. का

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											अतिरिक्त वित्तीय भार ₹ 42.76 करोड़ था।
									कुल	**46.316**	
9 पी.ए.म 49	इ एवं सी पी.ओ. सं. 6067 दिनांक 03.06.2011 ₹ 58.64 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. सं. 6066	मैसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड, गुड़गांव	के.ए.पी.पी.-3 और 4 के लिए प्राथमिक पाइपिंग पैकेज अनुबंध	के.ए.पी.पी.-3 03.12.2014 . के.ए.पी.पी.-4 03.06,2015 के.ए.पी.पी.-4 31.12.2022	के.ए.पी.पी.-3 03.12.2014 के.ए.पी.पी.-4 03.06.2015	1090 दिन	के.ए.पी.पी.-3 28.11.2017 के.ए.पी.पी.-4 28.05.2018	कार्यक्षेत्र, एफ.आई.ए.म. और रेखाचित्रों को जारी करने में विलंब	सी.डी.डी. से आगे अनुमत मूल्य समायोजन की दिशा में वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ	**31.63**	आपूर्ति पी.ओ. में, सी.डी.डी. के भीतर मेंसर्ज पी.एल.एल. द्वारा 39% आपूर्ति की गई थी। देरी के कारण में एन.पी.सी.आई. एल. की ओर से भूकंपीय

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	दिनांक 03.06.2011 ₹ 277.54 करोड़)										विश्लेषण के लिए फ्लोर रिस्पोन्स स्पेक्ट्रा जारी करने में देरी शामिल है, जिससे 63 वस्तुओं में से 47 वस्तुओं की सुपुर्दगी प्रभावित हुई। मेसर्ज पीएलएल को पी.ओ. प्लेसमेंट के दो साल बाद फ्लोर रिस्पोन्स स्पेक्ट्रा प्रदान किया गया।

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											इरेक्शन पी.ओ. के तहत, वर्क फ्रंट, एफ.आई.एम. और एन.पी.सी.आई. एल. की ओर से ड्रॉइंग जारी करने में देरी के कारण निर्धारित सी.डी.डी. के भीतर काम पूरा नहीं किया जा सका। के.ए.पी.पी.-3 के संबंध में, निर्धारित

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											रिलिजिंग अवधि 01.12.2011 से 31.12.2012 के मुकाबले पहला कार्यक्षेत्र 01.04.2014 को जारी किया गया था। एफ.आई.एम. उपकरण मेसर्ज पी.एल.एल. को 01.03.2012 से 30.06.2013 तक जारी किये जाने थे, हालांकि कई एफआईएम उपकरण

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											सी.डी.डी. के भीतर आपूर्तिकर्ता को जारी नहीं किए जा सके। साथ ही, के.ए.पी.पी.-3 के लिए मैसर्स पी.एल.एल. को 01.10.2011 से 31.10.2012 तक रेखाचित्र जारी किए जाने थे, हालांकि सी.डी.डी. के भीतर आपूर्तिकर्ता को रेखाचित्र जारी

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											नहीं किए जा सके। के.ए.पी.पी.-4 के लिए भी एफ.आई.एस. कार्यक्षेत्र रिलिज करने और रेखाचित्र जारी करने में देरी हुई थी। 28.11.2017 और 28.05.2018 तक क्रमशः के.ए.पी.पी.-3 और के.ए.पी.पी.-4 में

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											हुए विलंब के लिए एन.पी.सी.आई. एल. मुख्य रूप से जिम्मेदार थी इसलिए इ. एवं सी. पी.ओ. के लिए मूल सी.डी.डी. से परे मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई थी। मूल्य सूचकांको के अनफ्रीजिंग और निर्माण पी.ओ. के लिए

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											मूल्य समायोजन प्रावधान के कारण 28.11.2017 तक के.ए.पी.पी.-3 एवं 28.05.2018 तक के.ए.पी.पी.-4 पर प्रचलित सूचकांकों के आधार पर, एन.पी.सी.आई. एल. के कारण होने वाले विलंब के लिए इ एवं सी पी.ओ. में ₹

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											31.63 करोड़ का अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा।
10 पी.एम. -71	निर्माण पी.ओ. संख्या 6450 दिनांक 04.07.2012, ₹ 14.01 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. संख्या/6449 दिनांक 04.07.20	मैसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड, गुड़गांव	आर.ए.पी.पी.-7 और 8 का मुख्य संयंत्र एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम पैकेज	आर.ए.पी.एस.-7 03.10.2015 आर.ए.पी.एस.-8 03.04.2016 आर.ए.पी.एस.-8 (31.12.2022	03.04.2016	663 दिन	26.01.2018	कार्यक्षेत्र की अनुपलब्धता, उपकरण प्रणाली चालू करने के लिए बिजली की आपूर्ति, शीतलन इकाइयों को चालू करने के लिए प्रक्रिया जल और ठंडा पानी आदि।	निर्माण कार्य में वृद्धि के कारण पी.ओ. के निर्माण में अतिरिक्त वित्तीय भार का भुगतान कार्यों के अपेक्षित समापन तक की अवधि में किया जाना है।	8.45	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.पी.सी.आई.एल. मुख्य प्लांट एयरकंडिशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम पैकेज को स्थापना सी.डी.डी. के अंतर्गत नहीं करवा सका जिसका जिम्मेदार
									बैंक गारंटी/बीमा/वारंटी की वैधता के नवीनीकरण/वि	0.99	

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	12, ₹ 72.78 करोड़)								स्तार के लिए प्रभार		एन.पी.सी.आई. एल. ही था। विलंब का मुख्य कारण एन.पी.सी.आई. एल. द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर कार्य स्थल उपलब्ध नहीं कराना, उपकरण सिस्टम को कमिशनिंग के लिए एन.पी.सी.आई. एल. द्वारा

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराना, कूलिंग यूनिट के कमिशनिंग के लिए एन.पी.सी.आई. एल. द्वार प्रोसेस पानी एवं ठंडा पानी उपलब्ध नहीं कराना था। एल-2 समिति रिपोर्ट (05.04.2018) के अनुसार मूल समय सीमा अर्थात

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											03.04.2016 तक 663 दिन का विलंब एन.पी.सी.आई. एल. के कारण हुआ। एन.पी.सी.आई. एल. के कारण हुए विलंब के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त ₹ 9.44 करोड़ का भुगतान देय है।
								कुल		**9.44**	
11 पी.एम .-72	निर्माण पी.ओ. सं. 6102	मैसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड	के.ए.पी.पी.-3 और 4 के मुख्य संयंत्र	के.ए.पी.पी.-3 03.04.2015	के.ए.पी.पी.-3	691 दिन	के.ए.पी.पी.-3	कार्यक्षेत्र की अनुपलब्धता और	अतिरिक्त वित्तीय भार का भुगतान कार्यों के	**10.45**	एन.पी.सी.आई. एल. पर

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए.ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	दिनांक 04.07.2012. ₹ 13.99 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. स. 6101 दिनांक 04.07.2012 ₹ 72.62 करोड़)		एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम पैकेज	के.ए.पी.पी.-4 03.10.2015 (के.ए.पी.पी.-3 31.03.2020. के.ए.पी.पी.-4 31.12.2023)	03.04.2015. के.ए.पी.पी.-4 03.10.2015		22.02.2017 के.ए.पी.पी.-4 22.08.2017	रेखाचित्र जारी करने में देरी	अपेक्षित समापन तक की अवधि में वृद्धि के रूप में किया जाना है।		आरोपित कारणों के कारण एन.पी.सी.आई. एल. सी.डी.डी. के भीतर कार्य पूरा नही कर सका। एल-2 समिति की रिपोर्ट (17.04.2018) के अनुसार मूल सी.डी.डी. से कुल 691 दिनों कि एन.पी.सी.आई. एल. के कारण हुई। इस कारण

क्रम संख्या	पी.ओ. की संख्या, तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.एल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति है	पी.ओ. के पूरा होने में विलंब का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव		
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
											एन.पी.सी.आई. एल. के निर्माण कार्य ठेकेदार को अतिरिक्त ₹ 10.45 करोड़ का भुगतान देय है।
									कुल योग	186.54	

तालिका-2 मूल्यांकन किए गए अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों के लिए तदर्थ भुगतान

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
1 पी.ए.. म 50	इ. एवं सी. पी.ओ. सं. 6453 दिनांक 28.06.2012 ₹ 21.83 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ. 6452 दिनांक 28.06.2012 ₹	मैसर्स एच.डी.ओ.एल., मुम्बई	आर.ए.पी.पी.-7 और 8 के लिए फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (एफ.आई.पी.)।	आर.ए.पी.पी.-7 27.12.2015 आर.ए.पी.पी.-8 27.06.2016 (आर.ए.पी.पी.-7 30.09.2023. आर.ए.पी.पी.	27.06.2016	1242 दिन	विलंब विश्लेषण की अंतिम स्वीकृति नहीं है और इसलिए मूल्य समायोजन की अनुमति के लिए औपचारि	कार्यक्षेत्र को जारी करने में देरी, सुविधाओं में बार-बार परिवर्तन, और एन.पी.सी.आई. एल. से पॉलीसल्फाइड यौगिक की आपूर्ति को स्थगित करने के कारण देरी	बैंक गारंटी/बीमा उपकरणों/वारंटी या गारंटी/अतिरिक्त करों या शुल्कों की वैधता के नवीनीकरण/विस्तार के लिए प्रचलित सूचकांकों और वित्तीय शुल्कों की प्रतिपूर्ति के	20.23	कार्य मोर्चों को जारी करने में देरी, सुविधाओं में बार-बार परिवर्तन, और एन.पी.सी.आई.एल. से मैसर्ज एच.डी.ओ.एल. को पॉलीसल्फाइड यौगिक की आपूर्ति को स्थगित करने के कारण देरी के	20.23

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
	158.17 करोड़)			-8 31.03.2024)			क संशोधन अभी जारी किया जाना है।		आधार पर मूल्य भिन्नता		कारण पी.ओ. में निर्माण कार्य सी.डी.डी. के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। एन.पी.सी.आई.ए ल. ने अक्टूबर 2019 के दौरान ई. एंड सी. पी.ओ. के तहत मैसर्स एच.डी.ओ.एल. को ₹ 20.23 करोड़ के तदर्थ भुगतान के लिए मंजूरी दी थी, जो	

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
											प्रचलित सूचकांकों के आधार पर मूल्य भिन्नता और सी.डी.डी. से परे 1242 दिनों की देरी के लिए वित्तीय शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण पाया गया था। विलंब विश्लेषण की लंबित स्वीकृति, एन.पी.सी.आई.ए	

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
											ल. ने दिनांक 18.11.2019 के संशोधन संख्या IX के माध्यम से प्रचलित सूचकांकों के आधार पर मूल्य भिन्नता के लिए ₹ 20.23 करोड़ के तदर्थ भुगतान भुगतान की अनुमति दी और बैंक गारंटी/बीमा उपकरणों/वारंटी/ वारंटी के विस्तार/नवीकर	

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
											ण के लिए गारंटी/अतिरिक्त कर या शुल्क के साथ वित्तिय शुल्कों की प्रतिपूर्ति की।	
2 पी.एम .-51	इ. एवं सी. पी.ओ. सं. 6105 दिनांक 28.06.2012 ₹ 23.35 करोड़ (आपूर्ति पी.ओ.	मैसर्स एल एंड टी	के.ए.पी.पी.-3 और 4 के लिए फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन पैकेज (एफ.आई.पी.)।	के.ए.पी.पी.-3 27.06.2015 के.ए.पी.पी.-4 27.12.2015 के.ए.पी.पी.-4	के.ए.पी.पी.-3 27.06.2015 के.ए.पी.पी.-4 27.12.2015	के.ए.पी.पी.-3 841 दिन के.ए.पी.पी.-4 848 दिन	विलंब विश्लेषण का अंतिम अनुमोदन नहीं है और इसलिए मूल्य समायोज	कार्यक्षेत्र, रेखाचित्र और इंजीनियरिंग इनपुट आदि जारी करने में देरी	(i) (ए) दिनांक 22.09.2017 और 31.03.2018 तक के.ए.पी.पी.-3 और के.ए.पी.पी.-4 के लिए सूचकांकों के	17.53 5. 68	आपूर्ति पी.ओ. के संबंध में, मई 2019 तक 95% आपूर्ति पूरी कर ली गई थी। आपूर्ति में देरी के कारणों में एन.पी.सी.आई.ए ल. द्वारा डिजाइन	**10**

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
	सं.6104 दिनांक 28.06.2012 ₹ 169.5 करोड़)			31.03.2023			न की अनुमति देने के लिए औपचारिक संशोधन अभी जारी किया जाना है।		अनफ्रीजिंग के कारण पी.ओ. के निर्माण में पी.वी.सी. के कारण वित्तीय प्रभाव (बी) पी.ओ. के निर्माण में पीवीसी के कारण वित्तीय निहितार्थ काम मूल सी.डी.डी. के भीतर पूरा हो गया होता	11.85	इनपुट/परिवर्तन अनुरोध भेजने, परिवर्तन प्रस्ताव अग्रेषित करने, ठेकेदार को निर्माण दस्तावेजों की स्वीकृति देने में देरी थी। निर्माण पी.ओ. के संबंध में, निर्धारित समय के भीतर कार्यक्षेत्र, वर्किंग रेखाचित्र और	

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
									पी.ओ. (ए-बी) के निर्माण में पी.वी.सी. के कारण शुद्ध वित्तीय निहितार्थ		इंजीनियरिंग इनपुट जारी करने में देरी के कारण मूल सी.डी.डी. में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। इएवंसी पी.ओ. के तहत के.ए.पी.पी.-3 और के.ए.पी.पी.-4 के लिए क्रमशः 841 दिनों और 848 दिनों की देरी एन.पी.सी.आई.ए	
									ii) बैंक गारंटी के विस्तार के लिए शुल्क	0.129		
									(iii) बीमा के नवीनीकरण के लिए शुल्क	0.687		
									(iv) मूल सी.डी.डी. से अधिक और 30.06.2017	0.013		

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
									तक बढ़े हुए करों और शुल्कों के लिए भुगतान		ल. के कारण पाई गई। विलंब विश्लेषण की लंबित स्वीकृति, एन.पी.सी.आई.ए ल. ने जून 2019 में अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों के लिए ई. एंड सी. पी.ओ. के तहत ₹ 10 करोड़ के तदर्थ भुगतान को मंजूरी दी।	

क्रम सं	पी.ओ. सं. तिथि एवं राशि	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तुओ का विवरण	सी.डी.डी. (विस्तारित सी.डी.डी.)	जिस अवधि तक विलंब विश्लेषण किया गया	एन.पी.सी.आई.ए ल. के कारण विलंब की अवधि	सी.डी.डी. तिथि के बाद किस तिथि तक मूल्य समायोजन (पी.ए.) की अनुमति	पी.ओ. के पूरा होने में देरी का कारण	अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन			तदर्थ भुगतान स्वीकृत (करोड़ ₹ में)
									विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी	
								कुल		12.679		
								कुल योग		32.909		30.23
								कुल योग (तालिका 1+ तालिका 2)		216.77 (186.54 +30.23)		

अनुबंध-8.6

[अनुच्छेद 8.2.3.2 के संदर्भ में]

बीमा अनुबंधों के विवरण जिसके लिए एन.पी.सी.आई.एल. ने वैध अवधि के विस्तार हेतु परिहार्य व्यय किया

बीमाकर्ता का नाम	साइट	बीमा की मूल वैधता	भुगतान किया गया प्रीमियम (₹ करोड़ में)	पॉलिसी की विस्तारित अवधि	विस्तार के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम (₹ करोड़ में)
मैसर्स द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई	के.ए.पी.पी.-3 एवं 4	30.10.13 से 29.04.17 तक	16.18	पहला (30.4.17 से 31.12.19)	12.44
मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई	के.ए.पी.पी.-3 एवं 4			दूसरा (01.01.20 से 31.03.21)	5.87
	के.ए.पी.पी.-4			तीसरा (01.04.21 से 30.06.22)	2.42
				चौथा (01.07.22 से 30.06.23)	2.00
	आर.ए.पी.पी.-7 एवं 8	01.10.14 से 31.03.18 तक	19.06	पहला (01.04.18 से 31.03.21)	16.51
				दूसरा (01.04.21 से 30.09.22)	18.52
				तीसरा (01.10.22 से 30.09.23)	12.56
कुल योग					**70.32**

अनुबंध-8.7

[अनुच्छेद 8.2.3.3 के संदर्भ में]

भण्डारों में पड़ी रद्दी/अप्रचलित वस्तुएँ।

क्र.सं.	भण्डारों का नाम	विवरण	वस्तुओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टी.वी.एस.	आयातित वस्तुएं	94	0.28
		स्वदेशी और निर्माण वस्तुएं	6	0.01
2	टी.ए.पी.एस.	टाउनशिप और टी.ए.पी.एस. 1 से 4 स्क्रैप	47	1.85
3	के.ए.पी.एस.	भण्डारों में पड़े स्क्रैप आइटम	18	0.68
		कुल	**165**	**2.82**

परिशिष्ट

परिशिष्ट I: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(अनुच्छेद 1.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी अनुदान की राशि
अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
1.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	163.50
2.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी	35.00
3.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	32.00
4.	अर्ध संचालक प्रयोगशाला, चंडीगढ़	417.55
5.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	112.00
	उप-कुल	**760.05**
परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
6.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	98.00
7.	हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज	29.89
8.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	49.30
9.	भौतिक संस्थान, भुवनेश्वर	31.31
10.	प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	226.20
11.	साहा इंस्टिटयूट ऑफ न्युक्लियर फिजीक्स कोलकाता	113.04
12.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई	630.80
13.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुंबई	1006.27
14.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	129.39
15.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मंबई	2.67
16.	मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केन्द्र, मुंबई	21.61
	उप-कुल	**2338.48**
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
17.	आघारकर अनुसंधान संस्थान-एम.ए.सी.एस., पुणे	37.13
18.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल	41.56
19.	बोस संस्थान, कोलकाता	100.47
20.	बीरबल साहनी पूराविज्ञान संस्थान, लखनऊ	59.91
21.	नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलूरू	20.21
22.	इण्डियन एसोसिएसन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सांइस, कोलकाता	128.99
23.	भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलूरू	122.78
24.	भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई	59.39

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी अनुदान की राशि
25.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.एस.टी.), गुवाहाटी	37.32
26.	नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	60.63
27.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यु मटेरियल्स, हैदराबाद	76.61
28.	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बैंगलूरू	122.87
29.	रामन अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.), बैंगलूरू	65.47
30.	एस.एन.बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	49.75
31.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	63.66
32.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, नई दिल्ली	22.00
33.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधीनगर	13.75
34.	उत्तर पूर्वी प्रोद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलोंग	13.00
35.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	18.72
36.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलूरू	4.00
37.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	3.55
38.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	20.24
39.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता	4.50
40.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इंडिया, प्रयागराज	3.50
	उप-कुल	**1150.01**
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
41.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	76.89
42.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे	48.25
43.	डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र(सीडीएफडी), हैदराबाद	46.06
44.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव	29.25
45.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	59.25
46.	जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल	19.61
47.	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	52.15
48.	ट्रांस्लेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	42.85
49.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम	120.30
50.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	30.72
51.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	19.18
52.	स्टेम सेल अनुसंधान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु	39.64
53.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	28.80
54.	नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली	8.70
55.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	33.50

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी अनुदान की राशि
	उप-कुल	**655.15**
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
56.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	230.00
57.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	115.73
58.	गोबिन्द वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा	24.00
59.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	27.50
60.	राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एन.सी.एस.सी.एम.), चेन्नई	23.88
61.	सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केन्द्र (एस.ए.सी.ओ.एन.), कोयंबटूर	10.55
62.	वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आई.एफ.जी.टी.बी.), कोयंबटूर	16.98
63.	पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग	35.35
64.	उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	17.65
65.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	10.12
66.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	16.09
67.	बांस और रतन के लिए वन अनुसंधान केंद्र, आइजोल	1.10
	उप-कुल	**528.95**
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
68.	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	20.00
69.	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान	4.96
70.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	13.66
	उप-कुल	**38.62**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
71.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	196.61
72.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद	59.79
73.	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम	23.27
	उप-कुल	**279.67**
	कुल	**5750.93**

परिशिष्ट II: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(अनुच्छेद 1.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक)	मार्च 2021 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2022 तक देय थे	राशि (₹ करोड़ में)
			संख्या	राशि
1.	**परमाणु ऊर्जा विभाग**			
		मार्च 2014 तक	238	18.26
		2014-2020	589	87.71
		2020-21	53	2.66
		उप-कुल	**880**	**108.63**
2.	**अंतरिक्ष विभाग**			
		मार्च 2014 तक	129	3.70
		2014-20	318	30.06
		2020-21	73	6.76
		उप-कुल	**520**	**40.52**
3.	**वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग**			
		मार्च 2014 तक	210	1596.48

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक)	मार्च 2021 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2022 तक देय थे	राशि (₹ करोड़ में)
		2014-20	1337	9237.93
		2020-21	239	219.30
		उप-कुल	**1786**	**11053.71**
4.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**			
		मार्च 2014 तक	--	--
		2014-20	5808	2560.38
		2020-21	3301	1855.48
		उप-कुल	**9109**	**4415.86**
5.	**जैव-प्रौद्योगिकी विभाग**			
		मार्च 2014 तक	--	--
		2014-20	15304	6144
		2020-21	2737	1860
		उप-कुल	**18041**	**8004**
6.	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**			
		मार्च 2014 तक	3791	163.25

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक)	मार्च 2021 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2022 तक देय थे	राशि (₹ करोड़ में)
		2014-20	725	451.67
		2020-21	199	178.49
		उप-कुल	**4715**	**793.41**
7.	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**			
		मार्च 2014 तक	114	79.08
		2014-20	404	**715.33**
		2020-21	275	**1017.89**
		उप-कुल	**793**	**1812.30**
8.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**			
		मार्च 2014 तक	462	31.94
		2014-20	132	27.69
		2020-21	68	7.69
		उप-कुल	**662**	**67.32**
		कुल	**36506**	**26295.75**

परिशिष्ट III: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची।

(अनुच्छेद 1.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
1.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड, शिमला
2.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, दिल्ली
3.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली
4.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय
6.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूरू
7.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड, कासरगोड
8.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	आंध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा
9.	डी.बी.टी.	मुख्य	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दिल्ली
10.	डी.बी.टी.	मुख्य	भारत इम्मुनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली
11.	डी.बी.टी.	मुख्य	भारतीय टीका निगम लिमिटेड, दिल्ली
12.	डी.एस.आई.आर.	मुख्य	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद
13.	डी.एस.आई.आर.	मुख्य	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली
14.	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	मुख्य	अंडमान एवं निकोबार द्वीप वन तथा रोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
15.	डी.ओ.एस.	मुख्य	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूरू
16.	डी.ओ.एस.	मुख्य	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बैंगलूरू
17.	डी.ए.ई.	मुख्य	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी), कलपक्कम

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
18.	डी.ए.ई.	मुख्य	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
19.	डी.ए.ई.	मुख्य	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई
20.	डी.ए.ई.	मुख्य	पूर्व इंडियन रेअर अर्थर्स (इंडिया) लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, मुंबई
21.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,-इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
22.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-नाल्को पॉवर कंपनी लिमिटेड, मुंबई
23.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई
24.	डी.ए.ई.	मुख्य	आई.आर.ई.एल.-आई.डी.सी.ओ.एल. लिमिटेड, (कॉरपोरेट कार्यालय)
25.	डी.ए.ई.	मुख्य	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (यू.सी.आई.एल. कॉरपोरेट कार्यालय)
26.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, मनावलकुरुचि, कन्याकुमारी
27.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्ककम
28.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश
29.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, चवरा
30.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई
31.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, अलुवा
32.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
33.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नरौरा
34.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैगा

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
35.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - अनुबंध और सामग्री प्रबंधन, मुंबई
36.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र (ईकाई 1 एवं 2), गुजरात
37.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र (ईकाई 1 एवं 2), महाराष्ट्र
38.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, - रावतभाटा राजस्थान साइट
39.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् (इंडिया) लिमिटेड, (आई.आर.ई.एल.), गंजाम, उडीसा
40.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नई
41.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	कुडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत परियोजना, कुडनकुलम

परिशिष्ट IV: सी.पी.एस.ई. की सूची जिसके खिलाफ शून्य टिप्पणियां जारी की गई थी।

(अनुच्छेद 1.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
1.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, दिल्ली
2.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली
3.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय
4.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूरू
5.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड, कासरगोड
6.	डी.बी.टी.	मुख्य	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दिल्ली
7.	डी.ओ.एस.	मुख्य	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूरू
8.	डी.ओ.एस.	मुख्य	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बैंगलूरू
9.	डी.ए.ई.	मुख्य	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी), कलपक्कम
10.	डी.ए.ई.	मुख्य	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
11.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालय

क्रं.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र**	**सी.पी.एस.ई. का नाम**
12.	डी.ए.ई.	मुख्य	आई.आर.ई.एल.-आई.डी.सी.ओ.एल. लिमिटेड
13.	डी.ए.ई.	मुख्य	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14.	डी.ए.ई.	मुख्य	इंडियन रेयर अर्थ (इंडिया) लिमिटेड

परिशिष्ट V: 2021-22 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(अनुच्छेद 1.8 के संदर्भ में)

(*राशि ₹ लाख में*)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	13	4.12	-	-	-	-
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					2058	7.70				
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									

अंतरिक्ष विभाग	शून्य									
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	शून्य									
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**2071**	**11.82**	**-**	**-**	**-**	**-**

परिशिष्ट VI: विभाग/मंत्रालय-वार बकाया निरीक्षण रिपोर्टों और पौराग्राफों का विवरण

(अनुच्छेद 1.9 के संदर्भ में)

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	आई. आर.	पैरा
1.	**परमाणु ऊर्जा विभाग**	183	926
2.	**अंतरिक्ष विभाग**	155	1063
3.	**वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग**	185	1101
4.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**	266	1503
5.	**जैव प्रौद्योगिकी विभाग**	78	426
6.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**	81	487
7.	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**	320	2014
8.	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	45	382
	कुल	**1313**	**7902**

परिशिष्ट VII: **विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2023 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण - ए.टी.एन. जो मंत्रालय/विभाग से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।**

(अनुच्छेद 1.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
1.	2022 की 4	संपूर्ण प्रतिवेदन	तटीय पारितंत्रों के संरक्षण पर कार्य निष्पादन रिपोर्ट	08.08.2022	06 माह
2.	2022 की 26	2.3.4 (क्रमांक 47)	चालू आस्तियाँ (अनुसूची 11): ₹ 16.79 करोड़	20.12.2022	28 दिन
3.	2022 की 26	2.3.4 (क्रमांक 48)	चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम: ₹ 83.32 करोड़	20.12.2022	28 दिन
4.	2022 की 21	5.4	बैंक से ₹ 96.72 लाख के किराये की कम वसूली	20.12.2022	2 माह और 5 दिन
5.	2022 की 21	5.3	एक प्रदर्शन परियोजना पर ₹ 73.35 लाख का निष्फल व्यय।	20.12.2022	2 माह और 5 दिन

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
6.	2022 की 21	5.2	प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण	20.12.2022	2 माह और 5 दिन
7.	2022 की 21	5.1	वनस्पति उद्यान योजना को सहायता	20.12.2022	2 माह और 5 दिन
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
8.	2020 की 6	14.2	कर्मचारियों को भत्तो को प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय	23.09.2020	26 माह और 22 दिन
वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग					
9.	2022 की 26	2.3.2 (क्रमांक 24)	(i) वर्तमान देयताएः ₹ 70.35 करोड़ (ii) सरकारी अनुदानों के प्रति देयताएं (अनुसूची 5): ₹ 99.84 करोड़	20.12.2022	28 दिन
10.	2022 की 21	4.1	प्रोत्साहन और भत्तों की अनियमित स्वीकृति	20.12.2022	2 माह और 5 दिन

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
11.	2021 की 2	11.1	आई.टी. एप्लिकेशन सिस्टम 'वन सी.एस.आई.आर.' की कार्यक्षमता	24.03.2021	21 माह और 23 दिन
अंतरिक्ष विभाग					
12.	2022 की 21	2.1	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन	20.12.2022	2 माह और 5 दिन
13.	2022 की 21	2.4	जीसैट-6 सैटेलाईट का उपयोग ना होना	20.12.2022	2 माह और 5 दिन
परमाणु ऊर्जा विभाग					
14.	2021 की 2	3.2	पट्टा किराए की कम वसूली	24.03.2021	20 माह और 23 दिन
वाणिज्यिक इकाइयाँ					
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
1.	2020 की 6	13.1	इनपुट/पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का समय पर लाभ न उठाना	23.09.2020	29 माह

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
2.	2020 की 6	13.2	भूमि मालिकों की ओर से स्त्रोत पर काटे गये कर का भुगतान	23.09.2020	29 माह
परमाणु ऊर्जा विभाग					
3.	2021 की 2	4.5	कर्मचारियों को अस्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान	24.03.2021	23 माह
4.	2018 की 2	10.1.1	छुट्टी नकदीकरण पर अनियमित भुगतान।	13.03.2018	60 माह

परिशिष्ट VIII: **विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2023 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परंतु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।**

(अनुच्छेद 1.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब
परमाणु ऊर्जा विभाग					
1.	2022 की 21	2.5	सुल्लुरूपेटा के विकास पर ₹ 7.57 करोड का अनियमित व्यय	24.02.2023	15 दिन
2.	2022 की 21	2.3	करों एवं शुल्कों का ₹ 69.02 लाख का परिहार्य भुगतान	24.02.2023	15 दिन
3.	2022 की 21	2.2	₹ 28.09 करोड़ का परिहार्य निवेश	24.02.2023	15 दिन
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
4.	2018 की 2	4.2	पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी	31.10.2022	04 माह एवं 11 दिन
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
5.	2018 की 2	8.2	अनियमित वेतन संरक्षण	01.10.2021	17 माह एवं 10 दिन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
6.	2014 की 27	6.3	कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	13.09.2017	66 माह एवं 8 दिन
परमाणु ऊर्जा विभाग					
7.	2021 की 2	3.3	उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान[41]	31.10.2022	04 माह एवं 10 दिन

[41] **राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को उच्च दरों पर गृह किराया भत्ता का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान ₹ 2.80 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in